



---

# QUARTERLY PROGRESS REPORT OF NON – ATTAINMENT CITY RAEBARELI

---

Submitted on behalf of State of Uttar Pradesh



**JANUARY - MARCH 21**

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010

## ∞ CONTENTS ∞

<b>Sl.No.</b>	<b>Raebareli City</b>	<b>Page No.</b>
I	Basic Information	04-04
II	Capacity Building, Monitoring Network and Source Apportionment	05-06
III	Public Outreach	07-07
IV	Road Dust and Construction & Demolition	08-13
V	Vehicles	14-16
VI	Industries	17-19
VII	Waste and Biomass- Dumping and Burning	20-23
VIII	Air Quality Data	24-24
IX	Annexures	25-107
1.	<i>Annex -CB 1</i>	26-27
2.	<i>Annex -CB 2</i>	28-30
3.	<i>Annex -CB 3</i>	31-33
4.	<i>Annex -CB 4</i>	34-34
5.	<i>Annex -CB 5</i>	35-36
6.	<i>Annex -PO 1</i>	37-38

7.	<i>Annex -RD 1</i>	39-39
8.	<i>Annex -RD 2</i>	40-40
9.	<i>Annex -RD 3</i>	41-41
10.	<i>Annex -RD 4</i>	42-45
11.	<i>Annex -RD 5</i>	46-46
12.	<i>Annex -RD 6</i>	47-72
13.	<i>Annex -RD 7</i>	73-83
14.	<i>Annex -VE 1</i>	84-84
15.	<i>Annex -VE 2</i>	85-85
16.	<i>Annex -VE 3</i>	86-86
17.	<i>Annex -IP 1</i>	87-88
18.	<i>Annex - IP 2</i>	89-89
19.	<i>Annex -IP 3</i>	90-100
20.	<i>Annex -WB 1</i>	101-102
21.	<i>Annex -WB 2</i>	103-103
22.	<i>Annex -WB 3</i>	104-104
23.	<i>Annex -WB 4</i>	105-107

## Basic Information

<b>Name of Non Attainment City</b>	<b>RAEBARELI</b>
<b>Sate/ Union Territory</b>	UTTAR PRADESH
<b>Name of Nodal Officer at PCB/ PCC</b>	Chief Environmental Officer Lab
<b>E-mail Id</b>	<a href="mailto:ceolab@uppcb.in">ceolab@uppcb.in</a>
<b>Contact Number</b>	0522-2720832
<b>Date till which progress is submitted</b>	31.03.2021

Action Point Code	Sector	Total Number of Actions	Number of Actions Completed	Number of Actions Under Porgress
CB	CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE APPORTIONMENT	8	6	2
PO	PUBLIC OUTREACH	5	5	0
RD/ C&D	ROAD DUST AND CONTRUCTION & DEMOLITION	24	23	1
VE	VEHICLES	17	16	1
IP	INDUSTRIES	18	18	0
BB/DF	WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND BURNING	20	17	3
AQ	AIR QUALITY DATA	9	6	3
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>91</b>	<b>10</b>

**CAPACITY BUILDING, MONITORING NETWORK AND SOURCE APPORTIONMENT**

Action Point Code	Action Point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
<b>CB1</b>	<b>Insatllation &amp; Commissioning of Monitoring Stations</b>												
CB1.1	CAAQMS	<p>01 CAAQMS is required in Raebareli City as per CPCB norms.</p> <p>&gt; 01 CAAQMS to be installed by CPCB in compliance to the Hon,ble NGT order dated 21.08.2020 in O.A. No 681/201801.</p> <p>&gt; Beside above UPPCB also requested to CPCB for integration and connectivity of 03 CAAQMS installed in industrial units vide letter dated 08.12.2020 &amp; 03.03.2021 with requisite Informations in prescribed format. Connectivity yet to be awaited</p>	1	360 days	Mar-21	1	Number	Yes	<p>Detailed Micro Plan for installation of CAAQMSs by UPPCB is attached.</p> <p align="center"><b><u>Annex-CB-1</u></b></p>	Not required ( to be installed by CPCB)	Not required	Not required	Not required
		<p>Installation of 01 CAAQMS is proposed from the funds to be released under MOU private cement industry contribution to be shared as per ratio of percentage basis. The MOU has already been done and the station shall be established expeditiously aftervendor selection.</p>							<p>As 01 CAAQMS is proposed to be installed jointly by M/s Birla Corporation Ltd, Raebareli, M/s ACC Plant &amp; M/s Indo Gulf, Jagdishpur. Funds have been already allocated from their administrative department of M/s Birla Corporation Ltd, Raebareli, M/s RCCPL pvt Ltd.Raebareli , M/s Indo Gulf, Jagdishpur and M/s ACC limited, Amethi. MOU has been signed on 02.03.2021 among all industries for installation of CAAQMS Station. MOU copy has been sent to regional office through mail.</p>	Rs. 1.2 Cr (for the CAAQMS proposed by joine venture of industries)	30% cost of the total finalized order valve Grasim industries limited,30% cost sharing of M/s ACC Limited Tikaria Amethi,20% cost sharing of M/s Birla Corporation Ltd, Raebareli,20% cost sharing of M/s RCCPL pvt Ltd.Raebareli	Nil (funds will be utilised after installation & commissioning of CAAQMS as per conditions of aftervendor selection)	Rs. 1.2 Cr for installation of CAAQMS under NCAP funds
CB1.2	Manual Stations	<p>03 Manual Stations are established and are functional at following locations: 1.Indira Nagar (Residential); 2. Super Market (Commercial);3.Amawa Road(Industrial) Although nos. of manual stations (03) are sufficient as per CPCB guidelines for better representation of air quality data.</p>	3	Completed	No	Completed	Number	Yes	<p>Data is available on UPPCB website. <a href="http://www.uppcb.com/ambient_quality.htm">http://www.uppcb.com/ambient_quality.htm</a></p>	Rs. 10.56 Lac	Rs. 10.56 Lac	Rs. 10.56 Lac	Not required
<b>CB3</b>	<b>Assessment of sources</b>												
CB3.1	Emission Inventory	SA /CC study based on available data shall be completed by June 2021 and comprehensive study shall be completed after 03 years from receiving of fund.	100% (EI & SA Study)	June, 2021	No	As per the schedule mentioned in the detailed Micro Plan	STUDY	Yes	Detailed Micro Plan for EI & SA is attached.	Rs. 6,19,500/- (combined for rapid SA/CC study)	Rs. 6,19,500/-	Rs. 3,72,000/- (combined for rapid SA/CC study)	Rs. 80 Lac (for comprehensive SA/CC study)
CB3.3	Source Apportionment Study												
<b>CB4</b>	<b>Training &amp; Capacity Building</b>												

Action Point Code	Action Point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
CB4.1	Training & skill development of public officials	Could not be organised due to COVID-19 pandemic conditions. Will be organised in 2021-22 as per the Training Calender enclosed.	As per the Training Calender 2021-22 (copy enclosed)	As per the Training Calender 2021-22 (copy enclosed)	Yes	As per the schedule mentioned in the Training Calender 2021-22.	As per attachment	Yes	Training Calender 2021-22. <b>Annex-CB-3.</b>	Demand Placed under 15th FC Funds	Nil	Nil	Rs. 67.63 lacs
CB4.2	Infrastructure development (Laboratory/ AQM Cell)	The allotted Laboratory Infrastructure development fund has been utilize strenghtened of infratcture laboratory.	Complete	30 days	No	Complete	Yes/No	No	Nil	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-	Rs. 4,00,000/-	Not required
CB4.4	Organization of meeting of District Environment Committee for sensitizing the Line Departments for advance preparedness of implementation of Action Plan and following action points	District level committee is functional and meetings are held on monthly basis. DEC meetings during the last quarter held on the following dates: 12/06/2020,08/09/2020,25/11/2020, 08.02.2021 25.03.2021	Monthly meetings	Regular activity	No	Complied	Yes/No	Yes	All MOM are available on the portal ( <a href="http://www.upecp.in/HomeMeetingList.aspx">http://www.upecp.in/HomeMeetingList.aspx</a> )	Not required	Not required	Not required	Not required
	<b>Emergency Response System</b>	GRAP is applicable in the city and monitoring is done on a regular basis by DEC.	100 % GRAP implementation	90 days (15.11.19)	No	Regular Activity	Enforcement	Yes	1. GRAP Implementation Report <b>Annex-CB-4</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
CB5		For the purpose of ERS to be developed by PCB, State Disaster Management Authority and Meteorological Department as per the order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019, the disaster Management Authority has requested for development of a guideline by NDMA. The matter also reviewed by CS,GoUP and a letter has been sent to NDMA, CPCB and MoEF&CC for issuance of a guideline for development of ERS for severe levels of air pollution. The response of MoEF&CC, CPCB & NDMA is awaited.	Regular Activity	Timeline for iussuance of Guidelines to be provided by NDMA, MoEF& CC & CPCB	Yes	Ongoing			Letter dated 22.12.2020 written by the State to NDMA, CPCB & MoEF&CC <b>Annex-CB-5</b>				

## PUBLIC OUTREACH

Action Point Code	Action Point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
PO1	<b>Public Outreach</b>												
PO1.1	Daily Air Quality Public Information Dissemination System	Monthly information on air quality is available on UPPCB's website.	Real time AQI on Sameer app and release of daily bulletin	15 days and thereafter as regular activity (15.9.19)	No	365 days	Number	URL	Detailed action taken ( <a href="https://cpcb.nic.in/upload/Downloads/AQI_Bulletin">https://cpcb.nic.in/upload/Downloads/AQI_Bulletin</a> )	Not required	Not required	Not required	Not required
PO1.3	Issue public advisory for prevention and control of air pollution	Weekly AQI bulletin along with public advisory and action taken is published on UPPCB website. 10 bulletins were published during the last quarter (Oct-Dec 20)	10	15 days and thereafter as regular activity (15.9.19)	No	20	Number	URL	10 Weekly bulletins ( <a href="http://www.uppcb.com/weekly-aqi.htm">http://www.uppcb.com/weekly-aqi.htm</a> )	Not required	Not required	Not required	Not required
PO1.4	Deeper public engagement and consultation (workshops/ programmes in schools/ colleges)	Public Awareness Activities could not be organised due to COVID-19 pandemic conditions. In 2021-22 Public Awareness Activities will be organised as per the Public Awareness Calendar 2021-22.	As given in the Calendar enclosed.	As given in the Calendar enclosed.	Yes due to COVID-19 pandemic situation	As given in the Calendar enclosed.	Number	Yes	Public Awareness Calendar for Year 2021-22. <b><u>Annex-PO-1.</u></b>	demand raised under XV FC	demand raised under XV FC	-	Rs. 25 lacs
PO1.5	Launch mobile app to update public about status of air quality	AQI status of available on Sameer App and other than this, AQI bulletin is published on UPPCB's website on regular basis	100%	30 days (Sept 2019)	No	Completed	URL	Yes	URL of Sameer App ( <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpcb">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpcb</a> )	Not required	Not required	Not required	Not required
PO2	<b>Public Greivance Redressal System</b>												
PO2.1	App Based System	Swachh Vayu App has been developed and is operational June 2020.	Swachh Vayu app	30 days ( Sep 2019 )	No	Regular activity		Yes	Quarterly Reports from Jan - Mar 2021 - The status of complaints received as on till date : Received - 00 Resolved - 00 Pending - 00 status of disposal monitored for improvemnet by AQMC & DEC.	Rs 8.5 lacs	Rs 8.5 lacs	Rs 8.5 lacs	Not Required

**ROAD DUST AND CONSTRUCTION & DEMOLITION**

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
<b>RD1</b>	<b>Road dust</b>												
RD1.2	Maintain potholes free roads	08 Major roads (2.10 Km ) completed	08 Major roads (2.10 Km ) completed	31.03.2020	Yes , ( March 2021)	08 Major roads (2.10 Km ) completed	Number	Yes	List of Roads <b>Annex - RD1</b>	18.30 Lacs	18.30 Lacs	18.30 Lacs	Not required
RD1.3	Regular cleaning of street surfaces and spraying of water to suppress dust.	Regular Cleaning is ongoing. Water Spraying is also done by 3 tankers as per requirement time to time. A total of 10.7 Kms of 08 major roads have been covered using water sprinklers	10.7 kms Regular Activity	Regular Activity	No	10.7 kms Regular Activity	Number	Yes	List of Roads <b>Annex - RD2</b>	11.15 Lacs	11.15 Lacs	11.15 Lacs	01 Mechanical Sweeping Machines will require approx cost 50 lakhs per set.
		Dust collecting of roads by monitoring the dust of the streets of Rae Bareilly city was done by regional office on October,2020 at the following sites: 1. NH 30 Lucknow-Allahabad National Highway (adjacent Om Clarke Inn), Rae Bareilly. 2. Indira Nagar Colony, Rae Bareilly. 3. Jail Garden Road, Rae Bareilly. 4. Super Market, Rae Bareilly. 5. Jail Road, adjacent Anand Nagar Colony, Rae Bareilly. 6. Bus Stand from Hospital Square, Opposite GIC, Rae Bareilly. 7. G.G.I.C. Road, Rae Bareilly. 8. Industrial Area, Sultanpur Road, Rae Bareilly.	Completed	17-22 August, 2020	No	Completed	Text	Yes	As given in present Status	1 .0 Lakhs	1 .0 Lakhs	1 .0 Lakhs	Not required
		Daily two time sweeping in morning and evening shift is done on 08 roads by more than 80 Safai Karamcharis on a daily basis.	08 Roads , 05 kms / day Regular Activity	Regular Activity	No	08 Roads , 05 kms / day Regular Activity	Number	Yes	List of roads <b>Annex - RD2</b>	9.50 Lacs	9.50 Lacs	9.50 Lacs	01 Mechanical Sweeping Machines will require NPP approx cost 50 lakhs per set.
		Daily two time Water sprinkling in morning and evening shift is done pershedeypur road by Jal Nigam and NH 30 toll end road to sai river by NHAI.	Total No of Kms Regular Activity	From 15th October, 2020	No	Total No of Kms Regular Activity	Number	Yes	As given in present Status	22 Lacs	22 Lacs	22 Lacs	Not required
RD1.4	Black-topping of unpaved road	08 No. of Metalled roads blacktopping and paving of roads has been done.	18 Kms	180 days ( June 2020 including the grace period of COVID -19 pandemic situation)	No	18 Kms	Number	Yes	List of Roads <b>Annex - RD3</b>	270.25 lakhs	270.25 lakhs	270.25 lakhs	Not required
RD1.6	To take appropriate action to remove road dust/silt regularly by using mechanical sweepers	08 Roads are Regular sweeping/ Cleaning. However mechanical sweepers are not used currently	05 kms / day Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	List of roads <b>Annex - RD2</b>	22 Lacs	22 Lacs	22 Lacs	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD1.7	End-to-end paving of the road	08 Roads and 36 kms Completed	36 Kms ( 08 Roads ) completed	Completed	No	36 Kms ( 08 Roads ) completed	Number	Yes	Listt of Roads Annex - RD3	270.25 Lacs	270.25 Lacs	270.25 Lacs	Not required
RD1.9	Introduce water fountain at major traffic intersection	Nagar Palika Parishad Raebareli has established fountains at 2 main crossroads of the town but not in operational and still under maintenance.	2 Completed	90 days ( March 2020 )	No	Completed	Number	Yes	As given in present Status	14 Lacs	14 Lacs	14 Lacs	Not required
RD1.10	Widening of Roads	1-Two Laning with PS of Raebareli to Jaunpur section (Km 0.000 to Km 166.400) of NH-231 in the State of Uttar Pradesh under NHDP IV A on BOT (Annuity) basis. (Salon bypass Completed) (166.40 Kms ) 2-Two Laning with PS of Raebareli to Prayagraj section (Km 82.700 to Km 188.600) of NH-24B in the State of Uttar Pradesh under NHDP IVA on BOT (Toll) basis.(Munshiganj Bypass Completed) (105.9 Kms ) 3-Two Laning with PS of Raebareli to Banda section (Km 152.533 to Km 285.818) of NH-232 in the State of Uttar Pradesh on EPC Mode.(Completed Lalganj Bypass) ( 133.28 Kms )	3 major roads ( 405.58 kms ) Completed	90 days ( March 2020 )	No	3 major roads ( 405.58 kms ) Completed	Number	Yes	As given in present Status	7263.95 Lacs	7263.95 Lacs	100 % 7263.95 Lacs	Not required
RD1.11	Improvement of infrastructure for decongestion of road.	1- Construction of work deep shoes store to railway station gate. 2- Construction of work Deewani gate to ghantaghar chauraha 3- Construction of work ghantaghar chauraha to LKO- Raebareli marg. 4- Construction of work Dr. B.R Ambedkar Murti to Khalsa Chauk. 5- Construction of work Civil Hospital to Khalsa Chauk to super market to ghantaghar chauraha. 6- Construction of work ghantaghar chauraha to deep shoes 7- Construction of work shakti Nagar in maal godam to Shuddho Begum 8- Construction of work Shakti Nagar in Shuddho Begum Savita Brijesh to hanshi khushi utsav lawn.	08 Roads ( 2.10 kms ) Completed	360 days ( Dec 2020 including the grace period of COVID -19 pandamic situation)	No	08 Roads ( 2.10 kms ) Completed	Number	Yes	As given in present Status	Rs 10774.95 Lakhs	Rs 10774.95 Lakhs	Rs 10774.95 Lakhs	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
		Under DPR Time target 2023 of Both (A) Two / Four laning of Raebareli-Jagdishpur section of NH-330A from km. 0.000to km. 47.80 (Design Length – 46.02 km) including Jagdishpur Bypass & excluding 4.1 km overlapping length of Jagdishpur bypass with NH-731 (old NH-56) in UP EPC. (B) Construction of Four Lane Bypasses at Jagatpur, Babuganj, Unchahar, Alapur, Link Road to NH-19 (Old NH-2) & Bridge over River Sai at Ch 84+170in the State of Uttar Pradesh	Two four lane Bypasses	Apr-23	No	Two four lane Bypasses	Number	Yes	Micro Plan NHAI Annex - RD 4	under DPR	under DPR	under DPR	(A) Rs 72400 Lacs (B) Rs 113100 Lacs
RD1.15	Create Proper Pedestrian Infrastructure	1- Construction of work deep shoes to railway station gate. 2- Construction of work Deewani gate to ghantaghar chauraha 3- Construction of work ghantaghar chauraha to LKO- Raebareli marg. 4- Construction of work Dr. B.R Ambedkar Murti to Khalsa Chauk. 5- Construction of work Civil Hospital to Khalsa Chauk to super market to ghantaghar chauraha. 6- Construction of work ghantaghar chauraha to deep shoes. 7- Construction of work shakti Nagar in maal godam to Shuddho Begum. 8- Construction of work Shakti Nagar in Shuddho Begum Savita Brijesh to hanshi khushi utsav lawn.	08 Roads , 2.10 kms Completed	Completed	No	08 Roads , 2.10 kms Completed	Number	Yes	As given in present Status	Rs 270.25 lakhs	Rs 270.25 lakhs	Rs 270.25 lakhs	Not required
RD1.16	All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out.	1. Renovation of Road of Bacchrawan Dy from Km5.930 to 6.190 Km. – Rs. 6.26 Lac 2. Renovation of kanhapur canal road. Rs. 27.35 Lac 3. Renovation agai Dy canal. Rs. 14.53 Lac. 4. Renovation of dalmou pump canal Km 22.943 to 23.643 - Rs. 13.98 Lac. 5. Renovation of DPC from Km0.100 to 3.200 - Rs. 62.50 Lac 6. Renovation from Dalmau Pump Canal to inspection house.- Rs.5.34 Lac 7. Renovation of Raebareli Dy (Left canal side).- Rs. 33.88 Lac 8. Renovation of DPC IInd stage to cross regulation. - Rs. 6.11 Lac	08 Roads out of which 06 are completed	360 days ( Dec 2020 including the grace period of COVID -19 pandemic situation)	Yes , (March 2021)	08 Roads	Number	Yes	As given in present Status	193.39 Lakhs	193.39 Lakhs	193.39 Lakhs	Not required
RD2	Creation of green cover												Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
RD2.2	Creation of green buffers along the traffic corridors and their maintenance	Target of the plantation in financial year 2020-21 is 15 Lacs given task by state government. Forest Department was completed 15 Lacs plantation on 5th July 2020.	15 Lacs saplings planted in different location of city Completed	Completed	No	15 Lacs saplings planted in different location of city Completed	Number	Yes	List of Plantation <b>Annex - RD5</b>	Rs. 215.55 lakhs	Rs. 215.55 lakhs	Rs. 215.55 lakhs	Not required
RD2.3	Necessary changes in byelaws- Greening of open areas, gardens, community places, schools and housing societies	Target of the plantation in financial year 2020-21 is 15 Lac given task by state government. Forest Department was completed 1500000 plantation on 5th July 2020.	15 Lacs saplings planted in different location of city Completed	Completed	No	15 Lacs saplings planted in different location of city Completed	Number	Yes	List of Plantation <b>Annex - RD5</b>	Rs. 215.55 lakhs	Rs. 215.55 lakhs	Rs. 215.55 lakhs	Forest department will plan 1800000 plantation in financial year 2021-22
RD2.5	Builders should leave 25%/33% area for green belt in residential colonies to be made mandatory.	Byelaws exist .Plantation in parks road side is done in the colonies developed by RDA and will be enforced to the builder at the time of map sanctioning	Completed	Regular Activity	No	Regular Activity	Notification of Byelaws	Yes	Notification of Byelaws copy <b>Annex - RD6</b>	Nil	NA	NA	NA
RD2.7	Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan.	RDA has planted 15753 plants from 2017 to 2020-21 in the area of 19.35 hect for improving, and forest cover.5000 plants have been planted in AIMS Campus	20753 sapling planted . Completed	Regular Activity	No	Completed	Number	Yes	As given in present Status	Rs 31.12 Lakhs	Rs 31.12 Lakhs	Rs 31.12 Lakhs	Not required
<b>C&amp;D1</b>	<b>Construction Activities</b>												Not required
C&D1.1	Ensure transportation of construction materials in covered vehicles	38 builder and plot holders who got there maps sanctioned after December 2019 till now from RDA. has been informed in there permission letter issued to them for construction to bring the materials at the site in covered vessels. Nineteen contractors working in RDA at present time are	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	As given in present Status	Not required	Not required	Not required	Not required
C&D1.2	Strict enforcement of CPCB guidelines for construction (use of green screens, side covering of digging sites, etc.)	1.UPPCB has launched dustapp www.ucepc.in/dustapp for the purpose of dust control self audit and a public notice was issued u/s 31A of Air act in the newspaper and through e-advertisement for the same 2.The app is functional since October 2020. However, no construction projects have submitted online self dust control audit assessment online 3.No any major construction, building, Township project which require EC is identified. In industries notices has been sent to install PTZ camera in which 4 units have installed PTZ camera rest are in process. Direction to E E PWD, EE Awas Vikas, EE jal nigam, PD NHAI and RDA has also been issued by HO vide letter no. G33964/C-5/सां 0534/2020 ,G33995/C-5/सां 0534/2020,G33966/C-5/सां 0534/2020,G33962/C-5/सां 0534/2020, G33961/C-5/सां 0534/2020. date 20.10.2020	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	Yes	Copies of the letters <b>Annex - RD7</b>	Rs 8.5 Lakhs	Rs 8.5 Lakhs	Rs 8.5 Lakhs	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
C&D1.3	Restriction on storage of construction materials along the road.	Regular inspection is carried out to prevent such type of activity. Any defaulter found doing this is fined according to rule.	Regular Activity	Regular Activity	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
C&D1.4	Covering of construction site.	RegularMonitoring through Dustapp Portal in which construction & infrastructure development projects are mandate to upload the Self Audit on portal which will be varified by UPPCB and direction issued for Compliance through Portal and Action Taken in case of non -compliance . 80% site works are covered	100 % monitoring through Dustapp Regular Activity	15 days , and thereafter, continue as Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
C&D1.8	Enforcement of Construction and Demolition Waste Rules	RegularMonitoring through Dustapp Portal in which construction & infrastructure development projects are mandate to upload the Self Audit on portal which will be varified by UPPCB and direction issued for Compliance through Portal and Action Taken in case of non -compliance . No. fine imposed till the date close monitoring in being done. In Raebareli the maps sacnctioned are mostly residential single unit type. No. major dimolition activity is involved in them.	100 % monitoring through Dustapp Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
C&D1.9	Control measures for fugitive emissions from material handling-conveying and screening operations	RegularMonitoring through Dustapp Portal in which construction & infrastructure development projects are mandate to upload the Self Audit on portal which will be varified by UPPCB and direction issued for Compliance through Portal and Action Taken in case of non -compliance . 51 small builders and plot holders who got there maps sanctioned after December 2019 till now from RDA. has been informed to keep the fine materials covered at the site and continuous sprinkling of water over them. Similarly Nineteen contractors working in RDA at present time are strictly ordered to stack fine materials such as sand and earth on the site after covering them and regular sprinkling of water is also done.	100 % monitoring through Dustapp Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
C&D1.10	Develop and implement dust control measures for all types of construction activities -- buildings and infrastructure.	RegularMonitoring through Dustapp Portal in which costruction & infrastructure development projects are mandate to upload the Self Audit on portal which will be verified by UPPCB and direction issued for Compliance through Portal and Action Taken in case of non -compliance . All builders and plot holders has been informed to keep the fine materials covered at the site and continuous sprinkling of water over them. Similarly 19 contractors working in RDA at present time are strictly ordered to stack fine materials such as sand and earth on the site after covering them and regular sprinkling of water is also done.	100 % monitoring through Dustapp Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Not required	NO	Not required	Not required	Not required
C&D1.12	Frame and implement policy for segregation of construction and demolition waste and provide a network of decentralized C&D waste segregation and collection sites across the city.	In Raebareli the maps sacnctioned are mostly residential single unit type. No. major dimolition activity is involved in them.	Regular Activity	Regular Activity	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	01 C&D Waste plant will require aprox cost 10 cr per set.
C&D1.13	Promote recycling of construction and demolition waste.	In Raebareli the maps sacnctioned are mostly residential single unit type. No. major demolition activity is involved in them. ( C&D waste coollect , transport and stor in Solid waste Processing plant M/s ACCORD HYDROAIR PVT. LTD in Raebareli )	Regular Activity ( C&D Waste Generation in approx 09 TPD )	Regular activity , Construction & Demolition (C & D) Wastes	No	Commissioning of C&D Facility Dec 2024	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	01 C&D Waste plant will require aprox cost 10 cr per set.

## VEHICLES

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
<b>VE1</b>	<b>Improve and strengthen PUC programme</b>												
VE1.1	Number of PUC centers in the city	12 PUC centres are online in Raebareli city.	12 PUC centers	180 days ( June 2020 including the grace period of COVID -19 pandemic situation)	No	Completed	Number	Yes	List of PUC centers <b>Annex -VE1</b>	17.50 Lacs	17.50 Lacs	17.50 Lacs	Not required
VE1.2	Regular checking of Vehicular emission and issue of Pollution under Control Certificate (PUC)	Number of vehicles checked: 250 Number of vehicles penalized: 46 Amount (Rs) received as penalty:23000/- from 15 December 2020 to 15 March 2021	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	Yes	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE1.4	Linking of PUC centres with remote server and eliminate manual intervention in PUC testing.	12 PUC centres are online in Raebareli city.	Completed	180 days ( June 2020 including the grace period of COVID -19 pandemic situation)	No	Completed	Number	Yes	List of PUC centers <b>Annex -VE1</b>	17.50 Lacs	17.50 Lacs	17.50 Lacs	NO
<b>VE3</b>	<b>Freight transport</b>												
<b>VE3.4</b>	Check overloading: Use weigh-in-motion bridges / machines (WIM) and Weigh bridges at entry points to the city to check the payload of commercial vehicles. As per the CMVR, a penalty of 10 times the applicable rate for overloaded vehicles is applicable.	One Pit-less Electronic Weigh Bridge install at Unchahar, Raebareli, Uttar Pradesh and install weigh in motion bridges on toll plazas of Dakhina Sekhpur NH-24B (Old NH30) Of Uttar Pradesh Km 42.500	Regular activity	180 days	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	Yes	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
<b>VE4</b>	<b>Clean fuel and fuel Quality</b>												
<b>VE4.1</b>	Check on fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data	The sales managers of the oil company IOCL, BPCL and HPCL have been informed that they have regularly checked retail outlets in the year 2019 and regular checks and sampling by the oil companies in the year 2020. The investigation found no quality deficiencies and irregularities in any of the retail outlets.	Regular activity	30 days	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	No	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
<b>VE5</b>	<b>Parking Management</b>												

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE5.1	Prevent parking of vehicles in the non-designated areas	No. of vehicles found: 09 No. of vehicles penalized:09 Amount (Rs) received as penalty: Rs. 2000/- from October 2020 to 15 December 2020	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	No	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE5.3	Penalise parking of vehicles in non designated areas	No. of vehicles found: 09 No. of vehicles penalized:09 Amount (Rs) received as penalty: Rs. 2000/- from October 2020 to 15 December 2020	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	No	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE6	<b>Strengthening of Public Transportation</b>												
VE6.7	Steps for promoting battery operated vehicles like Erickshaw/ECart	Land for establishment of battery charging station has been allocated by Raebareli development authority in Amol Vihar scheme. Land for battery charging station has allocated by rda in Amol Vihar scheme land cost is 15.00 lac service provider may purchase land from RDA	78 E - Rickshaw Regular activity	120 days (April 2020)	Yes , Dec 2024	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE7.	<b>Traffic Congestion</b>												
VE7.2	Synchronize traffic movements/Introduce intelligent traffic system for lane-driving	There are eight routes in the city. Signal lights for traffic control will be proposed at busy four intersections of the city. Total 74 challans have been done for violation of traffic rules. Routine Action, Traffic movements are controlled by traffic police officers regularly.	Regular activity	180 days ( June 2020 including the grace period of COVID -19 pandemic situation)	Yes, Fresh Project to be Awarded for ITMS	ITMS Installation	Number	No	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Rs 95 lacs
		Traffic hotspots has been identified by Google Map Navigation and 10 traffic Hotspot identified in Raebareli.	Identification of Hotspot at Congestion	Completed	No	Completed	Number	Yes	List of Hotspots <b>Annex -VE2</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
		Direction to SP traffic has been issued by HO by letter no. G33949/C-5/स।0 0534/2020 date 20.10.2020	Regular activity	Regular activity	No	Regular Activity	Text	Yes	Copy of letter <b>Annex -VE3</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
VE7.3	Prepare plan for construction of diversion ways/ bypasses to avoid congestion due to nondesigned vehicles.	Detailed Project Report of Raebareli to Allahabad Section of NH-30 (Old NH-24B) for Construction of Four Lane Bypasses at Jagatpur, Babuganj, Unchahar, Alapur, Link Road to NH-19 (OldNH-2) & Bridge over River Sai at Ch 84+170 in the State of Uttar Pradesh	4 lane bypasses	540 Days (June 2021 including the grace period of COVID -19 pandemic situation )	No	4 lane bypasses	Number	Yes	As given in present status	Rs1534.43 Cr	131.15Cr (Jagatpur) 1112.79 Cr. (Babuganj) 290.49Cr. (Unchahar)	Rs1534.43 Cr	Not required

Action point code	Action point	Present status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
VE7.4	Prepare plan for widening of road and improvement of infrastructure for decongestion of road.	1- Construction of work deep shoes to railway station gate. 2- Construction of work Deewani gate to ghantaghar chauraha 3- Construction of work ghantaghar chauraha to LKO- Raebareli marg. 4- Construction of work Dr. B.R Ambedkar Murti to Khalsa Chauk. 5- Construction of work Civil Hospital to Khalsa Chauk to super market to ghantaghar chauraha. 6- Construction of work ghantaghar chauraha to deep shoes. 7- Construction of work shakti Nagar in maal godam to Shuddho Begum. 8- Construction of work Shakti Nagar in Shuddho Begum Savita Brijesh to hanshi khushi utsav lawn.	08 Roads Completed	Completed	No	08 Roads Completed	Number	Yes	As given in present Status	Rs 270.25 lakhs	Rs 270.25 lakhs	Rs 270.25 lakhs	Not required
VE8	<b>Launch Public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicle, lane discipline, etc.</b>	05 Traffic awareness in Monthly program in the Transport Area of city to aware divers to follow the traffic rule and also all used through the loud speaker for the awareness of using public transport and minima to use of personal vehicles	Regular activity	Regular activity	No	Regular Activity	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE11.3	Enforcement of law against visibly polluting vehicles: remove them from road, impose penalty, and launch extensive awareness drive against polluting vehicles.	Number of vehicles checked: 250 Number of vehicles penalized: 46 Amount (Rs) received as penalty:23000/- from 15 December 2020 to 15 Mar 2021	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	Yes	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE11.5	To increase fine on vehicle owners (not drivers) where the visible smoke is emitted and noticed.	No. of vehicles found: 28 No. of vehicles penalized:28 Amount (Rs) received as penalty: Rs. 2,80,000/- from October 2020 to 15 December 2020	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular Activity	Number	Yes	As given in present status	Not required	Not required	Not required	Not required
VE12	<b>NMT</b>												
VE12.1	Introducing cycle tracks along with the roads	NPP and RDA Department will be prepare a policy.	cycle tracks along with the roads	360 days	No	cycle tracks along with the roads	Number	no	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
VE 14	Monitoring of traffic hotspots by Google Map Navigation with logbook recording.	Traffic hotspots has been identified by Google Map Navigation and 10 traffic Hotspot identified in Raebareli.	Identification of Hotspot at Congestion	Completed	No	Completed	Number	Yes	List of Hotspots <b>Annex -VE2</b>	Not required	Not required	Not required	Not required

## INDUSTRIES

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
<b>IP1</b>	<b>Industrial air pollution control</b>												
IP1.1	To intensify monitoring of industries to reduce of emission by the industries.	Industries are being closely monitored by the regional office, checking burning fuel and including installation of PTZ cameras on chimneys installed in air polluting operating industries in the Nagar Palikal area.	Compliance in industries.	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Compliance in industries.	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.2	Action against non-complying industrial units	Issue of show cause notice for imposition of environmental compensation by State Board Letter No. 259 / C-5 / R / 2020-21 dated 07.08.2020 for prevention of air pollution arising out of loading-unloading of goods on railway siding at Rae Bareli	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	Yes	<b>Annex - IP 1</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.3	Shifting of Polluting Industries	No , any polluting industry identified	Regular activity	360 days (Dec 2020 including 4 months grace period due to covid 19 pandemic )	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.5	Random auditing for Air pollution measures and Online reporting systems in the industries	In the Nagar Palika area only one Red Categaroy Unit M/s Birla Corporation Ltd (Cement Unit) is operated and random checking of Air pollution control system is done by UPPCB	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.7	Identification of air polluting industries and their regular monitoring including use of designated fuel	Inspected by the regional office to investigate the burning of fuel in three industries namely M/S Dua Industries, M/S Safari Plywood, M/S Astha Industries located in the municipality area, found the designated fuel use.	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.9	Fugitive emission control	Bulker cleaner system installed in NTPC Unchahar Raebareli for controlling fugitive emission.	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
IP1.10	Ensuring installation/Up-gradation and operation of air pollution control devices in industries	For M/s BIRLA CORPORATION LIMITED red category industry based Electric Power:- •Total Power consumption for Production of Cement in KWh/MT of cement For RCW Unit - 33.50 KWh/MT of Cement For RHTC Unit - 9.00 KWh/MT of Cement and total 15 bag filters installed as APCM All orange category air polluting units already installed air pollution control devices. It is regularly checked by UPPCB	Compliance in Industries	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Compliance in Industries	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.11	Action/closure against defaulting/unauthorized industrial units.	No major defaulter air pollution unit within city limit.	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP1.26	Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries.	Bank guarantee is being taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries. Inspection and verification of compliance of conditions imposed in CTE/CTO is regularly carried out by UPPCB personnel. In financial year 2020-2021 One large industry has submitted 3.50 lakh Bank guarantee in compliance of imposed conditions in expansion CTE. 1-M/s BIRLA CORPORATION LIMITED AMAWA ROAD INDUSTRIAL AREA, Raebareli.	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required
<b>IP3</b>	<b>OCEMS in Industries</b>												
IP3.2	Implement Continuous Emission Monitoring System (CEMS) across all targeted and applicable polluting industry	Continuous Emission Monitoring System has installed in red category unit M/s BIRLA CORPORATION LIMITED within raebareli city limit. Nevco Supplied, Sintrol Model- S303 RCW-2 nos and RHTC- 1 nos. Also connected to CPCB server.	Regular activity	60 days, and thereafter, regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required
IP3.3	Development of mobile facility/van for continuous ambient air quality monitoring for different localities.	No mobile facility/van proposed by NPP.	Completed	360 days (Dec 2020 including 4 months grace period due to covid 19 pandemic )	No	Completed	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
IP3.4	Live camera feed and to take action against non-complying industrial units	No any non complying unit found.installation of PTZ cameras on chimneys installed in 03 air polluting operating industries in the Nagar Palikal area.	Compliance in industries.	60 days, and thereafter, regular activity	No , Regular enforcement activity	Compliance in industries.	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required
<b>IP4</b>	<b>Clean fuel in industries</b>												
IP4.5	Restriction on using un-authorized fuels in industries	Not using un-authorized fuels in industries	Regular activity	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Regular activity	Text	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
IP4.7	Alternate fuel- Hotel industry directed to change fuel patten from HSD to Natural Gas.	Continuous Process, GOI has floated Ujjwala Scheme for facilitating use of LPG as domestic fuel instead of burning wood, cow dung cakes, coal etc. Department has strictly ensure it.	Not required	Regular activity	No , Regular enforcement activity	Ongoing	Number	Yes	As given in present status .	Not required	Not required	Not required	Not required
<b>IP5</b>	<b>Control of air pollution from Brick kilns</b>												
IP5.1	Adapting new technologies for Brick kilns	No. of brick kilns Converted to Zig-Zag technology – 30	Compliance in Brick Klin	360 days (Dec 2020 including 4 months grace period due to covid 19 pandemic )	No	Compliance in Brick Klin	Number	Yes	List of 30 converted Klins <b>Annex - IP 2</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5.2	identification of brick kilns and their regular monitoring including use of designated fuel and closure of unauthorized units.	Total no. of brick kilns – 386 Closure issued – 07 Prosecution under Air Act 1981 – 00, Converted to Zig-Zag - 30	Compliance in Brick Klin	60 days( Oct 2019 )	No	Compliance in Brick Klin	Number	Yes	<b>Annex - IP 3</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
IP5.3	Conversion of natural draft brick kilns to Force/ induced draft.	No. of brick kilns Converted to Zig-Zag technology – 30	Compliance in Brick Klin	360 days (Dec 2020 including 4 months grace period due to covid 19 pandemic )	No	Compliance in Brick Klin	Number	Yes	List of 30 converted Klins <b>Annex - IP 2</b>	Not required	Not required	Not required	Not required
<b>IP11</b>	<b>Control of air pollution from generator sets</b>												
IP 11.6	Monitoring of DG sets and action against violations. Fine should be imposed on defaulters.	By & large, due to uninterrupted power supply in the city, D G Set operation is only for stand by purpose as & when required.	Compliant D.G.Sets	30 days ( Sept 2019 )	No	Regular activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

## WASTE AND BIOMASS- DUMPING AND BURNING

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
<b>BB1</b>	<b>Biomass Burning</b>												
BB1.1	Regular check and control of burning of municipal solid wastes	NPP team regular check and stop of solid waste burning by the installation of water pump at the municipal solid waste processing side and install fire extinguisher at the transportation vehicle and organized awareness program time to time by the department. Total no. of team involved for control of open burning 04. A total of 45 inspections were conducted during the 15 Dec20 -15 March 21.	No burning of MSW	90 days (Nov -2019 )	No , Regular enforcement activity	No burning of MSW	Number	Yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.2	Defaulters for open burning to be imposed fines	All field level officers have been directed to report burning in their areas. The notice was sent to the concerned NPP department for imposing the penalty if it was found to be in the state of burning garbage at 03 locations. 19 notices were sent to defaulters for open burning	No burning of MSW	Regular Activity	No , Regular enforcement activity	No burning of MSW	Number	Yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.3	Identify Garbage burning locations	3 garbage burning location identified under nagar palika area and Notices were sent to NPP to Stop the burning of these locations.	No burning of MSW	Regular Activity	No , Regular enforcement activity	No burning of MSW	Number	Yes	<b>Annex - BW1</b>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.4	Prohibition/complete ban on garbage burning.	As per information given by nagar palika Garbage burning is prohibited in NPP RBL jurisdiction if any one found then fine is imposed. Rs 650/- fine has been collected from 15 Dec20 to 15 March 21	No garbage burning	Regular Activity	No , Regular enforcement activity	No garbage burning	Number	Yes	As given in Present Status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.5	Launch extensive drive against open burning of biomass, crop residue, garbage, leaves, etc.	16 teams have been deputed and 45 inspection were done to prevent open burning of biomass/ municipal waste. A total of 03 defaulters were found and 19 notices were issued during 15 Dec20 to 15 March 21.Rs650/- penalty has been also imposed	No open burning of Bio Mass	90 days (Nov -2019 )	No	No open burning of Bio Mass	Number	Yes	As given in present status	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.8	Providing Organic Waste Compost machines , decentralization of processing of Waste, dry waste collection centers.	For Wet Waste 1 processing plant, 3 decentralised composting pit are available and for dry waste MRF center is being setup.	100% door to door collection.	90 days (Nov -2019 )	No	100% door to door collection.	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
BB1.9	Awareness for controlling of burning of agricultural waste and crop residues.	<p>1- A ban on burning of agriculture waste and crop residue has been imposed by the Environment Department under provisions of Air act on 28.10.2015.</p> <p>2- Govt. order dated 10.02.2017 has been issued by the Department of Agriculture to ensure the use of combined harvesting machine and straw ripper with binder to restrict burning of agricultural residual waste.</p> <p>3-A scheme of "Promotion of Agriculture Mechanization for In-Situ management of crop residue is being run since financial year 2020-21 with the support of Government of India.</p> <p>4-There has been 36% reduction in burning incidents in year 2019 compared to year 2018, The State will take all steps to prevent the stubble burning completely in the State in the next paddy harvesting season.</p> <p>5- Crop residual burning prevents and awareness programmes organised by department time to time.</p> <p>6-One field worker has made in-charge for a group of villages and the Gram Pradhan and Lekhpal have been entrusted with the responsibility to ensure compliance.</p> <p>7-Total crop residue/ another burning event is 43 report in Raebareli. The burn events involve 45 farmers and collected penalty Rs. 112500.00 by revenue department.</p>	Regular Activity	Regular activity	No	Completed .	Number	Yes	Action Plan 2021-22 <b>Annex-WB2</b>	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.10	No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots.	Cleaning of vacant plots is being done regularly plantation is done on side path of road	Regular Activity	90 days (Nov-2019)	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB1.11	Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc	Dead bodies of animals buried scientifically away from the city. However, there is no planning for treatment facility at present.	Regular Activity	360 days (Dec-2020 with 04 months grace period due to COVID-19 pandemic situation)	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB 1.12	Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land.	The Municipal Solid Waste door to door collected and solid waste process at the 70 TPD Processing Plant of M/s ACCORD HYDROAIR PVT. LTD. Raebareli. Door to Door Collection of segregated waste is done by NPP RBL and is directly sent to processing plant.	100 % Door to Door Collection ( Total waste generated in 40 TPD )	Regular Activity	No	100 % Door to Door Collection ( Total waste generated in 40 TPD )	Number	Yes	As given in Present Status	44.90 Lakh	44.90 Lakh	Yes	1.0 cr in financial year 2021-2022
<b>BB2</b>	Ensure segregation of waste at source	75% segregation of waste at source rest in segregated in Waste Processing Plant (M/s Accord Hydro Pvt Ltd) in Raebareli. ( Total Number of segregation 31 Wards and 478 sweepers of Nagar Palika Parishad Raebareli are engage solid waste related works )	100 % Segregation of Waste	Regular Activity	No	100 % Segregation of Waste	Number	Yes	As given in Present Status	70.84 Cr(Including 478 sweeper salaried.)	70.84 Cr	Yes	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
BB3	Proper collection of Horticulture waste and its disposal following composting-cumgardening approach	Direction have issued to Reform club , Raebareli Development authpority and Nagar Palika Parishd for managing their biodegradable waste/Horticulture waste by making compost pit or by waste to compost machine.Nagar Palika Parishd maintaining 15 parks in Raearli out of which 02 parks have been provided with two each compost pits.	Total 4 Compost pit	240 days ( April 2022 )	No	Total 4 Compost pit	Number	No	Annex - BW3	1.63 cr	1.63 Cr	1.63 Cr	Not required
BB5	Ambient air quality monitoring of municipal dumping sites and parks	AQI Monitoring is proposed by third party.	Regular Activity	240 days ( April 2020 )	Yes ,March 2021	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required
BB6	Check/stop on Stubble Burning	All field level officers have been directed to report burning in their areas. Preventive measures are applying by farmers. Crop residual burning prevents and awareness programmes is being organized by department. Total Rs 112500.00 penalty recovered from 45 farmers for crop residue burning.	No Stubble Burning	Regular Enforcement	No	No Stubble Burning	Number	Yes	Comprehensive Action Plan 2021-22 Annex-WB4	Not Required	Not Required	Not Required	Not Required
BB10	Landfill fire												
BB10.2	Adopt roadmap for zero landfill policy to promote decentralized waste segregation, reuse and recycling	Promoting decentralised/bulk waste generators to segregate waste to reuse and recycle.	Not required	Regular activity	No	Ongoing Activity	Text	No	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required
BB11	Fire crackers—regulate to control their usage	District administration has issued directions by letter no.470/श10/ 2020 date 10/11/2020 for ban on high decibel firecrakers and for use of only low polluting green firecrackers.	Enforcement as per Hon'ble Supreme Court's directions	Regular activity	No	Not required	Text	No	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required
DF1	<b>Domestic Fuel</b>												
DF1.1	Increasing the LPG connections in low income strata.	The Nodal Officer Ujjwala Scheme has made available to the families living in the area under the Ujjwala scheme free of cost, as well as being aware of the benefits of using these methods for the use of domestic gas.	Regular Activity	30 days ( Sep 2019 )	No	Regular Activity	Number	Yes	As given in Present Status	Not required	Not required	Not required	Not required
DF1.2	Ensuring promotion and use of cleaner fuel (i.e. LPG) instead of coal fired chulas or fire-woods in the hotels and open spaces	Drive for promotion of uses of Cleaner fuel as LPG is carried out time to time with the help of oil companies representative.	Regular Activity	30 days ( Sep 2019 )	No	Regular Activity	Number	No	Nil	Not required	Not required	Not required	Not required

Action point code	Action point	Present Status	Target	Target Date	Deviation from Approved Action Plan Target	Annual Target	Field type	Attachment	Attachment Contents	Total Funds Allocated	Funds released	Funds Utilized	Additional Funds Required
DF1.8	Implementation of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)	The Nodal Officer Ujjwala Scheme has made available to the families living in the area under the Ujjwala scheme free of cost, as well as being aware of the benefits of using these methods for the use of domestic gas. As per the receiving date of Nodal Officer, Ujjwala scheme dated 27/11/ 2020, 219560 No's of gas connections have been issued under Ujjwala scheme. LPG gas is being used by a total of 500400 families in the district. LPG Panchayat is being organized in the district, which aims to create awareness especially among women. Under this scheme, tribes, tribes and socially economical past and other poor families are being motivated to use LPG in view of their health.	Completed	30 days ( Sep 2019 )	No	Completed .	Number	Yes	As given in Present Status	Not required	Not required	Not required	Not required
DF1.9	Shift to LPG from solid fuel & kerosene for domestic applications	Drive for promotion of uses of Cleaner fuel as LPG is carried out time to time with the help of oil companies representative. In ujjwala scheme LPG connection is also provided to the low income strata people free of cost	Regular Activity	30 days ( Sep 2019 )	No	Regular Activity	Number	Yes	As given in Present Status	Not required	Not required	Not required	Not required

## AIR QUALITY DATA

Action Code	Action Point	Field type	Attachment	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Attachment Contents
AQ1.1	Monthly averages for PM2.5 (In µg/m3)	Number (12)		Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	Not required	-
AQ1.2	Monthly averages for PM10 (In µg/m3)	Number (12)		146	154.8	147.13		86.32	103	112	77.33	77.33	85.83	106.33	103.3	112.24	113.47	-
AQ1.3	Monthly averages for SO2 (In µg/m3)	Number (12)		11.03	10.47	9.98		4.07	6.07	6.97	6.5	6.53	6.87	7.1	7.1	10.46	7.21	-
AQ1.4	Monthly averages for NO2 (In µg/m3)	Number (12)		16.83	16.53	15.2		9.67	11.67	12.77	12.23	11.67	12.13	12.47	12.63	12.04	12.53	-
AQ1.5	Annual averages for PM2.5 (In µg/m3)	Number (1)		Not required												Not required	-	
AQ1.6	Annual averages for PM10 (In µg/m3) ( Jan - Dec 2020 )	Number (1)		109.03												112.85	-	
AQ1.7	Annual averages for SO2 (In µg/m3) ( Jan - Dec 2020 )	Number (1)		7.52												8.83	-	
AQ1.8	Annual averages for NO2 (In µg/m3) ( Jan - Dec 2020 )	Number (1)		13.07												12.28	-	
AQ1.9	Monthly Meterological Data		No	Not required												Not required	-	



---

# ANNEXURES

---



**MICRO LEVEL PLANNING OF CITY ACTION PLAN- RAEBARELI**  
**DEPARTMENT NAME: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**Air quality monitoring network**

Action point	Time Target	Implementation agencies
Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations)	15 days and thereafter as regular activity	UPPCB

**Micro level planning**

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Installation of CAAQMS in Raebareli city	<p>01 CAAQMS is required in Raebareli City as per CPCB norms.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 01 CAAQMS to be installed by CPCB in compliance to the Hon,ble NGT order dated 21.08.2020 in O.A. No 681/201801.</li> <li>➤ Beside above UPPCB also requested to CPCB for integration and connectivity of 03 CAAQMS installed in industrial units vide letter dated 08.12.2020 &amp; 03.03.2021 with requisite Informations in prescribed format. Connectivity yet to be awaited</li> </ul>	Low	Funds details provided by CPCB, Delhi	Timeline to be provided by CPCB.	CPCB	Funds details provided by CPCB, Delhi	Not required to UPPCB	Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB	Member Secretary, UPPCB

**Timelines for the project – Installation of CAAQMS in Raebareli (In Industries)**

Activity	Sub-activity	Timeline							Remarks
		Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20	Jan 21	Feb 21	March 21	
Prebidding stage	Preparation of tender document								Completed by Industries
Bidding stage	Calling of bids & its approval								Completed
	Release of work order								Completed
Project execution	Procurement of CAAQMS								Completed
	Selection of location								Completed
	Installation of CAAQMS								Completed



## MICRO LEVEL PLANNING OF CITY ACTION PLAN- RAEBARELI FOR SA/EI STUDY

### DEPARTMENT NAME: UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

#### Knowledge and database augmentation – Source apportionment studies (Monthly)

Action point	Time Target	Implementation agencies
Comprehensive Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment	approx. 3 years(after receiving of funds from CPCB/MoEF&CC)	UPPCB

#### Micro level planning

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Comprehensive Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment study for Anpara	Work will be started after receiving the funds from CPCB/MoEF&CC.	-	Rs 150 lacs	03 Years after receiving of funds	CPCB/MoEF&CC	Nil	Rs. 150 lacs	Chief Environment Officer (Laboratory) UPPCB/ AQM Division, CPCB, Delhi	Member Secretary, UPPCB/ AQM Division, CPCB, Delhi
Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity for Raebareli	Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity for Raebareli is undergoing by IIT-Kanpur	-	Rs. 6.19 lacs	June 2021	UPPCB	Rs.6.19 lacs	No		

#### Timelines for the *Comprehensive SA/EI* study for RAEBARELI (Expected timeline depending on the work order issued by CPCB, Delhi)

Activity	Sub-activity	Timeline (Actual timeline to be provided by CPCB, Delhi)						Remarks
		Sept 21	Oct 21- Sep 22	Sept 22- Dec 22	Jan 23 – Jul 23	Aug -Oct 23	Nov 23- Dec 23	
		25%	25%	25%	25%			
Proposal stage	Release of work order							
Project execution	Data collection for emission inventory							
	Preparation of emission inventory							
	Procurement & establishment of monitoring stations							
	Sampling & Analysis							
	Dispersion & Receptor modelling							

	Data interpretation & compilation , Draft Report							
	Final report preparation & submission							
	Presentation & discussion on the submitted report							

**Timelines for the Comprehensive CC study for RAEBARELI (Expected timeline depending on the receiving of funds)**

Activity	Sub-activity	Timeline (Actual timeline to be provided by CPCB, Delhi)					Remarks
		Sept 21	Oct 21- Jan-22	Feb22- Apr 22	May22- Jul 22	Aug22 - Oct22	
		25%		25%	25%	25%	
Proposal stage	Release of work order						
Project execution	Data collection and compilation of monitored data for the 10 years						
	Preparation of emission inventory						
	Application of dispersion model						
	Literaturereview and protocol for CC						
	Data interpretation & compilation						
	Final report preparation & submission						
	Presentation & discussion on the submitted report						

**Timelines for the Rapid study of Source Apportionment & Carrying Capacity (undergoing)**

Activity	Sub-activity	Timeline					Remarks
		April 20	June 20 -Dec 20	Jan 21- Feb21	March 21	May- July 21	
		25%		25%	25%	25%	
Proposal stage	Release of work order						
Project execution	Data collection and compilation of monitored data for the 10 years						
	Preparation of emission inventory						
	Application of dispersion model						
	Literaturereview and protocol for CC						
	Data interpretation & compilation						
	Final report preparation & submission						
	Presentation & discussion on the submitted report						

**Mechanism for Monitoring, Review and reporting (Monthly)**

Key performance indicators	Performance assessment		Reason for delay in completion	Steps taken to minimize the delay
	Parameter	Details		
Timely completion of activities	Total operational activities			
	Activities completed within timeline			
	Total time slippage w.r.t. original timeline			
Refinement of action plan based on recommendations of SA study	Addition & prioritization of action points as per the recommendations			
	Identification of hotspots & high impact sources on air pollution of the city			
	Micro planning & implementation for control of pollution due to high impact sources and of hotspots			
Monitoring	Impact on hotspots& high impact pollution sources due to focussed actions			

**Uttar Pradesh Pollution Control Board  
Training Calender 2021-2022**

A.Training and Capacity building of UPPCB officials								
S.No.	Training Topics	Mode of Training	Training Agency	Durartion/Timeline for Development of Training modules	Duration	Tentative Schedule	Tentative Number of Participants	Remarks
1	Functioning of Air Pollution Control System (APCS) installed in Industries	Online	UPPCB	Dec-21	3 Days	Jan-March 2022	10/ NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
2	Training for Preparation and Up-gradation of Emission Inventories on GIS Platform along with Source Apportionment Studies and its use for up-gradation of City Clean Air Action Plans	Online	UPPCB	Jan-22	5 Days	Jan-March 2022	5/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
3	Training on Air Quality Monitoring which includes Ambient AQM, Monitoring of Pollution Sources and Hotspots for intervention impact assessment along with data interpretation and proposed actions	Online	UPPCB	Sep-21	2 days	Jan-March 2022	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
4	Training on Assessment of Pollution Load of sources including stack monitoring, assessment of suspended dust by roads etc. along with data interpretation	Online	UPPCB	Sep-21	3 Days	Dec 2021-Feb 2022	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
5	Training on Virtual monitoring of pollution sources through online portal from Control Rooms	Online	UPPCB	Jun-21	2 days	July- Dec 2021	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
6	Training on the Use of Laboratory Information Management System (LIMS)	Online	UPPCB	Jun-21	3 Days	July- Dec 2021	10/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
7	Training on Noise Monitoring, preparation of Noise Maps and data interpretation	Online	UPPCB	Jun-21	2 Days	July- Dec 2021	2/NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
8	GIS Training for Air Pollution Source Identification and their Monitoring	Offline	Residential Training Conducted By Remote Sensing Application Centre, Lucknow	-	1 week	11 May- 18 May	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	

9	Advance Instrumental Analytical Techniques and Preventive Maintenance	Offline	National Institute of Occupational Health, NirmalBhavan, Poojanahalli Road, Off NH-7, Devanahalli Taluk, Kannamangala Post, Bangalore-562 110	-	1 week	7 June- 14 June	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	
10	Advance Instrumental Analytical Techniques (AAS, ICP-OES, XRF, GC-MS, ATDGC, HPLC, IC, EC/ OC, TOC etc.)	Offline	Analytical Instrumentation Division, National Environmental Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur - 440 020	-	1 week	15 June- 21 June	2 from UPPCB HQ	
11	Training on Preparation of Standard Operating Procedures for Analytical Techniques	Offline	IITR, Lucknow	-	1 week	12 July- 18 July	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
12	Training on Measurement Uncertainty	Offline	4-days Training conducted by BIS/ CIPET	-	4- days	16 Aug-19 Aug	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID- 19 Pandemic Conditions
13	Laboratory Quality Management & Internal Audit as per ISO:IEC 17025:2017	Offline	4-days Training conducted by BIS/ CIPET	-	4- days	13 Sept-16 Sept	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID- 19 Pandemic Conditions
14	Real Time Monitoring of Continuous Ambient Air Quality Monitoring (CAAQM), Merits, Demerits, Standard Operation & Maintenance Procedures, Data Validation, Interpretation & Presentation. Calibration & Quality Assurance, Uncertainty Aspects and Related Formats/ Check Lists	Offline	Private Vendor	-	3 days	20 April- 22 April	2 from UPPCB HQ	
15	Air Pollution Control Devices & OCEMS for various sectors	Offline	Environment Management Division, Engineering Staff College of India, GachiBowli, Hyderabad - 500 032	-	1 week	4 october-10 October	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID- 19 Pandemic Conditions
16	Environmental Data Interpretation, Compilation, Analysis, Presentation and Reporting – Hands-on-Training and Case Study	Offline	Indian Statistical Institute, 7, S.J.S. Sansanwal Marg, New Delhi -110 016	-	1 week	18 Dec-24 Dec	2 UPPCB HQ & 1 from each NAC Total 9	Will be subjected to COVID- 19 Pandemic Conditions
17	Environmental Legislations, Interpretation, Enforcement, Legal and Statutory Requirements – Case Studies	Offline	National Law School of India University, Post Bag No. 7201, Nagarbhavi, Bangalore - 560 072 (Karnataka)	-	1 week	3 Jan,22 - 9 Jan,22	2 from UPPCB HQ	Will be subjected to COVID- 19 Pandemic Conditions
<b>B.Training and Capacity building of Urban Local Bodies and Other Stakeholders</b>								

S.No.	Training Topics	Mode of Training	Training Agency	Durartion/Timeline for Development of Training modules	Duration	Tentative Schedule	Tentative Number of Participants	
1	For Air Pollution Control System (APCS) Operators & Supervisors in Industries for effective functioning of APCS	online	UPPCB	Dec-21	1 Week	Jan-March 2022	50/ NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
2	For Boilers Operators with the objective of ensuring Efficient & Pollution free operation of Boilers intalled in the industries	online	UPPCB	Dec-21	1 Week	Jan-March 2022	50/ NAC	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
3	For employees of ULBs regarding Control of Air Pollution	online	UPPCB	Sep-21	5 Days	Oct 2021- March 2022	All concerned employees of ULBs	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
4	For Site Incharge and Supervisors of Construction & Infrastructure Development Projects for control of Dust Pollution and use of Dust App	online	UPPCB	Sep-21	3 Days	Oct 2021- March 2022	All opreative construction projects	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
5	For Making the RWAs & Citizens to adopt environmental friendly practices and motivate them to lead reduced pollution load lifestyles and recognising them as Paryavaran Prahari along with development of a Mobile App	online	UPPCB	Sep-21	1 week	Oct 2021- March 2022	For Mass Awareness	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
<b>C.Training and Capacity building of Local Technical Institutes with the help of IoR identified under NKN</b>								
S.No.	Training Topics	Mode of Training	Training Agency	Durartion/Timeline for Development of Training modules	Duration	Tentative Schedule	Tentative Number of Participants	
1	Preparation and Up gradation of Emission Inventories on GIS Platform along with Source Apportionment Studies and its use for upgradation of City Clean Air Action Plans	online	UPPCB	Dec-21	5 Days	Jan-March 2022	05/ Local Institutes	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
2	Air Quality Monitoring which includes Ambient AQM, Monitoring of Pollution Sources and Hotspots for intervention impact assessment along with data interpretation and proposed actions	online	UPPCB	Dec-21	3 days	Jan-March 2022	05/ Local Institutes	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC
3	Assessment of Pollution Load of sorces including stack monitoring, assessment of suspended dust by roads etc.	online	UPPCB	Dec-21	4 Days	Jan-March 2022	50/ Local Institutes	Timeline is subjected to availability of funds under XV FC

## Action Taken Report of Raebareli City upto Feb-2021

### a) Enforcement

S. No.	Air pollution sources	No. of teams deputed for inspection	No. of total inspections	No. of defaulters	Action taken					
					Notices	Cases referred for fine under NGT Act.	Fine imposed	Fine collected (in Rs.)	Show cause notice	No. of Closures done
1.	Industrial activity	1	61	0	1	0	0	0	0	0
2.	Open burning <ul style="list-style-type: none"> <li>• Municipal</li> <li>• Biomass</li> </ul>	14	133	4	26	0	503	750	0	0
3.	Dust from Building Construction projects Highways/ Building materials	1	3	0	3	0	0	0	0	0
4.	Dust from Construction & Demolition Activities	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Air Pollution from Brick Kilns	1	13	0	2	0	0	0	0	0
6.	Visible Polluting Vehicle	0	0	68	0	0	290500	0	0	0
7.	Old Polluting Vehicle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>210</b>	<b>72</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>291003</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C.

From,

Sudhir Garg,  
Principal Secretary,  
Government of Uttar Pradesh.

To,

Member Secretary,  
National Disaster Management Authority,  
NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave,  
New Delhi - 110029.

Environment, Forest &  
Climate Change Section-7,

Lucknow : Dated: 22 December, 2020

**Sub:-** Compliance of order of Hon'ble National Green Tribunal dated 20.11.2019 passed in O.A. No. 681/2018 in the matter of News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15" reg.

Dear Sir,

Please refer to the captioned order of Hon'ble NGT dated 20.11.2019 vide which it was directed that the emergency arising out of severe air pollution levels may be treated as a disaster and an Emergency Response System may be developed accordingly. The relevant operative portion of the order dated 20.11.2019 is reproduced below-

*".....27. With regard to finalization of Emergency Response System (ERS), we are of view that the State Disaster Management Authorities in coordination with the SPCBs/PCCs and State Units of Meteorological Departments may include emergency as a part of disaster management and develop ERS accordingly which may be placed in public domain."*

In order to ensure compliance of this order, Uttar Pradesh Pollution Control Board had issued a direction under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 dated 18.02.2020 to Uttar Pradesh Disaster Management Authority (UPSDMA) for development of Emergency Response System. The matter was also reviewed by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh on 02.12.2020 in which UPSMA submitted that the guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS have not been issued by the apex body namely National Disaster Management Authority (NDMA). It was decided in the said meeting dated 02.12.2020 that a request letter for issuance of the required guidelines may be sent to NDMA, Central Pollution Control Board and Ministry of Environment Forest & Climate Change, Government of India.

Therefore, it is requested that the Guidelines for treating the emergency arising out of severe air pollution levels as disaster and development of ERS accordingly may kindly be issued at the earliest so that the necessary steps may be taken up by the State for compliance of orders of Hon'ble NGT.

Yours Sincerely,

(Sudhir Garg)  
Principal Secretary.

CEO (Env)  
Exp/1100  
22-12-2020  
(श्री विश्व मोहन)  
गदरस सचिव

SA(S)  
22/12/2020  
CEO

**Letter No.:N.G.T.-652/81-7-2020-09(Writ)/2016 T.C., Dated.**

**Copy:** For taking up necessary action for issuance of guidelines to-

1. Secretary, Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jorgabh Road, New Delhi – 110003.
2. Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi – 10032.
3. Member Secretary, UP State Disaster Management Authority, Picup Bhawan, B-2 Ground floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226010.
4. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.

  
( Sudhir Garg )  
Principal Secretary.

**Public Awareness & Engagement Calendar FY - 2021-22**

<b>S. No.</b>	<b>Date</b>	<b>Theme/Issue</b>	<b>Organizing Department/Agency</b>	<b>Target Group</b>	<b>Source of Funding</b>
1	April-June 2021	Clean Environment Hackathon, 2021 (Online Hackathon for moonshot awareness campaign tool to help people to assess environmental impact of their lifestyle, thereby coaxing them to reduce their environmental footprints.)	UPPCB	Students & Professionals	UPPCB/CSR Funds
2	April 2021- March 2022	Paryavaran Prahari Programme for orientation of people on various environmental issues by involving them in IEC activities	UPPCB	All Citizens	UPPCB Funds
3	22 <sup>nd</sup> April, 2021	World Earth Day – Restore Our Earth	Madhyamik Shiksha/Basic Education & Industries	Class 1 – 12/ Industries	Departmental Funds & CSR Funds
4	5 <sup>th</sup> June	World Environment Day – Ecosystem Restoration	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	Schools/Colleges/RWAs /Industries	Government Funds & CSR funds
5	1 <sup>st</sup> July – 7 <sup>th</sup> July, 2021	Van Mahotsav (Plantation Drives)	All Departments/Agencies/Industries and Individuals	Schools/Colleges/RWAs/Industries/ Government Departments	Government Funds & CSR funds

6	16 <sup>th</sup> September, 2021	World Ozone Day - Ozone: All there is between you and UV	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	Schools/Colleges/RWAs/Industries	
7	20 <sup>th</sup> September – 23 <sup>rd</sup> September, 2021	PUC Awareness Drive	Transport Department UP	All Stakeholders	Departmental Funding
8	24 <sup>th</sup> September, 2021 – 30 <sup>th</sup> September, 2021	Graded Response Action Plan Awareness Workshop	UPPCB & District Environment Committee	All Stakeholders	UPPCB Funds
9	1 <sup>st</sup> October, 2021	C&D Waste Management Awareness Workshop	Urban Development Department	CREDAI/Builders/Contractors	Departmental Funding
10	2 <sup>nd</sup> October, 2021	Solid Waste Management – Engaging Ragpickers and Society	Urban Development Department	RWAs/Rag pickers/Waste Warriors	Departmental Funding
11	October, 2021 – Every Saturday	Plogging : Plog-a-thon	UPPCB	RWAs/Industries/Institutes/Schools	
12	25 <sup>th</sup> October, - 29 <sup>th</sup> October, 2021	Fire Crackers Awareness Campaign	Higer/Madhyamik/Basic Education Department & District Environment Committee	Schools/Colleges/RWAs	Departmental Funding
13	11 <sup>th</sup> January – 17 <sup>th</sup> January, 2022	Road Safety Awareness – Traffic Management & Air Pollution	Transport Department & Traffic Police	All Stakeholders	Departmental Funding
12	24 <sup>th</sup> January, 2022	Circular Electronics Day – Electronic Waste Awareness Workshop	UPPCB	All Stakeholders	UPPCB & CSR Funds
13	2 <sup>nd</sup> February, 2021	World Wetland's Day Awareness Programme	Environment, Forest & Climate Change Department U.P.	All Stakeholders	Departmental & CSR funding

Note : Complete Programme Details to be made available on [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com) a month in advance

## List of 08 Roads

Action Point	Unit of measurement of progress	Implementing agencies	Implementation status (%completed)	Details	Action completion date as per city action plan	Deviation from targeted timelines if any
Nagarpalika Parishad Raebareli.	8 No. 2.10 km.	Raebareli.	Complete	<p>1- Construction of Work deep shoos To Railway Station Gate.</p> <p>2- Construction of Work Deewani gate To Ghantaghar Chauraha</p> <p>3- Construction of Work Ghantaghar Chauraha To Locknow - Raebareli marg.</p> <p>4- Construction of Work Dr. B.R. Ambedkar Murti To khalsa Chauk.</p> <p>5- Construction of Work Civil Hospital To khalsa chauk to Super Market to Ghantaghar Chauraha.</p> <p>6- Construction of Work Ghantaghar Chauraha to Deep shoos.</p> <p>7- Construction of Work Shakti Nagar in Maal Godam To Shuddho begum.</p> <p>8- Construction of Work Shakti Nagar in Shuddho begum Shavista Brijesh to hanshi khushi utsav lon.</p>	Completed	-

402  
AE

### **List of Roads where two time sweeping is done in Raebareli city area**

1. NH- 30 Lucknow-Allahabad National Highway (adjacent Om Clarke Inn), Rae Bareli.
2. Indira Nagar Colony, Rae Bareli.
3. Jail Garden Road, Rae Bareli.
4. Super Market Road to Station, Rae Bareli.
5. Jail Road, adjacent Anand Nagar Colony, Rae Bareli.
6. Bus Stand from Hospital Square, Opposite GIC, Rae Bareli.
7. G.G.I.C. Road, Rae Bareli.
8. Industrial Area, Sultanpur Road, Rae Bareli.

TABLE 4 : PROGRESS FOR IMPLEMENTATION OF ACTION PLAN NAGAR PALIKA PARISHAD  
RAEBARELI.

So. No.	Action Point	Unit of measurement of progress	Implementing agencies	Implementation status (%completed)	Details	Action completion date as per city action plan	Deviation from targeted timelines if any	Expected date of completion	Total cost	Remarks
12 15. 17.	Nagarpalika Parishad Raebareli.	8 No. 2.10 km.	Raebareli.	Complete	1- Construction of Work deep shoes To Railway Station Gate. 2- Construction of Work Deewani gate To Ghantaghar Chauraha 3- Construction of Work Ghantaghar Chauraha To Locknow - Raebareli marg. 4- Construction of Work Dr. B.R. Ambedkar Murti To khalsa Chauk. 5- Construction of Work Civil Hospital To khalsa chauk to Super Market to Ghantaghar Chauraha. 6- Construction of Work Ghantaghar Chauraha to Deep shoes. 7- Construction of Work Shakti Nagar in Maal Godam To Shuddho begum. 8- Construction of Work Shakti Nagar in Shuddho begum Shavista Brijesh to hanshi khushi utsav lon.	Completed	-	31.07.2020	270.25 Lacs	Total Roads are constructed/ Improved by Nagar Palika Parishad Raebareli.

49  
42  
AE

## MICRO LEVEL PLANNING RAEBARELI DISTRICT

DEPARTMENT NAME – NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (N.H.A.I.), PIU RAEBARELI

### INSTRUCTIONS FOR PREPARING THE MICRO PLAN:

- *Micro plan has to be mandatorily prepared for all the Action Points involving Projects/ Procurements which have been given in the Action Plan. However, additional Action Points relevant for improvement in the air quality and the corresponding Micro plan may also be added. The Action Points given in the Action Plan have been shown in the micro plan format with provision for addition of new action point and corresponding Micro plan.*
- *In case the DPR is not prepared, tentative timelines along with the cost estimates and possible sources of funding may be entered based on experience from similar projects.*
- *No modification shall be done in Action Points as per the original approved Action Plan.*
- *Complete details in all the columns of micro level planning tables must be provided and the information prefilled must also be checked and verified.*
- *Micro plan of regular activities need not be prepared.*
- *Timeline for project shall strictly follow the calendar month and year approach (e.g. April 2021 shall not be written as 180 days/ 6 months/ month 6) in the Gantt Chart*
- *At least 5 sub-activities shall be added in the timeline for proper monitoring of project*
- *For monitoring review and reporting at least 3 key performance indicators (KPIs) shall be identified with an aim to see the impact on implementation of city action plan*
- *For further reference the model micro plan of UPPCB may be referred which is downloadable from [www.upecp.in/model](http://www.upecp.in/model) micro plan*
- *For further clarification & guidance, Team Air of UPPCB may be contacted at the following email id and contact no.: [uppcb.ncap@gmail.com](mailto:uppcb.ncap@gmail.com), Priyanka Singh (Consultant B) – 7839891406, Aaditya Chaturvedi (Consultant A) – 7839891405*
- *Micro plan in editable MS Word and PDF file with duly signed covering letter must be sent to UPPCB on mail [uppcb@gmail.com](mailto:uppcb@gmail.com) on or before 15.11.2020*

**Vehicle emission control**

<b>Action Points as per the original Action Plan</b>				
<b>S. No.</b>	<b>Action point</b>	<b>Project Stage</b>	<b>Time Target</b>	<b>Implementation agencies</b>
1	Two/Four laning of Raebareli-Jagdishpur section of NH-330A from km. 0.000 to km. 47.80 (Design Length – 46.02 km) including Jagdishpur Bypass & excluding 4.1 km overlapping length of Jagdishpur bypass with NH-731 (old NH-56) in UP EPC.	Under DPR	2023	N.H.A.I.
2	Construction of Four Lane Bypasses at Jagatpur, Babuganj, Unchahar, Alapur, Link Road to NH-19 (Old NH-2) & Bridge over River Sai at Ch 84+170 in the State of Uttar Pradesh	Under DPR	2023	N.H.A.I.

**Table 1.1. Micro level planning:** Prepare plan for construction of expressways/bypasses to avoid congestion due to non-destined vehicles.

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Two/Four laning of Raebareli-Jagdishpur section of NH-330A.	Two/Four laning of Raebareli-Jagdishpur section of NH-330A from km. 0.000 to km. 47.80 (Design Length – 46.02 km) including Jagdishpur Bypass & excluding 4.1 km overlapping length of Jagdishpur bypass with NH-731 (old NH-56) in UP EPC.		72400	2023	MoRT&H	No	No	Project Director NHA, PIU Raebareli e-mail ID- <a href="mailto:Raebareilly@nhai.org">Raebareilly@nhai.org</a>	Regional Officer – UP (East), Varanasi. e-mail ID- <a href="mailto:rovaransi@nhai.org">rovaransi@nhai.org</a>

**Table 2.1. Micro level planning:** Prepare plan for construction of expressways/bypasses to avoid congestion due to non-destined vehicles.

Project name	Details of work	Target reduction	Total Cost (In Lacs)	Project timeline	Source of funding	Funds released	Additional fund requirement	Officer responsible	
								Project implementation	Project review
Four Laning of Raebareli to Allahabad section	Construction of Four Lane Bypasses at Jagatpur, Babuganj, Unchahar, Alapur, Link Road to NH-19 (Old NH-2) & Bridge over River Sai at Ch 84+170 in the State of Uttar Pradesh	PCU-19588	113100	2023	MoRT&H	No	No	Project Director NHA, PIU Raebareli e-mail <a href="mailto:Raebareilly@nhai.org">Raebareilly@nhai.org</a>	Regional Officer – UP (East), Varanasi. e-mail ID- <a href="mailto:rovaransi@nhai.org">rovaransi@nhai.org</a>

# Plantation List

# Annex -RD 5

क्र०स०	विभाग का नाम	निघीरत लक्ष्य	जारी किए गए मांग पत्र	घन्टे वार रोपण की प्रगति सूचना									
				7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00_01:00	01:00_2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00
1	वन विभाग	1500000	0	50000	65460	803000	1037226	1047445	1099200	1450233	1505175	1505175	1505175
2	ग्राम्य विकास विभाग	1466100	1466163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1466163
3	कृषि विभाग	281060	316360	0	28225	56212	112603	112603	141600	182690	225713	300000	316360
4	राजस्व विभाग	166900	166830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166830
5	पंचायतीराज विभाग	166900	167183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167183
6	उद्यान विभाग	101500	0	0	2320	8920	18940	18940	28440	68960	97840	101500	101500
7	पर्यावरण विभाग	91000	89000	0	0	3500	18000	18000	32660	62480	82460	89000	89000
8	बेसिक शिक्षा	3340	23956	0	0	0	0	0	11250	16860	21460	23956	23956
9	उच्च शिक्षा	21100	21100	0	0	0	0	0	11277	16422	21100	21100	21100
10	रेलवे विभाग	18700	18700	0	0	0	2480	2480	6430	14478	18700	18700	18700
11	नगर विकास विभाग	22100	16900	0	11000	0	16000	16000	17850	17850	18592	18592	16900
12	माध्यमिक शिक्षा	3340	21197	0	2230	3280	5640	5640	7600	14800	18960	21197	21197
13	लोक निर्माण विभाग	10300	10175	0	536	0	1580	1580	5554	8300	10300	10300	10175
14	स्वास्थ्य विभाग	9300	9300	0	0	0	2120	2120	4260	7463	9300	9300	9300
15	जल शक्ति विभाग	10300	11311	0	750	0	6840	6840	6840	8226	9680	11311	11311
16	उद्योग विभाग	8000	8000	0	0	0	1670	1670	1670	3200	6400	6400	8000
17	सहकारिता विभाग	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	5500	6700	6700
18	रक्षा विभाग	6700	6700	0	0	0	3240	3240	4580	6700	0	6700	6700
19	गृह विभाग	6700	6700	0	550	0	1260	1260	2280	4850	6700	6700	6700
20	परिवहन विभाग	3100	4599	0	150	350	1580	1580	2260	3480	4599	4599	4599
21	प्रावधिक शिक्षा	5500	6550	0	0	2150	0	5840	5840	5840	6550	6550	6550
22	पशुपालन विभाग	5800	5800	0	500	1120	2160	2160	3240	5800	0	5800	5800
23	आवास विकास विभाग	6700	5000	0	0	0	210	210	2280	5000	5000	5000	5000
24	ऊर्जा विभाग	4600	5750	0	0	0	860	860	1840	2470	3200	4600	5750
25	औद्योगिक विकास विभाग	3400	3400	0	310	0	1260	1260	3150	3400	0	3400	3400
26	श्रम विभाग	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	3932240	2397374	50000									4004049

प्रेषक,  
शिव जनम चौधरी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 जून, 2016  
विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 का शासन द्वारा अनुमोदन।

महोदय,  
उपर्युक्त विषय के सम्बंध में उल्लेखनीय है कि राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 के प्राविधानुसार तथा तीव्र नगरीकरण के फलस्वरूप पड़ने वाले दबाव के दृष्टिगत भूमि का आष्टिमम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु अनुमन्य एफ0ए0आर0 के "रेशनलाइजेशन", साईकिल ट्रैक्स का निर्माण सुनिश्चित करने, क्रय-योग एफ0ए0आर0 सम्बंधी प्राविधानों में विसंगति के निराकरण, पौडियम पार्किंग का प्राविधान, पार्किंग मानकों का "रेशनलाइजेशन", ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने, रूफ टॉप फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट की स्थापना करने, आवासीय भूखण्डों में बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण सम्बंधी प्राविधान सम्मिलित करने तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अन्य विसंगतियों का निराकरण करने के सम्बंध में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अन्य हितबद्ध संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के सम्बंध में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया गया।

2- प्रश्नगत प्रकरण में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के संशोधन सम्बंधी प्रस्ताव पर विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा अन्य हितबद्ध संस्थाओं से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर शासन स्तर पर हुये विचार-विमर्श के क्रम में निदेशक, आवास बन्धु/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के परीक्षणोपरान्त आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों यथा-लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, उन्नाव, गोरखपुर, रायबरेली, मेरठ, बरेली झॉसी, क्रेडाई, आर्किटेक्ट्स तथा अन्य हितबद्ध संस्थाओं आदि से सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सभी सुझावों के सारिणीकरण उपरान्त इन पर दिनांक 29.01.2016 को शासन स्तर पर सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु तथा निदेशक, आवास बन्धु व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से हुये विचार-विमर्श के उपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथा संशोधित 2011) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जिसका शासन स्तर पर प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

3- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 की प्रति (वर्तमान प्राविधानों में संशोधनों सहित) संलग्नकर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 के अन्तर्गत उक्त संशोधन पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कृपया इस पर विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुये अंगीकार करने का कष्ट करें। स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि कोई परिष्कर अपेक्षित हो तो बोर्ड की संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि शासन स्तर से प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि। (कुल-24 पृष्ठ)

भवदीय,

( शिव जनम चौधरी )


~ विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 की प्रति संलग्न करते हुये आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त उपविधि पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 2- निदेशक, आवास बुन्ध को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वेबसाईट पर अपलोड करते हुये समस्त सम्बंधित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 की प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



( शिव जनम चौधरी )

विशेष सचिव

**विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008  
(यथा संशोधित 2011) में संशोधन 2016**

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित संशोधन
1.2.6	“स्टिल्ट फ्लोर” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम तीन तरफ से खुली हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।	“स्टिल्ट फ्लोर” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मीटर हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत हो, से है।
1.2.35	“बाजार स्ट्रीट” का तात्पर्य सड़क के किनारे पवित्रबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण/महायोजना में इस रूप में चिन्हित क्षेत्र से है, जिसमें सामान्यतः भूतल पर व्यवसायिक एवं अनुवर्ती तलों पर आवासीय/ अन्य उपयोग हो।	“बाजार स्ट्रीट” का तात्पर्य सड़क के किनारे पवित्रबद्ध (लीनियर) रूप में मिश्रित निर्माण से है जो महायोजना/जोनल प्लान में इस रूप में चिन्हित किया गया हो।
1.2.41	“सर्विस फ्लोर” का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच (फ्लोर से सीलिंग तक) 2.10 मीटर की ऊँचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट, इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है।	“सर्विस फ्लोर” का तात्पर्य किन्ही दो मंजिलों के बीच फर्श से बीम तक अधिकतम 2.10 मीटर की ऊँचाई तक की मंजिल जो कि केवल भवन से सम्बन्धित पाइप, सर्विस डक्ट इत्यादि के उपयोग में लाया जाए, से है।
1.2.44	“पोडियम पार्किंग” का तात्पर्य भूतल के ऊपर (फ्लोर से सीलिंग तक) अधिकतम 2.1 मी. ऊँचे तल/तलों से है, जिस हेतु पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश और इसके निकास के लिए वाहनों के आवागमन के लिए रैम्प की व्यवस्था हो।	“पोडियम पार्किंग” का तात्पर्य बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन के अन्तर्गत पार्किंग प्रयोजनार्थ भूतल के ऊपर फर्श से बीम की निचली सतह तक अधिकतम 2.10 मी. ऊँचे तल/तलों से है, जिसमें वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए रैम्प की व्यवस्था हो तथा मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थिति में वास्तविक डिजाइन के अनुसार प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो।
1.2.48	—	“ग्रीन बिल्डिंग” का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसमें परम्परागत भवन की तुलना में जल का कम उपयोग, समुचित ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अपशिष्टों का न्यूनतम सृजन तथा अध्यासियों को स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध हो।
2.1.2.5 (IX) (ख)	20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त जलाशय का निर्माण किया जाए। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व “स्टेगनेशन” का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के सरफेस-रन-आफ को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए।	10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर जलाशय/जलाशयों का निर्माण किया जाएगा जिनका क्षेत्रफल कुल योजना क्षेत्रफल का न्यूनतम 01 प्रतिशत होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व संबंधित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए वर्षा जल के आयतन, क्षेत्र के हाइड्रोजियोलॉजिकल, टोपोग्राफी, लीथालॉजी, मृदा गुणों तथा प्रस्तावित जलाशय में वर्षा जल के संभावित ठहराव (रिटेन्शन) व “स्टेगनेशन” का अध्ययन एवं तत्संबंधी फिजिबिलिटी का आकलन किया जाए और उसके अनुसार ही जलाशय का आकार एवं गहराई निर्धारित की जाए, परन्तु जलाशय की अधिकतम गहराई 02 मीटर रखी जाए। इसके अतिरिक्त जलाशय में केवल उसी योजना के “सरफेस-रन-आफ” को निस्तारित करने की व्यवस्था की जाए, प्रदूषित जल एवं उत्प्रवाह को उसमें न मिलाया जाए। पार्क व खुले क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ढलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।

5 (ग)	20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में भी उपरोक्तानुसार जलाशय बनाए जाए एवं पार्क व खुले क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एक कोने में रिचार्ज पिट/रिचार्जशैफ्ट बनाए जाए। ऐसे रिचार्ज पिट/रिचार्ज शैफ्ट तथा जलाशय का निर्माण क्षेत्रीय हाइड्रोजियोलॉजी के अनुरूप एवं भू-जल के ड्रलान की दिशा में भूगर्भ जल विभाग के परामर्श के अनुसार किया जाए।	डिलीट किया जाता है।
2.1.2.6 (v)	—	विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में टेलीकाम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु भूमिगत टेलीकाम डक्ट अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।
2.1.5(II)	प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम तीन बार वृद्धि दी जा सकती है।	प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर अधिकतम तीन वर्षों हेतु समयावृद्धि दी जा सकती है।
2.2.2 (III)	खुले स्थान की सीमा बिल्डिंग लाइन से न्यूनतम 3 मीटर की दूरी पर होगी।	खुले स्थान की सीमा यथास्थिति मूखण्ड की सीमा/बिल्डिंग लाइन तक मान्य होगी। परन्तु मूखण्ड की सीमा से 3.0 मीटर तक के स्थान को इस प्रतिबन्ध के अधीन पाथ-वे के रूप में रखा जायेगा, कि ऐसे पाथ-वे का क्षेत्रफल प्रश्नगत खुले स्थान के कुल क्षेत्रफल से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे पाथ-वेज अनिवार्यतः परफोरेटेड ब्लॉक्स/सामग्री से निर्मित किए जायेंगे।
2.3	सड़कें	सड़कें, पाथवेज तथा साईकल ट्रैक्स
2.3.1	आवासीय भू-उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा:-	आवासीय भू-उपयोग (गुप हाउसिंग सहित) के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जाएगा:-
2.3.7	सड़कों के किनारे पर 'ब्रिक-आन-एज'/लूज स्टोन पेवमेन्ट का इस प्रकार प्राविधान किया जाए, ताकि ग्राउण्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।	सड़कों के किनारे यथासम्भव कच्चे रखे जाएंगे अथवा पाथ-वे का प्राविधान किया जाएगा। ऐसे पाथ-वे परफोरेटेड सामग्री से निर्मित होंगे या 'ब्रिक-ऑन-एज'/'लूज स्टोन पेवमेन्ट' का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउण्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।
2.3.8	—	योजनाओं के ले-आउट में 18.0 मी. एवं अधिक चौड़ी सड़कों पर साइकिल ट्रैक का प्राविधान किया जाएगा। साईकिल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान निम्नवत होगी:-

#### साईकल ट्रैक निर्माण की विशिष्टियाँ/प्राविधान

आइ.आर.सी.:11-1962 के Draft Revision में मानकों के अनुसार साईकल ट्रैक के निर्माण हेतु निम्न विशिष्टियाँ/प्राविधान होंगे। यदि आइ.आर.सी.:11-1962 के संशोधित ड्राफ्ट आने पर किसी मद का प्राविधान आइ.आर.सी. कोड में भिन्न है तो आइ.आर.सी. कोड के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

#### Design

##### (A) Width

Desirable Lane Width

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| • Arterial Roads & Sub Arterial Roads | 2.5 m        |
| • Distributory Roads                  | 1.5 to 2.5 m |

- Minimum width for a two lane cycle track should be 2.2 m. and 3 m to 4 m for a common cycle track and footpath. In case of distributory roads minimum width should be 1.2 m.

#### **Obstacles**

Where trees, electric poles and other encroachments create hindrance in the natural path of cycle, change the course of the cyclist with proper turning radius and bring back to the natural path. At such places minimum width in a stretch of 40 m can be:-

Cycle Track	=	0.75 m
Pedestrian	=	0.6 m

#### **(B) Pavement Thickness**

(i) Sub-base (GSB)	10 cm thick
(ii) Base (WMM)	7.5 cm
(iii) BM	5 cm thick
(iv) BC	2.5 cm

बी.सी. एवं एस.डी.बी.सी. के स्थान पर Micro surfacing भी की जा सकती है।

#### **(C) Edge Treatment**

##### **(1) Inner side**

मुख्य कैरिज-वे एवं साईकिल ट्रैक को अलग करने के लिये मुख्य कैरिज-वे की एज की ओर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :-

- उपलब्ध के अनुसार प्लान्टर निर्माण।
- मार्ग की सतह से 15 से०मी० ऊंचे 30X10 से०मी० साइज के Kerb स्टोन।
- रेलिंग।


ड्रेनेज के लिये यह उपर्युक्त होगा कि मुख्य कैरिज-वे मार्ग से साईकिल ट्रैक का लेवल यथा सम्भव 2 से 2.5 से०मी० नीचा रखा जाएगा।

##### **(2) Outer side**

साईकल ट्रैक के बाहरी किनारे पर रेज्ड/लेवल फुटपाथ बनाया जाना चाहिये एवं पानी को ड्रेन करने के लिये कैं०सी० ड्रेन का निर्माण किया जाएगा


#### **(D) Signage Marking**

- कैरिज-वे के ऊपर 50 से 60 मी० की दूरी पर White colour से साईकल का Symbol बनाया जाएगा:-



For Cycle Tracks/ Lanes

(ii) Traffic sign for use on all RT or any other, as per in 4.2. No RT or RT RT - Covered surface on RT or RT - RT or RT -



RT - RT or RT - RT

(iii) The width of the signposts, as per 4.2. The signposts are to be used as per 4.2.



**Compulsory Helmets**  
 Sign - to prohibit  
 motorcyclists from using  
 helmets and they  
 should wear a  
 helmet for safety.

**Compulsory Helmets**  
 Motorcyclists

**Compulsory Helmets**  
 for Motorcyclists  
 and Pedestrians




**Separated Cycle & Pedestrian Route**

**Cycle Crossing**


**Cycle Route - Ahead**

(iv) Junction




RT - RT or RT - RT

## (F) Typical Cross section




Typical Cross section for 41.5m ROW




Typical Cross section for a 32.5m ROW

## (G) Cross section



Cross section - Distributory street with Parking.



Cross section - Distributory street

2.4.1.3	उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।	उप डाकघर 100 वर्गमीटर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। उप डाकघर का प्राविधान व्यावसायिक/सुविधाजनक दुकानों/कार्यालय भवनों/संस्थागत भवनों में करने की स्थिति में न्यूनतम तल क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर होगा।
2.4.1.3	कम्प्यूटराइज्ड रेल आरक्षण काउन्टर 50 वर्ग मीटर अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो।	ई-सुविधा केन्द्र (15000 जनसंख्या पर) 50 वर्ग मीटर अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल, जो भी कम हो। इसका प्राविधान व्यावसायिक/कार्यालय भवनों/संस्थागत भवनों में करने की स्थिति में न्यूनतम तल क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा।
2.4.1.3	ए.टी.एम. सहित एक्सटेन्सन काउन्टर 15000 जनसंख्या पर-1 काउन्टर हेतु फ्लोर एरिया 75 वर्गमीटर (ii) ए.टी.एम हेतु फ्लोर एरिया 6 वर्गमीटर	डिलीट किया जाता है।

## 2.4.1.3 विद्युत सब-स्टेशन

11 के वी.ए.	15000 जनसंख्या पर-1	500 वर्ग मीटर
33के वी.ए.	-	1.0 एकड़
66 के वी.ए.	5000 जनसंख्या पर -1	1.5 एकड़
132 के वी.ए.	-	5.0 एकड़
220 के वी.ए.	500000 जनसंख्या पर-1	10.0 एकड़

## विद्युत सब-स्टेशन

11 के वी.ए.	15000 जनसंख्या पर-1	500 वर्ग मीटर
33 के वी.ए.	-	1.0 एकड़
66 के वी.ए.	5000 जनसंख्या पर -1	1.5 एकड़
132 के वी.ए.	-	5.0 एकड़
220 के वी.ए.	500000 जनसंख्या पर-1	10.0 एकड़

टिप्पणी : विद्युत सब-स्टेशन हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए उक्त मानकों से कम क्षेत्रफल प्रस्तावित करने की स्थिति में संबंधित विभाग से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर संलग्न करनी होगी।

## 2.4.1.6 क्रीड़ा कियाए

इस प्रस्तर के अंत में निम्नानुसार टिप्पणी सम्मिलित की जाती है:-

टिप्पणी : "नेबरहुड क्रीड़ा केन्द्र" तथा "आवासीय इकाईयों में क्रीड़ा-केन्द्र" का प्राविधान ले-आउट प्लान स्तर पर प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थान के क्षेत्रफल के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

## 2.4.2 (III)

जनसंख्या का आकलन एक आवासीय इकाई हेतु (गुप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाईयों, 200 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 3 इकाईयों, 300 से अधिक तथा 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाईयों अनुमन्य होगी। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के न्यूनतम 12 मीटर एवं अधिक चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित भूखण्डों में प्रति 200 वर्ग मीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 12 इकाईयों अनुमन्य होगी तथा 4 से अतिरिक्त इकाईयों हेतु उनके कुल तल क्षेत्रफल पर प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट का 10 प्रतिशत शुल्क देय होगा। जहाँ प्राधिकरण का सेक्टर रेट उपलब्ध न हो, वहाँ जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा। नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक यथावत् रहेंगे तथा पार्किंग के प्राविधान समूह आवास हेतु प्रस्तावित मानकों के अनुसार होंगे।

जनसंख्या का आकलन एक आवासीय इकाई हेतु (गुप-हाउसिंग सहित) 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 1 इकाई, 50 से अधिक तथा 150 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 2 इकाईयों, 150 से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 4 इकाईयों, 300 वर्ग मीटर से अधिक एवं 2000 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर एक इकाई परन्तु अधिकतम 20 इकाईयों के आधार पर जनसंख्या का आकलन किया जायेगा।

## 2.5.1.6

समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग व्यवस्था इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी।

200 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों हेतु पार्किंग व्यवस्था इस उपविधि के प्रस्तर 3.10 में प्राविधानित मानकों के अनुसार की जाएगी, जबकि 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित तल क्षेत्रफल पर टू-व्हीलर पार्किंग का प्राविधान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) खुले क्षेत्र में	-	30 वर्ग मीटर
(ii) कवर्ड पार्किंग	-	35 वर्ग मीटर
(iii) बेसमेंट पार्किंग	-	40 वर्ग मीटर

परन्तु 200 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में जहाँ मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है, वहाँ पार्किंग हेतु वांछित क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय सर्किल रेट पर आंकलित मूल्य के बराबर भू-स्वामी से धनराशि जमा कराकर निर्माण अनुज्ञा दी जा सकेगी। विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा तथा समुचित धनराशि जमा होने पर यथासंभव समीपस्थ क्षेत्र में कामन पार्किंग विकसित की जाएगी।

3.1.2.3 (v) (a)	—	नवनिर्मित होने वाले सभी श्रेणी के मवन परिसरों में मानकों के अनुसार आर्टिकल फाइबर के लिए डक्ट का प्राविधान।
3.1.2.3 (v) (b)	—	पाइपड नेचुरल गैस का प्राविधान (स्थानीय आवश्यकता/उपलब्धता के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने की स्थिति में)।
3.1.5 (II)	पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 3 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।	पाँच वर्ष की प्रारम्भिक स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व भू-स्वामी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर प्राधिकरण ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करना उचित समझे, अधिकतम 3 वर्षों के लिए निर्धारित नवीनीकरण/मानचित्र शुल्क लेकर समयावृद्धि दे सकता है।
3.1.9 (I)	पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हैरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मीटर परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर तथा इसके पश्चात 200 मीटर तक के क्षेत्र (रेगुलेटेड एरिया) के क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुज्ञा 'दि एनसिएन्ट मान्यूमेंट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेंस एक्ट, 1958 के प्राविधानों के अधीन पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर देय होगी।	'पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हैरिटेज स्थलों के प्रोहिबिटेड एरिया के अन्दर निर्माण अनुज्ञा देय नहीं होगी तथा इसके पश्चात रेगुलेटेड एरिया के क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुज्ञा 'दि एनसिएन्ट मान्यूमेंट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेंस एक्ट, 1958 के प्राविधानों के अधीन पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर देय होगी।'
3.2.3 होटल	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर तथा गैर-आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-5 के अनुसार होंगी।	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल इससे कम हो सकता है। होटल के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-5 के अनुसार होंगी।
3.2.6 पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन	पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30 मी. X 17 मी., फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 36 मी. X 30 मी., फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन-कम-वर्कशॉप का न्यूनतम आकार 45 मी. X 36 मी. तथा ड्रुहिया एवं तिपहिया वाहनों हेतु फिलिंग स्टेशन का न्यूनतम आकार 18 मी. X 15 मी. होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-8 के अनुसार होंगी।	पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 16 मी. x 14 मी., फिलिंग-कम-सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 25 मी. x 25 मी. होगा, जो निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-8 के अनुसार होंगी।
3.2.10 मल्टीप्लेक्स	मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना/ जोनल प्लान /सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-14 के अनुसार होंगी।	मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा, जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात् भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल तथा विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं इस उपविधि के अध्याय-14 के अनुसार होंगी।

3.2.11 छविगृह /सभा भवन	निर्मित क्षेत्र में छविगृह तथा सभा प्रयोजन के लिए व अन्य ऐसे भवनों के भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई (फ्रन्टेज) 30 मीटर होगी, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर होगा। परन्तु विकसित, विकासशील एवं नए क्षेत्र में छविगृह, सभा भवन व अन्य भवनों में भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई 45 मीटर होगी जो न्यूनतम 24 मीटर विद्यमान सड़क पर होगा।	निर्मित क्षेत्र में छविगृह तथा सभा प्रयोजन के लिए व अन्य ऐसे भवनों के भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई (फ्रन्टेज) 30 मीटर होगी, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर होगा। परन्तु विकसित, विकासशील एवं नए क्षेत्र में छविगृह, सभा भवन व अन्य भवनों में भूखण्डों की न्यूनतम चौड़ाई 45 मीटर होगी जो न्यूनतम 24 मीटर विद्यमान सड़क पर होगा। निर्मित/विकसित क्षेत्र में स्थित विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उसके स्थान पर छविगृह प्रस्तावित होने की स्थिति में उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे अर्थात् भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल तथा विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा।
3.3.1	सामान्य अपेक्षाएं-समूह आवास/गुप हाऊसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले-आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा।	सामान्य अपेक्षाएं-समूह आवास/गुप हाऊसिंग का विकास महायोजना, परिक्षेत्रीय विकास योजना तथा ले-आउट प्लान से उपबन्धित रहते हुए किया जाएगा। चार हेक्टेयर एवं अधिक क्षेत्रफल की गुप हाऊसिंग योजनाओं में ले-आउट स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा ले-आउट प्लान एवं भवन मानचित्र एक साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
3.3.4 (I)	गुप हाऊसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमत्य होगा, जिसकी बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.1 मीटर होगी।	गुप हाऊसिंग भवनों में पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर अनुमत्य होगा।
3.3.6 (II)	अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमत्य होगा। भवन की प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 45 प्रतिशत अनुमत्य होगा।	अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत अनुमत्य होगा। सुरक्षा जोन एवं संरक्षित स्मारकों के प्रतिबन्धित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम भू-आच्छादन 55 प्रतिशत तक अनुमत्य होगा।
3.3.6 (III)	नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए. आर. 2.5 अनुमत्य होगा, तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवृत्त भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर. 1.5 अनुमत्य होगा।	नए/अविकसित क्षेत्रों में अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 अनुमत्य होगा तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं/आवृत्त भूखण्डों में अधिकतम एफ.ए.आर.1.5 अनुमत्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अनुमत्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 5.0 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की सेवाओं यथा-वातानुकूलित संयंत्र, लिफ्ट के सामने (लिफ्ट के बाहर गलियारे को छोड़कर) 10 वर्ग मीटर तक लॉबी, मम्टी, लिफ्ट के लिए मशीन कक्ष, अलमारियाँ एवं वे-बिन्डोज (अधिकतम 0.60 मीटर गहराई एवं 1.80 मीटर लंबाई तक), रिफ्यूज एरिया (एन.बी.सी. के अनुसार), सर्विस डक्ट तथा सामुदायिक केन्द्र के लिए अनुमत्य होगा। ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेड द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमत्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमत्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
3.3.6(X)	गुप हाऊसिंग योजनाओं के लिए 'नेट' भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।	चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की गुप हाऊसिंग योजना/भूखण्ड के लिए योजना/ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर एफ.ए.आर. देय होगा। ऐसी योजना/भूखण्डों में नियोजित होने वाली जनसंख्या के लिए मानकों के अनुसार वांछित सुविधाओं का प्राविधान उक्त एफ.ए.आर. के अन्तर्गत ही किया जायेगा। 4.0 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की गुप हाऊसिंग योजनाओं के लिए 'नेट' भूमि (योजना के कुल क्षेत्रफल में से 18 मी0 एवं अधिक चौड़ी सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र (15 प्रतिशत) तथा सामुदायिक सुविधाओं के क्षेत्रफल को घटाते हुए अवशेष भूमि) पर एफ.ए.आर. देय होगा।
3.3.6 (XII)		गुप हाऊसिंग परियोजनाओं के सेटबैक क्षेत्र के अंतर्गत बालकनी के प्रोजेक्शन्स इस प्रतिबंध के अधीन अनुमत्य होंगे कि अग्नि सुरक्षा हेतु फायर टैंडर के आवागमन हेतु भू-तल से न्यूनतम 6 मी0 ऊँचाई का क्षेत्र अवरोध मुक्त रहेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन अनुमत्य नहीं होगा। 1.5 मीटर चौड़ाई तक बालकनी की गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी जबकि 1.5 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 3.0 मीटर चौड़ाई तक (स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित होने की दशा में) बालकनी के

25 प्रतिशत क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी, परन्तु जहाँ दो भवनों के मध्य की दूरी 9.0 मीटर से कम हो वहाँ 1.5 मीटर से अधिक चौड़ी बालकनी अनुमत्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत की जानी होगी।

3.4.2  
व्यवसायिक/  
कार्यालय/  
संस्थागत/  
सामुदायिक  
सुविधाएं/  
सभा भवन

12.5 मीटर ऊँचाई तक (अधिकतम तीन मंजिल)

मुखण्ड का क्षेत्रफल	का	सेट-बैक (मीटर)			
		अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
200 तक (व्यवसायिक को छोड़कर)		3.0	3.0	-	-
201-500 तक (व्यवसायिक सहित)		4.5	3.0	3.0	3.0
500 से अधिक (व्यवसायिक सहित)		6.0	3.0	3.0	3.0

- टिप्पणी: (I) 10.5 मीटर की ऊँचाई तक के व्यवसायिक एवं कार्यालय भवनों में जिनका भू-आच्छादन 400 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट-बैक आवश्यक नहीं होगा, परन्तु कोने के मुखण्ड में अग्रभाग के सेट-बैक के बराबर पार्श्व सेट-बैक अनिवार्य होगा।
- (II) 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय मुखण्डों में न्यूनतम फ्रन्ट सेट-बैक 1.5 मीटर होगा।
- (III) 101 से 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय मुखण्डों में न्यूनतम फ्रन्ट सेट-बैक 3.0 मीटर होगा।

3.4.2 (I) व्यवसायिक/कार्यालय भवन (15 मीटर ऊँचाई तक अधिकतम चार मंजिल)

मुखण्ड का क्षेत्रफल	सेट-बैक (मीटर)			
	अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201-500 तक	4.5	3.0	3.0	3.0
500 से अधिक	6.0	3.0	3.0	3.0

- टिप्पणी: (I) व्यवसायिक भवनों में जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर तक है, में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर पृष्ठ भाग व पार्श्व में सेट-बैक आवश्यक नहीं होगा, जबकि कोने के मुखण्ड में अग्रभाग के सेट-बैक के बराबर पार्श्व सेट-बैक अनिवार्य होगा। परन्तु निर्मित/विकसित क्षेत्र में पूर्व नियोजित ले-आउट प्लान्स में निर्धारित सेट-बैक्स ही लागू होंगे।
- (II) 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय मुखण्डों में न्यूनतम फ्रन्ट सेट-बैक 1.5 मीटर होगा।
- (III) 101 से 200 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के व्यवसायिक एवं कार्यालय मुखण्डों में न्यूनतम फ्रन्ट सेट-बैक 3.0 मीटर होगा।
- (IV) मुखण्डीय विकास के अन्तर्गत सेक्टर/नेबरहुड/स्थानीय स्तर के शॉपिंग सेक्टर का नियोजन पंक्तिबद्ध दुकानों के रूप में किया जा सकता है, जिनमें अग्रभाग में अधिकतम 3 मीटर चौड़े आच्छादित गलियारे (आर्कड) का प्राविधान अनुमत्य होगा।

3.4.2 (II) संस्थागत/सामुदायिक सुविधा (शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर) भवन (12.5 मीटर ऊँचाई तक)

मुखण्ड का क्षेत्रफल	सेट-बैक (मीटर)			
	अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
200 तक	3.0	3.0	-	-
201-500 तक	6.0	3.0	3.0	-
501-2000 तक	9.0	3.0	3.0	3.0
2001-4000 तक	9.0	4.0	3.0	3.0
4001-30000 तक	9.0	6.0	4.5	4.5
30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0

3.4.4 औद्योगिक भवन	(12.5 मीटर ऊँचाई तक)					(12.5 मीटर ऊँचाई तक)				
	मुखण्ड का क्षेत्रफल	सेट-बैक (मीटर)				मुखण्ड का क्षेत्रफल	सेट-बैक (मीटर)			
		अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2		अग्रभाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2
	100 तक	3.0	—	—	—	100 तक	3.0	—	—	—
	101-200 तक	4.5	1.5	1.5	—	101-200 तक	4.5	1.5	1.5	—
	201-300 तक	4.5	2.0	2.0	—	201-300 तक	4.5	2.0	2.0	—
	301-400 तक	4.5	3.5	3.0	—	301-400 तक	4.5	3.5	3.0	—
	401-600 तक	6.0	3.5	3.5	—	401-500 तक	6.0	3.5	3.5	—
	501-600 तक	6.0	4.0	3.5	3.5	501-600 तक	6.0	4.0	3.5	3.5
	601-1000 तक	7.5	4.5	4.0	4.0	601-1000 तक	7.5	4.5	4.0	4.0
	1001-5000 तक	9.0	4.5	4.5	4.5	1001-5000 तक	9.0	4.5	4.5	4.5
	5001-30000 तक	9.0	9.0	4.5	4.5	5001-30000 तक	9.0	9.0	4.5	4.5
	30000 से अधिक	1.0	9.0	9.0	9.0	30000 से अधिक	15.0	9.0	9.0	9.0
	टिप्पणी: औद्योगिक भवनों में प्रवेश द्वार के निकट बाउण्ड्रीवाल से सटे हुए गार्डरूम, जनरेटर रूम का निर्माण अनुमत्त होगा जिसका क्षेत्रफल मुखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत परन्तु 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मुखण्ड में अधिकतम 50 वर्ग मीटर होगा जबकि 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मुखण्डों में अधिकतम 100 वर्ग मीटर होगा।					टिप्पणी: औद्योगिक भवनों में प्रवेश द्वार के निकट बाउण्ड्रीवाल से सटे हुए गार्डरूम, जनरेटर रूम का निर्माण अनुमत्त होगा जिसका क्षेत्रफल मुखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत परन्तु 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मुखण्ड में अधिकतम 50 वर्ग मीटर होगा जबकि 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मुखण्डों में अधिकतम 100 वर्ग मीटर होगा।				
3.4.5	12.5 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन					12.5 मी से अधिक ऊँचाई के भवन (15 मीटर ऊँचाई तक के व्यवसायिक/कार्यालय भवनों को छोड़कर)				
3.4.5(I)	12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु सेट-बैक निम्नवत् होगी :-					12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों (15 मीटर ऊँचाई तक के व्यवसायिक/कार्यालय भवनों को छोड़कर) हेतु सेट-बैक निम्नवत् होगी :-				
	भवन की ऊँचाई (मीटर)		चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर)			भवन की ऊँचाई (मीटर)		चारों ओर छोड़े जाने वाला सेट बैक (मीटर)		
	12.5 से 15 तक		5.0			12.5 से अधिक एवं 15 तक		5.0		
	15 से 18 तक		6.0			15 से 18 तक		6.0		
	18 से 21 तक		7.0			18 से 21 तक		7.0		
	21 से 24 तक		8.0			21 से 24 तक		8.0		
	24 से 27 तक		9.0			24 से 27 तक		9.0		
	27 से 30 तक		10.0			27 से 30 तक		10.0		
	30 से 35 तक		11.0			30 से 35 तक		11.0		
	35 से 40 तक		12.0			35 से 40 तक		12.0		
	40 से 45 तक		13.0			40 से 45 तक		13.0		
	45 से 50 तक		14.0			45 से 50 तक		14.0		
	50 से अधिक		15.0			50 से 55 तक		15.0		
						55 से अधिक		16.0		
3.4.5(V)	दो ब्लकों के मध्य परस्पर दूरी उच्चतम ब्लॉक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6 मी. जो भी अधिक हो, होगी।					दो ब्लकों के मध्य परस्पर दूरी उच्चतम ब्लॉक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6 मी. जो भी अधिक हो, होगी। 'ब्लॉक' का तात्पर्य एक ऐसी भवन संरचना से है जो विभिन्न कमरों, फ्लैट्स/अपार्टमेंट्स या कार्यालयों या हाल/कक्ष में विभाजित हो और जिसके सामना क्षेत्र यथा-प्रवेश हाल, गलियारे, लिफ्ट, सीढ़ी, फायरस्केप, आदि उस भवन विशेष का अखण्ड भाग हों तथा परस्पर निरन्तरता में हों।				
3.4.6(I)	खुले स्थान में अधिकतम 1.0 मीटर तक की चौड़ाई का छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले					खुले स्थान में अधिकतम 1.5 मीटर तक की चौड़ाई का छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान				



3.5.1	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं</td> </tr> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र</td> <td>35</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>(ख) नए / अविकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन</td> <td>40</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>• अन्य संस्थागत</td> <td>30</td> <td>2.00</td> </tr> </table>	5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं			(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	35	1.50	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र			• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50	• अन्य संस्थागत	30	2.00	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं</td> </tr> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र</td> <td>40</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>(ख) नए / अविकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन</td> <td>40</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>• अन्य संस्थागत</td> <td>30</td> <td>2.00</td> </tr> </table>	5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं			(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	1.50	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र			• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50	• अन्य संस्थागत	30	2.00																																										
5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं																																																																										
(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	35	1.50																																																																								
(ख) नए / अविकसित क्षेत्र																																																																										
• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50																																																																								
• अन्य संस्थागत	30	2.00																																																																								
5. सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएं																																																																										
(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र	40	1.50																																																																								
(ख) नए / अविकसित क्षेत्र																																																																										
• सामुदायिक केन्द्र, बारात घर एवं धार्मिक भवन	40	1.50																																																																								
• अन्य संस्थागत	30	2.00																																																																								
3.5.1	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">7. औद्योगिक</td> </tr> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र मुखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 100 तक</td> <td>60</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>• 101-450</td> <td>80</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• 451-2000</td> <td>55</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>• 2001-12,000</td> <td>55</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>• 12001-20,000</td> <td>50</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>• 20,000 से अधिक</td> <td>50</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>(ख) नए / अविकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• प्लेटेड फैक्ट्रीज</td> <td>50</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>• लघु एवं हल्के उद्योग</td> <td>60</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>• बृहद उद्योग</td> <td>40</td> <td>0.60</td> </tr> </table>	7. औद्योगिक			(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र मुखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			• 100 तक	60	1.20	• 101-450	80	1.00	• 451-2000	55	0.80	• 2001-12,000	55	0.70	• 12001-20,000	50	0.65	• 20,000 से अधिक	50	0.60	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र			• प्लेटेड फैक्ट्रीज	50	1.20	• लघु एवं हल्के उद्योग	60	0.80	• बृहद उद्योग	40	0.60	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">7. औद्योगिक</td> </tr> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र मुखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 100 तक</td> <td>60</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>• 101-450</td> <td>80</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>• 451-2000</td> <td>55</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• 2001-12,000</td> <td>55</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>• 12001-20,000</td> <td>50</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>• 20,000 से अधिक</td> <td>50</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>(ख) नए / अविकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• प्लेटेड फैक्ट्रीज</td> <td>50</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>• लघु एवं हल्के उद्योग</td> <td>60</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• बृहद उद्योग</td> <td>40</td> <td>0.80</td> </tr> </table>	7. औद्योगिक			(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र मुखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			• 100 तक	60	1.20	• 101-450	80	1.20	• 451-2000	55	1.00	• 2001-12,000	55	0.90	• 12001-20,000	50	0.85	• 20,000 से अधिक	50	0.80	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र			• प्लेटेड फैक्ट्रीज	50	1.50	• लघु एवं हल्के उद्योग	60	1.00	• बृहद उद्योग	40	0.80
7. औद्योगिक																																																																										
(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र मुखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)																																																																										
• 100 तक	60	1.20																																																																								
• 101-450	80	1.00																																																																								
• 451-2000	55	0.80																																																																								
• 2001-12,000	55	0.70																																																																								
• 12001-20,000	50	0.65																																																																								
• 20,000 से अधिक	50	0.60																																																																								
(ख) नए / अविकसित क्षेत्र																																																																										
• प्लेटेड फैक्ट्रीज	50	1.20																																																																								
• लघु एवं हल्के उद्योग	60	0.80																																																																								
• बृहद उद्योग	40	0.60																																																																								
7. औद्योगिक																																																																										
(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र मुखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)																																																																										
• 100 तक	60	1.20																																																																								
• 101-450	80	1.20																																																																								
• 451-2000	55	1.00																																																																								
• 2001-12,000	55	0.90																																																																								
• 12001-20,000	50	0.85																																																																								
• 20,000 से अधिक	50	0.80																																																																								
(ख) नए / अविकसित क्षेत्र																																																																										
• प्लेटेड फैक्ट्रीज	50	1.50																																																																								
• लघु एवं हल्के उद्योग	60	1.00																																																																								
• बृहद उद्योग	40	0.80																																																																								
3.5.1	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">9. थोक व्यावसायिक</td> </tr> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• फल एवं सब्जी मण्डी</td> <td>40</td> <td>0.80</td> </tr> <tr> <td>• अन्य थोक व्यवसाय</td> <td>60</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>(ख) नए / अविकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• ग्रेन मार्केट</td> <td>35</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• फल एवं सब्जी मण्डी</td> <td>40</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• अन्य थोक व्यवसाय</td> <td>50</td> <td>1.50</td> </tr> </table>	9. थोक व्यावसायिक			(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र			• फल एवं सब्जी मण्डी	40	0.80	• अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र			• ग्रेन मार्केट	35	1.00	• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00	• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">9. थोक व्यावसायिक</td> </tr> <tr> <td>(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• फल एवं सब्जी मण्डी</td> <td>40</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• अन्य थोक व्यवसाय</td> <td>60</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>(ख) नए / अविकसित क्षेत्र</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• ग्रेन मार्केट</td> <td>35</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• फल एवं सब्जी मण्डी</td> <td>40</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>• अन्य थोक व्यवसाय</td> <td>50</td> <td>1.50</td> </tr> </table> <p>स्पष्टीकरण:- "नए/अविकसित क्षेत्र" कालान्तर में "विकसित क्षेत्र" की श्रेणी में चिन्हित होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में स्थित मुखण्डों हेतु मू-आच्छादन एवं एफ. ए.आर. ले-आउट/बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के समय लागू मू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. से कम नहीं होगा।</p>	9. थोक व्यावसायिक			(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र			• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00	• अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20	(ख) नए / अविकसित क्षेत्र			• ग्रेन मार्केट	35	1.00	• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00	• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50																								
9. थोक व्यावसायिक																																																																										
(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र																																																																										
• फल एवं सब्जी मण्डी	40	0.80																																																																								
• अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20																																																																								
(ख) नए / अविकसित क्षेत्र																																																																										
• ग्रेन मार्केट	35	1.00																																																																								
• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00																																																																								
• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50																																																																								
9. थोक व्यावसायिक																																																																										
(क) निर्मित / विकसित क्षेत्र																																																																										
• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00																																																																								
• अन्य थोक व्यवसाय	60	1.20																																																																								
(ख) नए / अविकसित क्षेत्र																																																																										
• ग्रेन मार्केट	35	1.00																																																																								
• फल एवं सब्जी मण्डी	40	1.00																																																																								
• अन्य थोक व्यवसाय	50	1.50																																																																								
3.5.1 टिप्पणी (XI)	<p>ग्रीन बिल्डिंग के प्राविधानों की पूर्ति करने की स्थिति में लीड/आई.जी.बी.सी. द्वारा न्यूनतम गोल्ड रेटेड तथा ग्रेहा द्वारा न्यूनतम 4 सितारे रेटिंग की श्रेणी में रखे गए भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. का 5.0 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. निःशुल्क अनुमन्य होगा। इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त संस्थाओं से रेटिंग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।</p>																																																																									

3.5.1  
टिप्पणी (XII)

3.5.2  
क्रय-योग्य  
एफ.ए.आर.

3.5.2.1 एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में क्रय-योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:-

(क) निर्मित विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही क्रय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।

(ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं मू-उपयोगों के लिए क्रय-योग्य एफ.ए.आर. निम्न सीमा तक अनुमन्य होगा:-

क्षेत्र की प्रकृति	क्रय-योग्य एफ.ए.आर.
• निर्मित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत
• विकसित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत
• नए/अविकसित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत (परन्तु बेसिक एफ.ए.आर. सहित अधिकतम 4.0 एफ.ए.आर.)

शासन द्वारा घोषित नीतियों यथा-हाईटेक टाउनशिप नीति, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, न्यू टाउनशिप नीति, अफोर्डेबल हाउसिंग नीति, समाजवादी आवास योजना, आदि हेतु मू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक सम्बन्धित नीति के प्राविधानों के अनुसार होंगे।

एफ.ए.आर. को मार्केट डिमान्ड के अनुसार लचीला (Flexible) बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्रों में क्रय-योग्य एफ.ए.आर. निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:-

(क) निर्मित, विकसित तथा नए/अविकसित क्षेत्र में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर क्रय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।

(ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, मिश्रित, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाएं मू-उपयोगों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के संवर्धन/सुदृढीकरण की व्यवहारिकता तथा भवन निर्माण की अन्य अपेक्षाओं यथा सेट-बैक, पार्किंग, स्ट्रक्चरल एवं फायर सेफ्टी, इत्यादि मानकों की पूर्ति सुनिश्चित होने की दशा में क्रय-योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता सड़क की चौड़ाई के आधार पर निम्नवत् होगी:-

क्षेत्र की प्रकृति	क्रय-योग्य एफ.ए.आर.
• निर्मित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत
• विकसित क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत</li> <li>24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत</li> </ul>
• नए/अविकसित क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 मी. एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत</li> <li>24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत</li> </ul>

टिप्पणी : निर्मित/विकसित क्षेत्र में स्थित ऐसे ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवन यथा-व्यावसायिक, कार्यालय, मिश्रित उपयोग, संस्थागत/सामुदायिक सुविधाएं मू-उपयोगों के मूखण्ड जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर हो एवं न्यूनतम 30.0 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क से पहुंच की सुविधा उपलब्ध है, के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुमन्य बेसिक एफ.ए.आर. के ऊपर क्रय-योग्य एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि क्रय-योग्य सहित अधिकतम एफ.ए.आर. 3.0 होगा। ग्रुप हाउसिंग में क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवासीय इकाईयों अनुमन्य होंगी, जो प्रचलित घनत्व मानकों के अतिरिक्त होंगी।

3.5.2.4

कय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूला के अनुसार की जायेगी।

$$C = Le \times Rc \times P$$

C = शुल्क (चार्ज)

Le = कय योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की

आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e.  $Fp \div FAR$

FP = कय-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

FAR = महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)

Rc = भूमि की दर

नोट:

(I) वाणिज्यिक, कार्यालय/संस्थागत तथा गुप हाउसिंग के प्रकरणों में जहाँ नीलामी हुई है, वहाँ नीलामी की दर अथवा प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट, दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर गणना की जायेगी। जहाँ नीलामी नहीं हुई है तथा प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से कम हो, ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट एवं प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के योग के 1/2 के आधार पर गणना की जायेगी। परन्तु जहाँ प्राधिकरण का सेक्टर रेट, जिलाधिकारी के सर्किल रेट से अधिक हो, वहाँ प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर रेट के आधार पर ही गणना की जायेगी।

(II) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के लिए प्राधिकरण का वर्तमान सेक्टर रेट लागू होगा, जहाँ उक्त रेट उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिलाधिकारी का वर्तमान सर्किल रेट लागू होगा।

P = कय-योग्य फैक्टर

कय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:-

क.सं.	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1.	वाणिज्यिक	0.80
2.	कार्यालय/संस्थागत	0.60
3.	आवासीय (गुप हाउसिंग)	0.40
4.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं	0.30

नोट:

(i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू-उपयोग के लिए कय योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू-उपयोग में कय योग्य एफ.ए.आर. केवल गुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।

(ii) कार्यालय/संस्थागत भू-उपयोग के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय, तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं शामिल होंगी।

(iii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत, स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट

कय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना निम्न फार्मूले अनुसार की जायेगी:-

$$C = Le \times Rc \times P$$

C = शुल्क (चार्ज)

Le = कय योग्य एफ.ए.आर. हेतु अनुपातिक भूमि की

आवश्यकता (वर्गमीटर); i.e.  $Fp \div FAR$

FP = कय-योग्य एफ.ए.आर. के अनुसार अनुमन्य अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)

FAR = महायोजना/भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात (बेसिक एफ.ए.आर.)

Rc = भूमि की वर्तमान दर

नोट: भूमि की वर्तमान दर का तात्पर्य प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर से है, जहां प्राधिकरण की दर उपलब्ध नहीं है, वहां जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से है।

P = कय-योग्य फैक्टर

कय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होंगे:-

क.सं.	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1.	वाणिज्यिक	0.50
2.	मिश्रित	0.45
3.	कार्यालय/संस्थागत	0.45
4.	होटल	0.40
5.	आवासीय (गुप हाउसिंग)	0.40
6.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाएं	0.20

नोट:

(i) प्लाटेड डेवलपमेंट (आवासीय) तथा औद्योगिक भू-उपयोग के लिए कय योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य नहीं है। आवासीय भू-उपयोग में कय योग्य एफ.ए.आर. केवल गुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य है।

(ii) कार्यालय/संस्थागत भू-उपयोग के अंतर्गत समस्त प्रकार के कार्यालय, तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थाएं शामिल होंगी।

(iii) सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापनाओं के अंतर्गत स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर/सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण:

कय-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट का आशय कय-योग्य एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन की तिथि को लागू दर से है।

	आफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, बारात घर / सामुदायिक केन्द्र आदि शामिल होंगे। स्पष्टीकरण: (i) कय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की गणना हेतु विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर दर/जिलाधिकारी के वर्तमान सर्किल रेट के अंतर्गत "वर्तमान" शब्द का तात्पर्य मानचित्र स्वीकृति (Date of Plan Approval) की तिथि को लागू दर से है। (ii) प्राधिकरण के "वर्तमान सेक्टर रेट" का तात्पर्य "वर्तमान आवासीय दर" से है।	
3.5.3 (I)	महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में "राइट-आफ-वे" से प्रभावित/सड़क विस्तारीकरण के अंतर्गत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, पोस्ट आफिस, बस स्टैंड, आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर.अनुमन्य होगा। यदि प्रभावित भूमि भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण को नि:शुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर. प्रभावित भूमि के 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु उस भूखण्ड हेतु अवशेष भूमि पर अनुमन्य कुल एफ.ए.आर.के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में "राइट-आफ-वे" से प्रभावित/सड़क विस्तारीकरण के अंतर्गत आ रही भूमि अथवा जन सुविधाओं यथा ग्रीन बर्ज, ग्रीन बेल्ट, पार्क, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, पोस्ट आफिस, बस स्टैंड,आदि हेतु आरक्षित भूमि से प्रभावित भूखण्डों के लिए कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर.अनुमन्य होगा, बशर्ते ऐसी भूमि, भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण/सम्बन्धित विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित कर दी जाए। कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर. प्रभावित भूमि के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसका उपयोग उस भूखण्ड की अवशेष भूमि/ले-आउट पर विभिन्न भू-उपयोगों में समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
3.5.3 (II)	यदि कम्पनसेंटरी एफ.ए.आर. की देयता किसी भूखण्ड विशेष से नहीं होकर सम्पूर्ण सब-डिवीजन प्लान/ले-आउट प्लान/योजना पर हो, तो भू-स्वामी द्वारा जनसुविधा यथा पार्क/ग्रीन बेल्ट, सड़क आदि से प्रभावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नि:शुल्क उपलब्ध कराने की दशा में ऐसी भूमि के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत के बराबर तल क्षेत्रफल (0.25 एफ.ए.आर.) अनुमन्य होगा, जिसे ले-आउट प्लान/योजना के विकस्य योग्य क्षेत्रफल मुख्य रूप से व्यवसायिक, गुप हाउसिंग, कार्यालय तथा संस्थागत भू-उपयोगों में समानुपातिक रूप से उपयोग किया जा सकेगा।	डिलीट किया जाता है।
3.5.6 (I)	आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत, उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड, फव्वारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुज्ञेय सीमा तक परगोला, छप्पे, बालकनी तथा पोर्च (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।	आच्छादित क्षेत्र के अन्तर्गत, उद्यान, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, खुला चबूतरा, चहारदीवारी, झूला, स्लाइड, फव्वारा, अनाच्छादित जीना तथा अनुज्ञेय सीमा तक परगोला, छप्पे, बालकनी तथा पोर्च एवं आर्कैड (जिसके ऊपर निर्माण न हो) सम्मिलित नहीं होंगे।
3.5.6 (II)	20 एकड़ तक के व्यवसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्ग मीटर तथा 20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिकतम 100 वर्गमीटर अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र प्रवेश द्वार के निकट गार्ड रूम, जनरेटर रूम, इलेक्ट्रिक स्वीच रूम, मीटर रूम व ट्यूब वेल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।	4000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक, समूह आवास, संस्थागत, कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं उपयोग तथा अन्य बहुखण्डीय भवनों में आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 50 वर्गमीटर जबकि 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में अधिकतम 100 वर्ग मीटर अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र गार्ड रूम (प्रवेश द्वार के निकट), जनरेटर रूम, इलेक्ट्रिक स्विच रूम, मीटर रूम व ट्यूबवेल के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं का उल्लंघन न हो।
3.6.5 (III)	भवन में पहुँच मार्ग की ऊँचाई सड़क के मध्य से 0.15 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु के0सी0 ड्रेन के ऊपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।	भवन हेतु पहुँच मार्ग की ऊँचाई सड़क के मध्य से 0.30 मीटर से अधिक नहीं होगी। गाड़ी इत्यादि जाने हेतु के0सी0 ड्रेन के ऊपर बने रैम्प की लम्बाई भूखण्ड की सीमा से 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी।
3.6.8 सर्विस फ्लोर	भवन से सम्बन्धित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु गुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के	भवन से संबन्धित पाइप्स, सर्विस डक्ट्स, इत्यादि के उपयोग हेतु गुप हाउसिंग, व्यवसायिक कार्यालय, औद्योगिक, होटल, अस्पताल तथा मिश्रित उपयोग के

	<p>बहुमंजिले भवनों में अधिकतम 2.10 मीटर ('फ्लोर' से सीलिंग तक) की ऊँचाई का सर्विस फ्लोर अनुमन्य होगा, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। सर्विस फ्लोर का प्राविधान प्रत्येक 4 मंजिल के उपरान्त किया जा सकता है, परन्तु एक भवन में अधिकतम 3 सर्विस फ्लोर अनुमन्य होंगे।</p>	<p>बहुमंजिले भवनों में सर्विस फ्लोर अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जायेगी। बहुमंजिले भवनों में प्रत्येक 4 मंजिल पर एक सर्विस फ्लोर अनुमन्य होंगे, परन्तु एक भवन में अधिकतम 3 सर्विस फ्लोर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि दो अनुवर्ती तलों में निरन्तरता में दो सर्विस फ्लोर का प्राविधान नहीं किया जाएगा।</p>																																										
3.7.1 (IV)	<p>यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और संवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर तक की ऊँचाई के भूखण्डीय विकास एवं 10.5 मीटर की ऊँचाई तक के अन्य भवनों के लिए न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुलेस्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के <math>1/5</math> के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा-सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है, तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल <math>(30 \times 1/5) \times (3 \times 1/5) = 36</math> वर्गमीटर होगा।</p>	<p>यदि निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले कमरे के लिए प्रकाश और संवातन आन्तरिक खुले स्थान से हो तो ऐसे खुले स्थान का क्षेत्रफल 12.5 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के लिए न्यूनतम 7.5 वर्गमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। उपरोक्त से अधिक ऊँचे भवनों के लिए आन्तरिक खुले स्थान की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर तथा आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल उससे संलग्न सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई के <math>1/5</math> के वर्ग (Square) के बराबर होगा यथा-सबसे ऊँची दीवार की ऊँचाई 30 मीटर है, तो आन्तरिक खुले स्थान का क्षेत्रफल <math>(30 \times 1/5) \times (3 \times 1/5) = 36</math> वर्गमीटर होगा।</p>																																										
3.7.3 (I)	<p>संडास और स्नानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भवन की ऊँचाई (मीटर)</th> <th>संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)</th> <th>शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07 तक</td> <td>1.2</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक</td> <td>2.8</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>18 तक</td> <td>4.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>24 तक</td> <td>5.4</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>30 तक</td> <td>8.0</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>30 से अधिक</td> <td>9.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	भवन की ऊँचाई (मीटर)	संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)	07 तक	1.2	0.9	भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक	2.8	1.2	18 तक	4.0	1.5	24 तक	5.4	1.8	30 तक	8.0	2.4	30 से अधिक	9.0	3.0	<p>संडास और स्नानघर, आदि संवातन हेतु सामने, पार्श्व, पीछे अथवा आन्तरिक खुले स्थान अथवा 3.0 मीटर से कम चौड़ाई के बरामदे की ओर न खुल रहे हो, तो उनका संवातन शाफ्ट द्वारा होगा, जिसका आकार एवं माप निम्नानुसार होगा :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भवन की ऊँचाई (मीटर)</th> <th>संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)</th> <th>शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07 तक</td> <td>1.2</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>12.5 तक</td> <td>2.8</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>18 तक</td> <td>4.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>24 तक</td> <td>5.4</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>30 तक</td> <td>8.0</td> <td>2.4</td> </tr> <tr> <td>30 से अधिक</td> <td>9.0</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	भवन की ऊँचाई (मीटर)	संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)	07 तक	1.2	0.9	12.5 तक	2.8	1.2	18 तक	4.0	1.5	24 तक	5.4	1.8	30 तक	8.0	2.4	30 से अधिक	9.0	3.0
भवन की ऊँचाई (मीटर)	संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)																																										
07 तक	1.2	0.9																																										
भूखण्डीय विकास में 12.5 एवं अन्य भवनों में 10.5 तक	2.8	1.2																																										
18 तक	4.0	1.5																																										
24 तक	5.4	1.8																																										
30 तक	8.0	2.4																																										
30 से अधिक	9.0	3.0																																										
भवन की ऊँचाई (मीटर)	संवातन शाफ्ट का आकार (वर्ग मीटर)	शाफ्ट की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर)																																										
07 तक	1.2	0.9																																										
12.5 तक	2.8	1.2																																										
18 तक	4.0	1.5																																										
24 तक	5.4	1.8																																										
30 तक	8.0	2.4																																										
30 से अधिक	9.0	3.0																																										
3.7.3 (I) टिप्पणी :	<p>भूखण्डीय विकास में 12.5 मी. से अधिक तथा अन्य भवनों में 10.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शाफ्ट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।</p>	<p>12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्राविधानित संवातन शाफ्ट की सफाई एवं अनुरक्षण हेतु शाफ्ट में प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी।</p>																																										
3.8.2 चहारदीवारी	<p>(i) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई सड़क की मध्य रेखा के स्तर से 1.65 मीटर ऊपर होगी। (ii) पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की ऊँचाई अधिकतम 2.40 मीटर जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/घिलयुक्त होगा।</p>	<p>(i) सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी जिसका न्यूनतम 0.90 मीटर ऊपरी भाग जाली/घिलयुक्त होगा। (ii) पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 2.40 मीटर होगी।</p>																																										
3.8.3 (III) अनुमन्यता	<p>एट्रियम की अनुमति व्यवसायिक, कार्यालय, मल्टीप्लेक्स तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर हो, में देय होगी।</p>	<p>एट्रियम की अनुमति व्यवसायिक (शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, होटल, आदि), कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर हो, में देय होगी। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत एट्रियम की अनुमति भूखण्ड का न्यूनतम आकार सम्बन्धी अपेक्षाएं पूर्ण होने की स्थिति में देय होंगी।</p>																																										
3.8.3 (IV)	<p>एट्रियम की आन्तरिक चौड़ाई उसकी कुल ऊँचाई के आधे से कम नहीं होगी।</p>	<p>एट्रियम की आन्तरिक चौड़ाई उसकी कुल ऊँचाई की आधी अथवा 7.5 मीटर, दोनों में जो अधिक हो, होगी।</p>																																										

3.8.4	-	निकास सम्बन्धी अपेक्षाएं : भवनों से सुरक्षित निकासी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के भाग-4 के प्रस्तर-4.5 की अपेक्षाओं का पालन आवश्यक होगा।																																																						
3.8.5	-	कारीडोर एवं पैसेज : भवनों में कारीडोर एवं पैसेज के प्राविधान हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के भाग-4 के प्रस्तर-4.8 की अपेक्षाओं का पालन आवश्यक होगा।																																																						
3.9.1(III)	“बेसमेंट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2 मी. की दूरी पर अनुमन्य होगा”।	बेसमेंट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए मूखण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 2 मीटर छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।																																																						
3.9.2 (I)	बेसमेंट का प्रत्येक भाग, फर्श से सीलिंग तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधितकतम 4.0 मीटर ऊँचा होगा। बेसमेंट की ऊँचाई, निर्धारित ऊँचाई से अधिक होने की दशा में बेसमेंट के संपूर्ण क्षेत्रफल की गणना एफ.ए.आर.में की जाएगी।	बेसमेंट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 2.1 मीटर तथा अधितकतम 4.5 मीटर ऊँचा होगा, परन्तु बेसमेंट में मैकेनाइज्ड पार्किंग प्रस्तावित किए जाने की दशा में बेसमेंट की ऊँचाई वास्तविक डिजाइन पर आधारित होगी।																																																						
3.9.3(I)	विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेंट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:-	विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेंट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा:-																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)</th> <th>भू-उपयोग की प्रकृति</th> <th>बेसमेंट के प्राविधान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 100 तक</td> <td>1.1 आवासीय / अन्य गैर -व्यावसायिक</td> <td>अनुमन्य नहीं</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक</td> <td>भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>2. 100 से अधिक परन्तु 500 तक</td> <td>2.1 आवासीय</td> <td>भू-आच्छादन का 20 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2 गैर -आवासीय</td> <td>भू-आच्छादन के बराबर</td> </tr> <tr> <td>3. 500 से अधिक परन्तु 1000 तक</td> <td>3.1 आवासीय</td> <td>बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक एक बेसमेंट</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.2 गैर -आवासीय</td> <td>बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट</td> </tr> <tr> <td>4. 1000 से अधिक</td> <td>4.1 आवासीय / गृह हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन</td> <td>1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मूखण्डों में डबल बेसमेंट, 2000-10,000 तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में कोई प्रतिबंध नहीं।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.2 औद्योगिक</td> <td>अनुमन्य भू-आच्छादन के बराबर परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ. ए.आर. में होगी।</td> </tr> </tbody> </table>	क. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भू-उपयोग की प्रकृति	बेसमेंट के प्राविधान	1. 100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर -व्यावसायिक	अनुमन्य नहीं		1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक	भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत	2. 100 से अधिक परन्तु 500 तक	2.1 आवासीय	भू-आच्छादन का 20 प्रतिशत		2.2 गैर -आवासीय	भू-आच्छादन के बराबर	3. 500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक एक बेसमेंट		3.2 गैर -आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट	4. 1000 से अधिक	4.1 आवासीय / गृह हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन	1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मूखण्डों में डबल बेसमेंट, 2000-10,000 तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में कोई प्रतिबंध नहीं।		4.2 औद्योगिक	अनुमन्य भू-आच्छादन के बराबर परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ. ए.आर. में होगी।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)</th> <th>भू-उपयोग की प्रकृति</th> <th>बेसमेंट के प्राविधान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 100 तक</td> <td>1.1 आवासीय / अन्य गैर -व्यावसायिक</td> <td>अनुमन्य नहीं</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक</td> <td>भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>2. 100 से अधिक परन्तु 500 तक</td> <td>2.1 आवासीय</td> <td>भू-आच्छादन के बराबर</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2.2 गैर -आवासीय</td> <td>भू-आच्छादन के बराबर</td> </tr> <tr> <td>3. 500 से अधिक परन्तु 1000 तक</td> <td>3.1 आवासीय</td> <td>बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक एक बेसमेंट</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.2 गैर -आवासीय</td> <td>बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट</td> </tr> <tr> <td>4. 1000 से अधिक</td> <td>4.1 आवासीय / गृह हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन</td> <td>बिल्डिंग एनवेल्य लाइन तक- (क) 1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मूखण्डों में डबल बेसमेंट। (ख) 2000-10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्डों में कोई प्रतिबंध नहीं।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.2 औद्योगिक</td> <td>बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट</td> </tr> </tbody> </table>	क. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भू-उपयोग की प्रकृति	बेसमेंट के प्राविधान	1. 100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर -व्यावसायिक	अनुमन्य नहीं		1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक	भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत	2. 100 से अधिक परन्तु 500 तक	2.1 आवासीय	भू-आच्छादन के बराबर		2.2 गैर -आवासीय	भू-आच्छादन के बराबर	3. 500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक एक बेसमेंट		3.2 गैर -आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट	4. 1000 से अधिक	4.1 आवासीय / गृह हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन	बिल्डिंग एनवेल्य लाइन तक- (क) 1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मूखण्डों में डबल बेसमेंट। (ख) 2000-10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्डों में कोई प्रतिबंध नहीं।		4.2 औद्योगिक	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट
क. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भू-उपयोग की प्रकृति	बेसमेंट के प्राविधान																																																						
1. 100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर -व्यावसायिक	अनुमन्य नहीं																																																						
	1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक	भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत																																																						
2. 100 से अधिक परन्तु 500 तक	2.1 आवासीय	भू-आच्छादन का 20 प्रतिशत																																																						
	2.2 गैर -आवासीय	भू-आच्छादन के बराबर																																																						
3. 500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक एक बेसमेंट																																																						
	3.2 गैर -आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट																																																						
4. 1000 से अधिक	4.1 आवासीय / गृह हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन	1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मूखण्डों में डबल बेसमेंट, 2000-10,000 तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक में कोई प्रतिबंध नहीं।																																																						
	4.2 औद्योगिक	अनुमन्य भू-आच्छादन के बराबर परन्तु 50 प्रतिशत की गणना एफ. ए.आर. में होगी।																																																						
क. मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भू-उपयोग की प्रकृति	बेसमेंट के प्राविधान																																																						
1. 100 तक	1.1 आवासीय / अन्य गैर -व्यावसायिक	अनुमन्य नहीं																																																						
	1.2 कार्यालय एवं व्यावसायिक	भू-आच्छादन का 50 प्रतिशत																																																						
2. 100 से अधिक परन्तु 500 तक	2.1 आवासीय	भू-आच्छादन के बराबर																																																						
	2.2 गैर -आवासीय	भू-आच्छादन के बराबर																																																						
3. 500 से अधिक परन्तु 1000 तक	3.1 आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक एक बेसमेंट																																																						
	3.2 गैर -आवासीय	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट																																																						
4. 1000 से अधिक	4.1 आवासीय / गृह हाउसिंग, व्यावसायिक कार्यालय, सामुदायिक सुविधाएं एवं अन्य बहुमंजिले भवन	बिल्डिंग एनवेल्य लाइन तक- (क) 1000-2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के मूखण्डों में डबल बेसमेंट। (ख) 2000-10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक 4 बेसमेंट तथा 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्डों में कोई प्रतिबंध नहीं।																																																						
	4.2 औद्योगिक	बिल्डिंग इन्वेल्य लाइन तक दो बेसमेंट																																																						
3.10.1	पार्किंग की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक “समान कार स्थल” के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होगा:- (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेंट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर (घ) मैकेनाइज्ड पार्किंग : 16 वर्गमीटर	पार्किंग की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक “समान कार स्थल” के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होगा:- (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेंट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर (घ) मैकेनाइज्ड पार्किंग : 16 वर्गमीटर अथवा वास्तविक डिजाइन के आधार पर (ङ) दो पहिया वाहन (साईकल सहित) : 2.00 वर्गमीटर																																																						

3.10.3  
कम स.1

(ख) समूह आवास (गुप हाउसिंग)	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.25

नोट : कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग विजिटर्स पार्किंग के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जाएगी।

(ख) समूह आवास (गुप हाउसिंग)	• 50 वर्गमी. तल क्षेत्रफल से कम के प्रत्येक फ्लैट पर दो पहिया वाहन हेतु 02 वर्गमी. क्षेत्रफल
	• 50 वर्गमी.-100 वर्गमी. तक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.0
	• 100 वर्गमी. से अधिक-150 वर्गमी. तक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.25
	• 150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.50

नोट : उपरोक्तानुसार आकलित पार्किंग क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग के बराबर 'विजिटर्स पार्किंग' अतिरिक्त रूप से आरक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जाएगी।

3.10.3  
कम स.2

(क)नगर केन्द्र/ उप-नगर केन्द्र	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 3.0
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 2.0
(ख)सेक्टर शापिंग बाजार स्ट्रीट		प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
(ग)कन्वीनिएन्ट शापिंग	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 2.0
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.0

3.10.7

पार्किंग हेतु तालाबन्द गैराज एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किए जाएंगे।

3.10.9

गुप-हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण मू-आच्छादन के बराबर अनुमन्य होगा जिसकी भीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.1 मीटर होगी एवं उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जायेगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में गणना की जायेगी। स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किंग अनुमन्य होगी तथा उसे कवर पार्किंग बनाने (साइड में कवर करने) पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।

(क) नगर केन्द्र/ सी.बी. डी.	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 2.0
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
(ख) उपनगर केन्द्र/ सब-सी.बी.डी./जोनल व्यावसायिक केन्द्र	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.5
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.25
(ग) अन्य व्यावसायिक (सेक्टर/नेबर-हुड/ स्थानीय स्तर के शापिंग सेंटर, बाजार स्ट्रीट एवं सुविधाजनक दुकानें)	मेट्रो नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.25
	अन्य नगर	प्रत्येक 100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल पर 1.0

पार्किंग हेतु तालाबन्द गैराज एफ.ए.आर. की गणना में सम्मिलित किए जाएंगे। मूखण्डीय विकास में तालाबन्द गैराज यदि भवन के साइड सेट-बैक के पृष्ठ भाग में प्रस्तावित/निर्मित किए जाते हैं, तो उनकी गणना एफ.ए.आर. में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

गुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिले भवनों में पार्किंग हेतु स्टिल्ट का निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में गणना की जाएगी। स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किंग अनुमन्य होगी तथा उसे कवर्ड पार्किंग बनाने (दो से अधिक साइड्स में कवर करने) पर स्टिल्ट फ्लोर की गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी। पार्किंग प्रयोजन हेतु पोडियम का निर्माण बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:-

- मूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर होगा।
- सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होगी।
- सेट-बैक के अन्तर्गत पोडियम पार्किंग के उपयोगार्थ रैम्प का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- पोडियम के निर्माण के फलस्वरूप पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन एरिया का क्षेत्रफल कम नहीं होना चाहिए।
- फायर सेफ्टी से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सुनिश्चित होना चाहिए।

टिप्पणी: पोडियम पार्किंग में अनुमन्य मू-आच्छादन की अधिकतम 10 प्रतिशत सीमान्तर्गत ड्राइवर रेस्टरूम, स्टोर, सैनिटरी ब्लॉक एवं अन्य समरूप सेवाएं अनुमन्य होंगी।

3.10.10(ii)	<p>स्टिक्ट फ्लोर के साथ अनुवर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमत्त होगी:-</p> <p>(क) प्रत्येक तल की फर्श से सीलिंग तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी।</p> <p>(ख) सेट-बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमत्त नहीं होगा।</p> <p>(ग) पार्किंग तलों को चारों तरफ मात्र एक मीटर ऊँची जाली से ढका जा सकेगा तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।</p>	<p>स्टिक्ट फ्लोर के साथ अनुवर्ती तलों पर पार्किंग निम्न प्राविधानों के अधीन अनुमत्त होगी:-</p> <p>(क) प्रत्येक तल की फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 2.10 मी. होगी।</p> <p>(ख) सेट-बैक क्षेत्र में रैम्प का निर्माण अनुमत्त नहीं होगा।</p> <p>(ग) पार्किंग तलों की खुली साइड को अधिकतम एक मीटर ऊँची जाली (ग्रिल) से बन्द किया जा सकेगा परन्तु दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।</p> <p>(घ) टैरेस पर खुली पार्किंग इस शर्त के साथ अनुमत्त होगी कि चारों तरफ अधिकतम एक मी. ऊँची दीवार तथा उसके उपर एक मीटर ऊँची जाली लगायी जाएगी तथा दीवारों से बन्द नहीं किया जाएगा।</p>
3.10.10(iii)	<p>एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी-लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के एक तिहाई के बराबर अथवा 6.0 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी।</p>	<p>एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन के अन्तर्गत मल्टी-लेवल पार्किंग ब्लाक बनाया जा सकता है, जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भूमि के ऊपर यदि बहुमजिला पार्किंग ब्लाक पृथक से बनाया जाता है, तो मूल भवन एवं पार्किंग ब्लाक के मध्य की दूरी उच्चतम ब्लाक की ऊँचाई के आधार पर उस हेतु वांछित सेटबैक अथवा 6.0 मीटर, जो भी अधिक हो, होगी।</p>
3.10.10 (iii)	<p>मैकनाइज्ड मल्टी-लेवल पार्किंग व्यवस्था होने की दशा में एक पार्किंग स्थल का न्यूनतम क्षेत्रफल 16 वर्गमीटर होगा।</p>	<p>मैकनाइज्ड मल्टी-लेवल पार्किंग की ऊँचाई तथा क्षेत्रफल वास्तविक डिजाइन के आधार पर होगा, जिसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र के साथ ही संलग्न करना होगा।</p>
3.11.1.1	<p>(I) घुमावदार जीनों का प्रयोग लो-आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और 10 मीटर तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टैरेस) से सम्बद्ध न हो।</p>	<p>घुमावदार जीनों का प्रयोग लो-आक्युपेन्सी लोड तक सीमित होगा और 12.5 मीटर तक ऊँचे भवनों में किया जाएगा जब तक सुरक्षित निकलने हेतु प्लेटफार्म तथा बालकनी और खुली छत (टैरेस) से सम्बद्ध न हो।</p>
3.11.9	-	<p>सरकारी संस्थानों/अर्द्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्प्लेक्स व अन्य भवनों में रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।”</p>
4.1 (V)	<p>अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं तल क्षेत्रानुपात 1.2 अनुमत्त होगा, परन्तु 24.0 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों पर तल क्षेत्रानुपात 1.5 अनुमत्त होगा। 'बाजार-स्ट्रीट' भू-उपयोग में होटल के लिए अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक प्रस्तर-3.5.1 के कमांक-8 के अनुसार होंगे।</p>	<p>बाजार स्ट्रीट भूखण्डों में प्रस्तर-3.5.1 के अन्तर्गत "अन्य व्यवसायिक" हेतु निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमत्त होगा। 'बाजार-स्ट्रीट' भू-उपयोग में होटल के लिए अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक प्रस्तर- 3.5.1 के कमांक-8 के अनुसार होंगे।</p>
4.1 (VIII)	<p>व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमत्त होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा।</p>	<p>व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथम तल पर ही अनुमत्त होगा, जबकि अनुवर्ती तलों पर आवासीय उपयोग रहेगा। भूखण्ड स्वामी के अनुरोध पर सभी तलों पर आवासीय उपयोग अनुमत्त किया जा सकेगा।</p>
5.1 (I)	<p>होटल की अनुज्ञा हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो आवासीय क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग तथा गैर-आवासीय क्षेत्रों में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।</p>	<p>भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जो निर्मित/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर चौड़े तथा नए/विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा। महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा सेक्टर/ले-आउट प्लान में निर्दिष्ट स्थलों</p>

8.3  
भूखण्ड की  
मापें एवं  
मानक

प्रयोजन / भूखण्ड की मापें	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए. आर.	फन्ट सेट-बैक(मी.)	भवन की ऊँचाई (मीटर)
(अ) पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन				
(I) 18मी. X15मी.	10	0.1	3.0	6.0
(II) 30मी. X17मी.	10	0.1	3.0	6.0
ब) फिलिंग स्टेशन कम-सर्विस स्टेशन				
(I) 36मी. X30मी.	20	0.2	6.0	6.0
(II) 45मी. X36मी.	20	0.2	6.0	6.0

टिप्पणी:

- (I) कैनोपी का निर्माण सेट-बैक लाईन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।
- (II) मैजेनाईन फ्लोर का निर्माण करने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में होगी।
- (III) नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी स्थित भूखण्ड की माप 45 मी. X 36 मी. से अधिक होने पर अनुमन्य भू-आच्छादन व एफ.ए.आर. 45 मी. X 36 मी. के भूखण्ड की सीमा तक ही अनुमन्य होगा।

8.4  
अन्य  
अपेक्षाएं

- (I) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
- (III) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन का निर्माण महायोजना मार्गों के कासिंग से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा।

9.3

क्षेत्रफल - भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होगा।

12.1  
अनुमन्यता

- (1) सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू-उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू-उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य भू-उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में देय होगी, परन्तु आवासीय भवनों में टावर निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसियेशन अनापत्ति/सहमति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्लाटैड

पर तथा स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र में भूखण्ड का क्षेत्र इससे कम हो सकता है।

प्रयोजन / भूखण्ड की मापें	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए. आर.	फन्ट सेट-बैक(मी.)	भवन की ऊँचाई (मीटर)
(अ) पेट्रोल पम्प / फिलिंग स्टेशन				
18मी. X14मी.	10	0.1	3.0	6.0
ब) फिलिंग स्टेशन कम-सर्विस स्टेशन				
25मी. X25मी.	20	0.2	6.0	6.0

टिप्पणी:

- (I) भवन की अधिकतम ऊँचाई 6.0 मीटर होगी।
- (II) कैनोपी का निर्माण सेट-बैक लाईन के भीतर अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6.0 मीटर होगी।
- (III) मैजेनाईन फ्लोर का निर्माण करने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में होगी।
- (IV) पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के आकार/मापों में अधिकतम 15 प्रतिशत शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि फिलिंग टावर के चारों ओर विस्फोटक सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम 6.0 मी. अवरोधमुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन तथा फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग तथा नए/अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।

पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन का निर्माण महायोजना मार्गों के कासिंग से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी पर अनुमन्य होगा। परन्तु महायोजना मार्गों के 'जंक्शन' से निर्धारित न्यूनतम दूरी (30 मीटर) में अधिकतम 15 प्रतिशत शिथिलीकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा जबकि पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड, जंक्शन के निकास की दिशा (एक्विजिट साइड) में स्थित हो।

भूखण्ड की माप - एल.पी.जी. गैस गोदाम हेतु भूखण्ड की माप 25 मी. X 30 मी. से 31 मी. X 36 मी. तक होगी।

- (1) सेलुलर/मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुज्ञा सामान्यतः पार्क एवं खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू-उपयोग एवं समरूप प्रकृति के भू-उपयोगों के अन्तर्गत ही प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय आदि में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति से देय होगी।

		डेवलपमेंट के अंतर्गत टावर की स्थापना के लिए आर.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों हेतु आर.डब्ल्यू.ए. की अनापत्ति/सहमति अनिवार्य होगी।	
12.4			4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ड मास्ट (जी.बी.एम.) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति शासनादेश सं.-1485/नौ-9-2012-161ज/12, दिनांक 15.10.2012 के प्रस्तर-8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान किए जाने एवं उक्त शासनादेश दि. 15.10.2012 में स्थापित व्यवस्था, प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन की स्थिति में प्रदान की जायेगी।
13.3 निर्माण अनुज्ञा हेतु शर्त	(ख) निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके :-		निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद/अभियंता तथा विकासकर्ता की देख-रेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा संबंधी निम्न व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके :-
14.4	भूखण्ड का क्षेत्रफल-मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होगा।		भूखण्ड का क्षेत्रफल: मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमी. होगा परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात भूखण्ड का विद्यमान क्षेत्रफल मान्य होगा।
14.5	पहुँच मार्ग-मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड न्यूनतम 24 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।		पहुँच मार्ग: मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड न्यूनतम 24.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा परन्तु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स हेतु चिन्हित स्थलों अथवा विद्यमान छविगृहों को तोड़कर उनके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित होने पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा अर्थात भूखण्ड का विद्यमान पहुँच मार्ग मान्य होगा।
14.7 भू-आच्छादन एवं एफ.ए. आर.	सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), डिस्ट्रिक्ट शापिंग सेन्टर, सेक्टर शापिंग सेन्टर, बाजार स्ट्रीट अथवा महायोजना में चिन्हित किसी अन्य स्थल पर अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन उपविधियों के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.20 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में यथास्थिति महायोजना/भवन उपविधियों के अनुसार भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा।		नगर केन्द्र/सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सी.बी.डी.), उपनगर केन्द्र (सब-सी.बी.डी.)/जोनल व्यवसायिक केन्द्र, अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिन्हित किसी अन्य स्थल पर अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. भवन उपविधियों के अनुसार अनुमन्य होगा। गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 50 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 1.50 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्य योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में यथास्थिति महायोजना/भवन उपविधियों के अनुसार भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर अनुमन्य होगा।
15.2.1 भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम फुटेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए।		भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर एवं न्यूनतम फुटेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए।
15.2.3 भवन की ऊँचाई	24 मीटर चौड़ी सड़क तक भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर होगी।		18 मीटर चौड़ी सड़क तक भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर होगी।

19.3	पहुँच मार्ग-अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड न्यूनतम 24.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।	पहुँच मार्ग-अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूखण्ड 12.0 मी. चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होगा।
21.1 अनुमन्यता	शापिंग माल्स का निर्माण वाणिज्यिक (सी.बी.डी., सब-सी. बी.डी., सेक्टर शापिंग सेन्टर), लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषण मुक्त व संकरहित) भू-उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शापिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत्-आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाएगी।	शापिंग माल का निर्माण व्यवसायिक (सी.बी.डी., सब-सी. बी.डी., अन्य व्यवसायिक अथवा महायोजना में चिह्नित व्यवसायिक स्थल), तथा लघु एवं सेवा उद्योग (प्रदूषणमुक्त व संकरहित) भू-उपयोगों में अनुमन्य होगा। परन्तु शापिंग माल के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, व्यक्तियों के आवागमन एवं निकास, पार्किंग व्यवस्था, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत्-आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।
23.3 अन्य अपेक्षाएं	(I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनों में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (II) व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं, जिनके लिए व्यवसायिक भू-उपयोग में निर्धारित भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।	(I) होटल एवं कार्यालय/संस्थागत भवनों तथा व्यवसायिक भू-उपयोग में कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। (II) व्यवसायिक भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल अनुमन्य एफ.ए.आर. की 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्तर्गत पृथक रूप से सर्विस अपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं।
25.4	ऐसे भूखण्ड/विद्यमान छविगृह यदि शासनादेश संख्या-4218/9-आ-3-99-42विधि/99, दिनांक 14.12.2000 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1663/9-आ-3-01-42विधि/99, दिनांक 18.04.2001 तथा शासनादेश सं. 1806/9-आ-3-2004-42वि/99, दिनांक 08.06.2004 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों, तो इन पर मल्टी प्लेक्स की अनुमति देय होगी।	ऐसे भूखण्ड/विद्यमान छविगृह यदि शासनादेश संख्या 4218/9-आ-3-99-42विधि/99, दिनांक 14.12.2000 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1663/9-आ-3-01-42विधि/99, दिनांक 18.04.2001 तथा शासनादेश सं.-1806/9-आ-3-2004-42वि/99, दिनांक 08.06.2004 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों अथवा विद्यमान छविगृह को तोड़कर उसके स्थान पर मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित हो, तो इन पर मल्टीप्लेक्स की अनुमति देय होगी।
अनुलग्नक-2 प्रस्तर-5 पूर्णता प्रमाण पत्र अस्वीकार करना	जॉच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 90 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया माना जाएगा।	जॉच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निस्तारण न किए जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकरण को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन का एक नोटिस दिया जायेगा। इस अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निस्तारित न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीमंड एफूल्ड) माना जाएगा।

## अध्याय-26

### आवासीय भूखण्डों में बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

26.1	सामान्य अपेक्षाएं	<p>(i) महायोजना में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भूखण्डों पर इस उपविधि के प्राविधानों के अधीन बहु-आवासीय इकाईयों की अनुमति देय होगी।</p> <p>(ii) शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले-आउट प्लान्स के अन्तर्गत बहु-आवासीय इकाईयों की अनुमति ले-आउट प्लान के प्राविधानों के अनुरूप दी जाएगी। विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जाएगा जहाँ बड़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सुदृढीकरण सम्भव है, अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर घनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है।</p>																																																	
26.2	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से कम होगा।																																																	
26.3	पहुँच मार्ग	शासकीय अभिकरणों द्वारा विकसित/अनुमोदित योजनाओं/ले-आउट प्लान्स जो विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चिन्हांकित की जाएंगी, के अन्तर्गत भूखण्ड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी विद्यमान सड़क पर स्थित होगा, जबकि नई प्रस्तावित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होगा।																																																	
26.4	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल एवं इकाईयों की संख्या	आवासीय इकाई का न्यूनतम तल क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर होगा तथा आवासीय भूखण्डीय विकास में अधिकतम 20 इकाईयों अनुमत्य होंगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर प्रत्येक तल पर एक ही आवासीय इकाई अनुमत्य होगी जबकि 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में 300 वर्ग मीटर के पश्चात प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक अतिरिक्त आवासीय इकाई अनुमत्य होगी।																																																	
26.5	भवन की अधिकतम ऊँचाई	भवन की अधिकतम ऊँचाई रिटल्ट फ्लोर सहित 15 मीटर होगी। 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में रिटल्ट एवं तीन मंजिलों तथा 300 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में रिटल्ट एवं चार मंजिलों का निर्माण अनुमत्य होगा।																																																	
26.6	सेट-बैक, मू-आच्छादन, एफ.ए.आर.	<p>(I) भवनों में सेट-बैक निम्नवत् होंगे:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)</th> <th colspan="4">सेट-बैक (मीटर)</th> </tr> <tr> <th>अग्र भाग</th> <th>पृष्ठ भाग</th> <th>पार्श्व-1</th> <th>पार्श्व-2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>(क) रो- हाउसिंग</b></td> </tr> <tr> <td>150 से अधिक 300 तक</td> <td>3.0</td> <td>3.0</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>(ख) सेमी-डिटेच्ड</b></td> </tr> <tr> <td>300 से अधिक 500 तक</td> <td>4.5</td> <td>4.5</td> <td>3.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>(ग) डिटेच्ड</b></td> </tr> <tr> <td>500 से अधिक 1000 तक</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>3.0</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>1000 से अधिक 1500 तक</td> <td>9.0</td> <td>6.0</td> <td>4.5</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>1500 से अधिक 2000 से कम</td> <td>9.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table>	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट-बैक (मीटर)				अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2	<b>(क) रो- हाउसिंग</b>					150 से अधिक 300 तक	3.0	3.0	-	-	<b>(ख) सेमी-डिटेच्ड</b>					300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	-	<b>(ग) डिटेच्ड</b>					500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5	1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0	1500 से अधिक 2000 से कम	9.0	6.0	6.0	6.0
भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट-बैक (मीटर)																																																		
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2																																															
<b>(क) रो- हाउसिंग</b>																																																			
150 से अधिक 300 तक	3.0	3.0	-	-																																															
<b>(ख) सेमी-डिटेच्ड</b>																																																			
300 से अधिक 500 तक	4.5	4.5	3.0	-																																															
<b>(ग) डिटेच्ड</b>																																																			
500 से अधिक 1000 तक	6.0	6.0	3.0	1.5																																															
1000 से अधिक 1500 तक	9.0	6.0	4.5	3.0																																															
1500 से अधिक 2000 से कम	9.0	6.0	6.0	6.0																																															

		(II)	भवनों में भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. निम्नवत होंगे:-												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>भूखण्ड का क्षेत्रफल</th> <th>भू-आच्छादन (प्रतिशत)</th> <th>एफ.ए.आर.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150 से अधिक 300 तक</td> <td>65</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>300 से अधिक 500 तक</td> <td>50</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>500 से अधिक 2000 से कम</td> <td>45</td> <td>1.25</td> </tr> </tbody> </table>	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.	150 से अधिक 300 तक	65	1.75	300 से अधिक 500 तक	50	1.50	500 से अधिक 2000 से कम	45	1.25
भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ.ए.आर.													
150 से अधिक 300 तक	65	1.75													
300 से अधिक 500 तक	50	1.50													
500 से अधिक 2000 से कम	45	1.25													
26.7	पार्किंग व्यवस्था	(i)	आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार निम्नवत पार्किंग का प्राविधान करना होगा:-												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल</th> <th>प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु समान कार स्थल की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>100 से अधिक-150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल</td> <td>1.50</td> </tr> </tbody> </table>	आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल	प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु समान कार स्थल की संख्या	100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	01	100 से अधिक-150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	1.25	150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल	1.50				
आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल	प्रत्येक आवासीय इकाई हेतु समान कार स्थल की संख्या														
100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	01														
100 से अधिक-150 वर्गमी. तल क्षेत्रफल तक	1.25														
150 वर्गमी. से अधिक तल क्षेत्रफल	1.50														
		(ii)	'समान कार स्थल' के लिए सर्कुलेशन एरिया सहित निम्न मानक होंगे:- (क) खुले क्षेत्र में पार्किंग : 23 वर्ग मीटर (ख) कवर्ड पार्किंग : 28 वर्ग मीटर (ग) बेसमेंट में पार्किंग : 32 वर्ग मीटर												
		(iii)	पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट प्लोर अनिवार्य होगा। स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा। इसमें जीना/लिफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा।												
26.8	अन्य अपेक्षाएं	(i)	उपर्युक्तानुसार भूखण्डों पर बहु-आवासीय इकाईयां अनुमन्य किये जाने से पूर्व आवेदक से उ.प्र. नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 के प्राविधानानुसार विकास शुल्क जमा कराया जाएगा।												
		(ii)	नियोजित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्डों को समेकित (Amalgamate) कर यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।												
		(iii)	सम्बन्धित कालोनी/क्षेत्र (अनुमोदित ले-आउट प्लान से आच्छादित क्षेत्र) की डेन्सिटी महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित अधिकतम डेन्सिटी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अन्यथा डेन्सिटी में संशोधन हेतु प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त ही इकाईयों का निर्माण अनुमन्य किया जाएगा।												
		(iv)	भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति के समय स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।												
		(v)	भवन की ऊँचाई ए.एस.आई के रेगुलेटेड एरिया, एयरपोर्ट फनल जोन तथा अन्य स्टैच्यूटरी नियंत्रण (यदि हो), आदि से नियन्त्रित होगी।												
		(vi)	भवनों का नियोजन, अभिकल्पन एवं निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 'फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी' की अपेक्षानुसार अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।												
		(vii)	भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार होंगी।												
		(viii)	चार से अधिक आवासीय इकाईयों की स्थिति में उ.प्र. अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 एवं तद्धीन बनाए गए रूल्स एवं बाई लाज प्रभावी होंगे।												



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- 433964 /सी-5/2010/34/2020

दिनांक-20.10.2020

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग, गौरा बजार रोड,  
रायबरेली।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें से एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है।

यह कि रायबरेली शहर में विकास द्वारा आवासीय कागर्शियल एवं सड़क के निर्माण आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथारांशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

1. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर रिप्रिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में भवन स्वामी/परियोजना के विरुद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सेल्फ ऑडिट शीट भरकर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजनाओं के स्थल पर खुले में भण्डारित निर्माण सामग्री यथा:-बालू, मौरंग, सीमेण्ट को ढककर इस प्रकार रखा जाये कि परिवेशीय वायुगुणता कुप्रभावित न हो।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर रिप्रिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं/मुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स पर पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित कराकर उसका यू0आर0एल0 आई0डी0 एवं पासवर्ड उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये।
- बड़ी श्रेणी के निर्माणाधीन परियोजना स्थलों पर एण्टी स्मॉग गन स्थापित करायी जाये।

.....2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

(2)

- निर्माण कार्यो एवं छिड़काव हेतु शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग किया जाये।
  - निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को कवर्ड करना सुनिश्चित कराया जाये।
- सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

/  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपालन आख्य नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

/  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

निर्माण हेतु अधिसूचना

संख्या- 33965 /सी-5/2010-2011/2010

दिनांक 21/10/2010

पंजीकृत

सेवा में,  
अधिशारी अभियन्ता,  
आवास एवं विकास परिषद,  
रायबरेली।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सं एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है।

यह कि रायबरेली शहर में विकास द्वारा आवासीय कामर्शियल एवं सड़क के निर्माण आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त अधिशारी अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

1. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्पिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में भवन स्वामी/परियोजना के विरुद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सेल्फ ऑडिट शीट भरकर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजनाओं के स्थल पर खुले में भण्डारित निर्माण सामग्री यथा:-बालू, मौरंग, सीमेण्ट को ढककर इस प्रकार रखा जाये कि परिवेशीय वायुगुणता कुप्रभावित न हो।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्पिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं/युप हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स पर पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित कराकर उसका यू0आर0एल0 आई0डी0 एवं पासवर्ड उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये।
- बड़ी श्रेणी के निर्माणाधीन परियोजना स्थलों पर एण्टी स्मॉग गन स्थापित करायी जाये।

.....2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

(2)

- निर्माण कार्यो एवं छिड़काव हेतु शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग किया जाये।
- निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को कवर्ड करना सुनिश्चित कराया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्त आवास एवं विकास परिषद, रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपाल आख्या नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

क संख्या-.....(33966 / सी-5/2020/31/2020

दिनांक 21/11/2020

पंजीकृत

सेवा में,  
अधिशाली अभियन्ता,  
जल निगम, जेल रोड,  
रायबरेली।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है।

यह कि रायबरेली शहर में विकास द्वारा आवासीय कार्मार्शियल एवं सड़क के निर्माण आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

i. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर रिप्रिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में भवन स्वामी/परियोजना के विरुद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सेल्फ ऑडिट शीट भरकर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजनाओं के स्थल पर खुले में भण्डारित निर्माण सामग्री यथा:-बालू, मौरंग, सीमेण्ट को ढककर इस प्रकार रखा जाये कि परिवेशीय वायुगुणता कुप्रभावित न हो।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर रिप्रिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं/ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स पर पी10टी0जेड0 कैमरा स्थापित कराकर उसका यू0आर0एल0 आई0डी0 एवं पासवर्ड उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये।
- बड़ी श्रेणी के निर्माणाधीन परियोजना स्थलों पर एण्टी स्मॉग गन स्थापित करायी जाये।

.....2

टी.सी.-12 बी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

- निर्माण कार्यो एवं छिड़काव हेतु शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग किया जाये।
  - निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को कवर्ड करना सुनिश्चित कराया जाये।
- सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपालन आख्या नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या- 433961 /सी-5/2010/351/2010

दिनांक 21.11.2010

पंजीकृत

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
रायबरेली विकास प्राधिकरण, जेल गार्डन रोड,  
रायबरेली।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है।

यह कि रायबरेली शहर में विकास द्वारा आवासीय कामर्शियल एवं सड़क के निर्माण आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त उपाध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण, जेल गार्डन रोड, रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्पिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में भवन स्वामी/परियोजना के विरुद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सेल्फ ऑडिट शीट भरकर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजनाओं के स्थल पर खुले में भण्डारित निर्माण सामग्री यथा:-बालू, मौरंग, सीमेण्ट को ढककर इस प्रकार रखा जाये कि परिवेशीय वायुगुणता कुप्रभावित न हो।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्पिन्कलिंग की व्यवस्था करायी जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं/ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स पर पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित कराकर उसका यू0आर0एल0 आई0डी0 एवं पासवर्ड उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये।
- बड़ी श्रेणी के निर्माणाधीन परियोजना स्थलों पर एण्टी स्मॉग गन स्थापित करायी जाये।

.....2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

(2)

- निर्माण कार्यो एवं छिड़काव हेतु शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग किया जाये।
- निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को कवर्ड करना सुनिश्चित कराया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि उपाध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण, जेल गार्डन रोड, रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपालन आख्या नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

क्र. संख्या- 633962/सी-5/एन.एच.ए.आई. 534/2020

दिनांक 20-10-2020

पंजीकृत

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,  
राष्ट्रीय राजमार्ग, एन.एच.ए.आई.,  
रायबरेली।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है।

यह कि रायबरेली शहर में विकास द्वारा आवासीय कामर्शियल एवं सड़क के निर्माण आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग, एन.एच.ए.आई., रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

1. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में भवन स्वामी/परियोजना के विरुद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सेल्फ ऑडिट शीट भरकर ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजनाओं के स्थल पर खुले में भण्डारित निर्माण सामग्री यथा:-बालू, मौरंग, सीमेण्ट को ढककर इस प्रकार रखा जाये कि परिवेशीय वायुगुणता कुप्रभावित न हो।
- निर्माणाधीन भवनों/परियोजना को ग्रीन नेट से कवर किया जाये एवं भवन सामग्री को ढककर रखा जाये एवं धूल के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था करायी जाये।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं/ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की साइट्स पर पी0टी0जेड0 कैमरा स्थापित कराकर उसका यू0आर0एल0 आई0डी0 एवं पासवर्ड उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये।
- बड़ी श्रेणी के निर्माणाधीन परियोजना स्थलों पर एण्टी स्मॉग गन स्थापित करायी जाये।

.....2

टी.सी.-12 बी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

(2)

- निर्माण कार्यो एवं छिड़काव हेतु शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग किया जाये।
  - निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को कवर्ड करना सुनिश्चित कराया जाये।
- सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग, एन.एच.ए.आई., रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपालन आख्या नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या-.....433963/सी-5/सा.534/2020

दिनांक...20.10.2020  
पंजीकृत

सेवा में,

संभागीय परिवहन अधिकारी,  
हरदासपुर, महाराजगंज रोड,  
रायबरेली।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है।

यह कि रायबरेली शहर में सड़को पर वाहनों के आवागमन आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त संभागीय परिवहन अधिकारी, हरदासपुर, महाराजगंज रोड, रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

1. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- इलैक्ट्रिक/बैटरी वाहनों को बढ़ावा दिया जाये।
- चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाये।
- पी0यू0सी0 सेप्टर्स की नियमित जांच की जाये।
- सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।
- मालवाहक वाहनों में ओवरलोडिंग न होने दी जाये।
- निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को कवर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि संभागीय परिवहन अधिकारी, हरदासपुर, महाराजगंज रोड, रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपालन आख्या नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

## List Of PUC centers in Raebareli, U.P

- 1- Om Sai Vikas Samiti, Address : Amawa Road,Gram & Post-Ratapur.Tehsil-Sadar,Raibareilly, Bachhrawan-229001
- 2- Yogesh Paryavaran Sanrakchan Evam Jankalyan Samiti  
Jagdishpur,Post Office-Yahiyapur,Distt -Raibareilly, Bachhrawan-229001
- 3-Katyani Vikas Samiti, Hardaspur,Raibareilly, Rae Bareli-229316
- 4-Samad Automobiles, Kachehri Road Raibareilly, Bachhrawan-229001
- 5-Late Madhukar Khare Smriti Sansthan,Gram And Post Usru Raibareilly,Shop No -4 Bhojpur Block Sareni Lalganj Raibareilly-229212
- 6- M/S Late Chandra Kali Sewa Sansthan, 731/24,Nirala Nagar,Hjs School,Raibareilly,Shop No-02,Hardaspur,Arto Office, Bachhrawan-229001
- 7-Mahatma Gautambuddh Sewa Samiti, 995/10 Siddarth Nagar Bastepur Road Raibareilly,Shop No -2 Bhoieamauparsa Depur Road Raibareilly, Bachhrawan-229001
- 8-M/S Pt. Hausla Prasad Mishra Smriti Samiti,104,Rampur,Sadar,Raibareilly,Hardaspur,Near Rto Office, Salon-229310
- 9- Akanksha Caterers Seva Sansthan, Om Nagar Bachhrawa Raibarely,Raebareli Road, Raebareli-229301
- 10-Agarwal Antipollution Society, 57 Firoz Gandhinagar Raibareilly,5/191 Tigar Lock Aligarh, Bachhrawan-229001

## रायबरेली शहर में चिह्नित 10 हॉट स्पॉट

Annex -VE 2

- सिविल लाईन से स्टेशन रोड।
- सिविल लाईन से परशदेपुर रोड।
- अमावा रोड।
- सुल्तानपुर रोड औद्योगिक क्षेत्र
- सिविल लाईन चौराहा।
- खालसा चौक से सुपर मार्केट होते हुए घंटाघर।
- जिला अस्पताल से बस स्टैण्ड।
- सई नदी पुल।
- शक्ति नगर रेलवे साईडिंग।
- मुंशीगंज बाजार रोड (चौराहा)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annex - VE 3

(3)

पत्रांक लख्या- 633949/सी-5/सां0534/2020, दिनांक 20.10.2020

633949/सी-5/सां0534/2020

2020, दिनांक 20.10.2020

दिनांक 20.10.2020

पजीकृत

पुलिस अधीक्षक,  
यातायात,  
रायबरेली।

सक्षम अधिकारी

रायबरेली 20/10/20

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के 16 शहरों को Non Attainment शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक शहर रायबरेली भी है। उक्त शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त कार्ययोजना का अनुश्रवण नियमित रूप से उ0प्र0 शासन स्तर से गठित राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जाता है। यह कि रायबरेली शहर में सड़कों पर वाहनों के आवागमन आदि से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो शरद ऋतु में तापमान व हवा की गति में कमी के कारण धूल के कण वायुमण्डल में छाये रहते हैं। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, रायबरेली को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

1. रोड डस्ट नियंत्रण हेतु कार्य:-

- चिन्हित हॉटस्पॉट बिन्दुओं पर ट्रैफिक जाम न होने दिया जाये।
- पीक हावर्स में वैकल्पिक रूट से ट्रैफिक डाइवर्जन सुनिश्चित कराया जाये।
- अनाधिकृत क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग न होने दी जाये।
- पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट प्राप्त वाहनों को ही संचालन की अनुमति दी जाये।
- वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर होने पर ग्रेडेड रिसपायन्स ऐक्शन प्लान में दिए गए बिन्दुओं के अनुसार तत्काल कार्यवाही आरंभ करायी जाये।
- वाहनों की सघन चेंकिंग की जाये तथा प्रदूषणकारी वाहनों का नियमानुसार चालान किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि पुलिस अधीक्षक, यातायात, रायबरेली को जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निरन्तर अनुश्रवण रखें तथा अनुपालन आख्या नियमित रूप से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

टी सी -12 की, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppccb.com  
वेब साइट-www.uppccb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppccb.com  
Web site www.uppccb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annex -IP 1

पत्रांक संख्या- 259 / सी-5/12 / 2020-21

दिनांक 07-08-2020  
पंजीकृत

सेवा में,

स्टेशन अधीक्षक,  
रायबरेली जंक्शन,  
रायबरेली।

यह कि रायबरेली जंक्शन स्थित रेलवे साईडिंग पर माल की लोडिंग-अनलोडिंग से जनित हो रहे वायु प्रदूषण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री राहुल सिंह, निवासी 383/4, शक्ति नगर, रायबरेली द्वारा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ-आई.जी.आर.एस. सं.-15158180134334 में शिकायत दर्ज की गयी थी, जो इस कार्यालय में दिनांक 10.07.2018 को सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अंतरित की गयी है। उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 20.07.2018 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-480/आई.जी.आर.एस./जनसुनवाई/आर/18 दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्रदूषण के निवारण उपाय हेतु स्टेशन अधीक्षक, रायबरेली जंक्शन, रायबरेली को नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के पत्र संख्या-1723/आई.जी.आर.एस./आर/2020 दिनांक 24.01.2020 द्वारा पुनः शिकायत प्रकरण में हुई कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस इकाई को प्रेषित किया गया तथा मण्डल, रेल प्रबन्धक, उ0प्र0 रेलवे, लखनऊ को पृष्ठांकित भी किया गया।

अग्रतर पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शिकायत स्थल का निरीक्षण दिनांक 15.06.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-124/आई.जी.आर.एस./आर/2020-21 दिनांक 16.06.2020 द्वारा स्टेशन अधीक्षक, रायबरेली जंक्शन, रायबरेली को नोटिस प्रेषित किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इकाई के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रेषित किसी भी नोटिस का न ही प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और न ही निर्दिष्ट शिकायत स्थल पर जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रत्येक लोडिंग-अनलोडिंग प्वाइंट पर मशीनीकृत प्रणाली या टैंकरों के माध्यम से जल के छिड़काव की व्यवस्था तथा जल निकासी प्रणाली/हरित पट्टिका व्यवस्था स्थापित की गयी है। जिससे स्पष्ट परिलक्षित है कि इकाई द्वारा पर्यावरण अधिनियमों के अनुपालन हेतु अरुचि व्यक्त किया जा रहा है, जो जनहित के विरुद्ध है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किये जाने हेतु मार्गदर्शिका-(Report of the CPCB in house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund) के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उत्तर रेलवे, लखनऊ के अधीन स्टेशन अधीक्षक, रायबरेली जंक्शन, रायबरेली के...

.....2

टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

TC-12-V, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

(2)

विरुद्ध दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 30.07.2020 तक कुल डिफाल्ट 740 दिवस की अवधि का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति विरुद्ध रू0 55,50,000/- (रूपये पचपन लाख पचास हजार मात्र) ऑकलित करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न स्टेशन अधीक्षक, रायबरेली जंक्शन, रायबरेली के विरुद्ध दिनांक 20.07.2018 से दिनांक 30.07.2020 कुल 740 दिन की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू 55,50,000/- (रूपये पचपन लाख पचास हजार मात्र) अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार कुल 740 उल्लंघन दिवस की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 55,50,000/- (रूपये पचपन लाख पचास हजार मात्र) अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्टेशन अधीक्षक, रायबरेली जंक्शन, रायबरेली एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय,

(अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मण्डल रेलवे प्रबन्धक, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

List of Zigzag Brick Kilns In Raebareli

- 1- Ma Gauri Brick Field, Maneharu, Sadar, Raebareli.
- 2-Ma Vindhyaivasini Brick Field (Old Name Parmatma Brick Field), Vill. Khaira, Thulwasan, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 3-Nandini Brick Field, Vill. Madan Toosl, Post Rajamau, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 4-Vimal Brick Field, Vill- Doulatpur, Tehsil Unchahar, Raebareli
- 5-Vimala Brick Field, Vill. Dusouti, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 6-Maa Vindhyaivasini Brick Field, Vill & Post Roopamau, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 7-Kisan Brick Field, Vill. Ambara West, Pargana Lalganj, Raebareli.
- 8-Julfikar Brick Field, Vill. & Post Kudha, Tehsil Salon, Raebareli.
- 9-Rajput Brick Field, Vill. Badain Ka Purva, Tehsil Lalganj, Raebareli.
- 10- Maa Vimala Brick Field, Vill Pure Baisan Halor, Tehsil- Maharajganj, Raebareli.
- 11- Maurya Brick Field. Vill. Harbandhanpur, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 12- New Mouriya Brick Field, Vill. Harbandhanpur Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 13-Pragya Brick Field, Vill. Kateha, Post Rajapur, Tehsil Salon, Raebareli.
- 14- Yadav Brick Field, Vill Kotara, Bahadurganj Raebareli.
- 15-Sangam Brick Field, Vill Saidanpur, Khagipur Sadva, Raebareli.
- 16-Yash Brick Field, Vill Patti Rahas Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 17-Vijay Brick Field, Vill. Pachkhara, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 18-Sahil Brick Field, Vill. Makvapur, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 19-Jhamma Brick Field, Vill. & Post Patti Rahas Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 20- Kanhaiya Brick Field, Majhilaha, Rokha, Tehsil Salon, Raebareli.
- 21-Verma Brick Field, Vill. Pure Asharam Korihar, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 22-Soni Brick Field, Vill. Rasoolpur, Post Thulendi, Tehsil- Maharaj ganj, Raebareli.
- 23-A.K. Brick Field, Vill.Mahuari Majare Bela Khara, Tehsil & Distt. Raebareli.
- 24-Shukla Brothers Brick Field, Majhilaha, Salon, Raebareli.
- 25-Shiv Brick Field (Old name Sarvottam Brick field) Daudnagar, Rahi, Raebareli
- 26-Tulsi Brick Field, Vill. Puremanshi, Deeh, Tehsil Salon, Raebareli.
- 27-Chanda Brick field, Vill. Pure Tiwari, Deeh, Salon, Raebareli.
- 28-Rahul Brick Field, Vill Katghar, Tehsil Dalmau, Raebareli.
- 29-Verma Ent Udyog, Vill. Thagaicha, Sareni, Tehsil Lalganj, Raebareli.
- 30-Yadav Brick Field, Vill. Manipur Matehari, Laxmiganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.

**Current Status of identified Brick Kilns including Zig/Zag in U.P. State**

S. N.	Circle	Name of Regional Office	Name of District	Name & Add. Of brick kilns	Status of Consent Grant/Refused/Under Process/Not Applied	Action Taken on Defaulter Brick Kilns			Either Brick Kilns is Zig-Zag Yes/No	Other Action Taken agents Brick kilns
						Show Cause	closure	Prosecution		
1	5	Raebareli	Raebareli	A.K. Brick Field, Vill.Mahuari Majare Bela Khara, Tehsil & Distt.	Grant	-	-	-	NO	-
2	5	Raebareli	Raebareli	Abhaydata Brick Field, Vill. Bashar, Post Sanahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
3	5	Raebareli	Raebareli	Abhishek Brick Field, Vill. Behatamau, Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
4	5	Raebareli	Raebareli	Abhishek Brick Field, Vill. Bhatnausa, Tikariya, Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
5	5	Raebareli	Raebareli	Aditya Brick Field, Vill. Pure Varun,, Tehsil, Salon	Grant	-	-	-	NO	-
6	5	Raebareli	Raebareli	Ajay Brick Field, Vill. Malikmau Chaubara, Tehsil, Sadar	Grant	-	-	-	NO	-
7	5	Raebareli	Raebareli	Ajay Brick Field, Vill. Shobhvapur (Dosadaka) Lalganj,	Grant	-	-	-	NO	-
9	5	Raebareli	Raebareli	Aman Brick Field, Vill. Shobhvapur (Dosadaka) Lalganj,	Grant	-	-	-	NO	-
10	5	Raebareli	Raebareli	Amar Brick Field, Vill. Saindanpur, Khagipur Sadva,	Grant	-	-	-	NO	-
11	5	Raebareli	Raebareli	Ambey Birck Field, Vill. & Post Duknaha, Teh. Lalganj	Grant	-	-	-	NO	-
12	5	Raebareli	Raebareli	Ambey Brick Field, Vill Jamadar ka Purva, Post Bhitargaon,Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
13	5	Raebareli	Raebareli	Ambey Brick Field, Vill. & Post Jalalpur Dhari, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
14	5	Raebareli	Raebareli	Amit Brick Field, Vill. Kanjihar Dubhan, Tehsil Salon,	Grant	-	-	-	NO	-
15	5	Raebareli	Raebareli	Anand Brick Field, Vill. Rasantipur (Pure Vikram Jeet), Post Dandu Tekari,	Grant	-	-	-	NO	-
17	5	Raebareli	Raebareli	Andaj brick field (old name Kamlesh Brick Field) Vill. & Post Sudouli, Tehsil Maharajganj Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
18	5	Raebareli	Raebareli	Aniket Brick Field, Vill.Bargadha Harchandpur	Grant	-	-	-	NO	-
19	5	Raebareli	Raebareli	Ankit Brick Field, Vill. Ranikhera, Post- Rajamau, Tehsil- Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
21	5	Raebareli	Raebareli	Anubhav Brick Field, Vill. Emapur, Shivgar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
22	5	Raebareli	Raebareli	Arm Brick Field, Vill. Salempur, Post Bhimganj, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
23	5	Raebareli	Raebareli	Arshi Brick Field, Vill. Suchi Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
24	5	Raebareli	Raebareli	Arvind Brick Field Vill. Sanahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
25	5	Raebareli	Raebareli	Arya Brick Field, Vill. Chandai Raghunathpur, Sadar,Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
27	5	Raebareli	Raebareli	Ashish Brick Field, Vill. & Post Daulatpur, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
28	5	Raebareli	Raebareli	Ayodhya Brick Field, Vill. & Post Sudamapur, Pargana,Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
30	5	Raebareli	Raebareli	B.N. Singhaniya Brick Field, Vill Rajpur Chakbibi, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
31	5	Raebareli	Raebareli	B.S. Brick Field, Vill. & Post Rahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
32	5	Raebareli	Raebareli	Baba Brick Field, Vill.Tarapur Kurha, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

33	5	Raebareli	Raebareli	Baba Vishwanath Brick Field, Vill. Maneharu, Post Belakhara, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
34	5	Raebareli	Raebareli	Bade baba brick field (old name Devesh Brick Field) Vill Manjhgavn Halor, Tehsil, Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
35	5	Raebareli	Raebareli	Bade Baba Brick Field, Vill. Manjhgav, halor, teh. Maharajganj,	Grant	-	-	-	NO	-
36	5	Raebareli	Raebareli	Bainsvara Brick Field, Vill & Post Ehar, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
37	5	Raebareli	Raebareli	Bजारंग Bali Brick Field, Vill. & Post Jalalpur Dhari, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
38	5	Raebareli	Raebareli	Bajpei Brick Field, Vill. Ghuremau, Post Sareni, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
39	5	Raebareli	Raebareli	Bajpei Brick Field, Vill. Vishayakpur Sareni Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
40	5	Raebareli	Raebareli	Bakshi Brick Field, Vill. Korihara, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
42	5	Raebareli	Raebareli	Balaji Brick Field, Vill. Surajkunda Post Uttarpara, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
43	5	Raebareli	Raebareli	Baleheswar Brick Field, Vill. & Post Sultanpurkhera, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
45	5	Raebareli	Raebareli	Beena Brick Field, Vill. Bariyapur Riva, Tehsil Maharajganj, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
48	5	Raebareli	Raebareli	Bhadouriya Brick Field, Vill. Pasidusi Madandusi, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
49	5	Raebareli	Raebareli	Bhagirathi Brick Field, Vill. Japharapur, Post Khagipur, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
53	5	Raebareli	Raebareli	Bharat Brick Manufacturing Ikai, Vill. Belhani, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
54	5	Raebareli	Raebareli	Bholenath brick field saidpur behata (rajamau) maharajganj	Grant	-	-	-	NO	-
55	5	Raebareli	Raebareli	Bholenath brick field vill . Saidepur (rajamau) mahrajganj	Grant	-	-	-	NO	-
56	5	Raebareli	Raebareli	Brijdeep Brick Field, Vill. Pandeypur Vishunkhera, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
57	5	Raebareli	Raebareli	Buity Brick Field, Vill. Duknaha, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
58	5	Raebareli	Raebareli	C.T. Brick Field, Vill. Pure Baghelan, Post Murai ka Bagh, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
59	5	Raebareli	Raebareli	Chaman Brick Field, Vill. Bahutai Rokha, Tehsil, Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
60	5	Raebareli	Raebareli	Chaman Brick Field, Vill. Bhutai rokha , Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
61	5	Raebareli	Raebareli	Chanda Brick field, Vill. Pure Tiwari, Deeh, Salon, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
62	5	Raebareli	Raebareli	Chandanani & Company, Vill. Belabhela, Uttarpara, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
65	5	Raebareli	Raebareli	Chauhan Brick Field, Vill Mahuri Mubarakpur, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
66	5	Raebareli	Raebareli	Chawala Brick Field, Vill Belabhela, Uttarpara, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
68	5	Raebareli	Raebareli	Chitransh Brick field, Vill. & Post Duknaha, Teh.Lalganj	Grant	-	-	-	NO	-
70	5	Raebareli	Raebareli	Deepak Brick Field, Vill Atarehata, Tehsil, Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
71	5	Raebareli	Raebareli	Deepak Brick Field, Vill Nandakhera, Pachimgaon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
73	5	Raebareli	Raebareli	Dhananjay Ent Udyog, Vill. Garva Deeh, Tehsil, Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
74	5	Raebareli	Raebareli	Dharmeshwar Brick Field, Vill.Bakhari majarenTikawamau, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
75	5	Raebareli	Raebareli	Dileep Kumar Mishra Brick Field, Vill. Saimbsi Nihastha, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
76	5	Raebareli	Raebareli	Dulari Brick Field, Vill Bandramau, Post Rahi, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
78	5	Raebareli	Raebareli	G.P. Brick Field, Vill. Khanua, Post Munsiganj, Sadar, Raebareli.Tehsil	Grant	-	-	-	NO	-
79	5	Raebareli	Raebareli	G.P. Tiwari Brick Field, Vill & Post Balla Bujurg, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

80	5	Raebareli	Raebareli	Vimala Brick field (Old Name G.R.D. Brick field & Ramu Brick Field), Vill. Kubarikhera Echauli Tehsil Bachhranwa Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
81	5	Raebareli	Raebareli	Ganesh Brick Field, Echouli, Bachhrawan	Grant	-	-	-	NO	-
84	5	Raebareli	Raebareli	Ganesh Brick Field, Vill. & Post Echouli, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
86	5	Raebareli	Raebareli	Ganesh Brick Field, Vill. Dhamdhama, Post Korouli, Tehsil, Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
87	5	Raebareli	Raebareli	Ganga Brick Field, Vill. Darswan Chouraha, Suchi, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
88	5	Raebareli	Raebareli	Krishna Brick field (Old Name Ganga Brick Field), Vill. Pure Baghelan, Post Muraibagh, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
90	5	Raebareli	Raebareli	Ganga Brick Field, Vill. Sareni Ghuremau, Teh. Lalganj.	Grant	-	-	-	NO	-
91	5	Raebareli	Raebareli	Gangaram jeevnani Brick Field, Vill. Tanda Gangaganj, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
92	5	Raebareli	Raebareli	Gangotri End Udyog, Vill. Rajapur, Post Khagipur Sarva, Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
93	5	Raebareli	Raebareli	Gaurav Brick Field, Vill. Othi, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
94	5	Raebareli	Raebareli	Gaurav Brick Field, Vill. Saray, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
95	5	Raebareli	Raebareli	Ghanshyam Atlani Ent Bhatta, Vill. Gangaganj Shora, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
96	5	Raebareli	Raebareli	Gour Brick Field, Vill & Post Barara Bujurg, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
98	5	Raebareli	Raebareli	Grover Brick Field, Vill. Chharahara, post Rahi,	Grant	-	-	-	NO	-
99	5	Raebareli	Raebareli	Growar brick field ( old name Captan Brick Field) Vill. Chharhara, Post Rahi, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
104	5	Raebareli	Raebareli	H.V.Brick.Field., Vill. Kallui Khera, Bachrawan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
105	5	Raebareli	Raebareli	Habibun Nisha Brick Field, Vill. Thulendi, Pargana Bachrawan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
106	5	Raebareli	Raebareli	Hanumat Brick Field, Vill Payagpur, Post Laxmiganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
107	5	Raebareli	Raebareli	Harihar Brick Field Satanpur Lalganj Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
108	5	Raebareli	Raebareli	Harish Brick Field, Vill. Ramsada, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
110	5	Raebareli	Raebareli	India Brick Field, Vill & Post Korihar, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
112	5	Raebareli	Raebareli	J.P. Brick Field, Vill Kasana, Pargana Kumrawan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
113	5	Raebareli	Raebareli	Jagdish Brick Field, Vill.Govindpur, Biloli, Dalmau,	Grant	-	-	-	NO	-
114	5	Raebareli	Raebareli	Jai Maa Brick Field (Old Name Sangam Brick field), Vill. Sevanpur, Duknaha, Kheeron, Lalganj, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
115	5	Raebareli	Raebareli	Jai Ambey Brick Field, Vill. Bahudakhurd, Pargana Kumrawan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
117	5	Raebareli	Raebareli	Jai Ma Durga Brick Field, Vill. Daudpur, Ramnagar, Post Ehar, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
120	5	Raebareli	Raebareli	Jai Ma Gange Brick Field (Old name Shri Ma Gange Brick Field), Vill. Kishunkhera, Kheero, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
121	5	Raebareli	Raebareli	Jai Ma Vaishno Brick Field, Vill Alawalpur, Post Tikar Agachipur, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
126	5	Raebareli	Raebareli	Jaiswal Brick Field, Vill. Rampur pawara,	Grant	-	-	-	NO	-
127	5	Raebareli	Raebareli	Janata Brick Field, Vill. Medanpur, Pargana Rokha, Teh. Salon.	Grant	-	-	-	NO	-
129	5	Raebareli	Raebareli	Gomati Brick field (old name Janki Brick Field) Rampur Rajapur Halor	Grant	-	-	-	NO	-

130	5	Raebareli	Raebareli	Janta Brick Field, Vill. Anti Nougawan, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
131	5	Raebareli	Raebareli	Janta Brick Field, Vill. Dohari Roopamau, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
132	5	Raebareli	Raebareli	Jayswal Brick Fkeld, Vill & Post Rampur Sudouli, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
133	5	Raebareli	Raebareli	Jhamma Brick Field, Vill. & Post Patti Rahas Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
134	5	Raebareli	Raebareli	Julfikar Brick Field, Vill. & Post Kudha, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
136	5	Raebareli	Raebareli	K.K.S. Brick Field, Vill Khojanpur, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
138	5	Raebareli	Raebareli	Kamalesh Brick Field, Vill. & Post Kotra Bahadurganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
139	5	Raebareli	Raebareli	Kanha Brick Field(Old Name Khan Brick Field) Vill. Khaira Thulwasan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
140	5	Raebareli	Raebareli	Kanhaiya Brick Field, Majhilaha, Rokha, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
142	5	Raebareli	Raebareli	Kaushal Ent Uddyog (old nameEkata Brick Field ), Vill. Maharganj Road, Sothi, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
143	5	Raebareli	Raebareli	Khan Brick Field, Vill. Johvasharki, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
144	5	Raebareli	Raebareli	Khan Brick Field, Vill. Rajamau, Bachhrawan, Teh. Mahrajganj,	Grant	-	-	-	NO	-
145	5	Raebareli	Raebareli	Kisan Brick Field, Vill. Ambara West, Pargana Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
147	5	Raebareli	Raebareli	Krishna Brick Field, Vill. Khaleelpur, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
148	5	Raebareli	Raebareli	Krishna Brick Field, Vill. Malin Ka purwa, Premrajpur, Rahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
151	5	Raebareli	Raebareli	Krishna Brick Field, Vill. Pure Malanga, Post Bishunkhera, The. Lalganj,	Grant	-	-	-	NO	-
152	5	Raebareli	Raebareli	Krishna Brick Field, Vill. Sultanpur Khera, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
153	5	Raebareli	Raebareli	Krishna Ent Udyog, Vill Devikhera (Ranapur), Pahrouli, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
155	5	Raebareli	Raebareli	Lakhanapur Brick Field, Vill. Lakhanapur, Post Sareni, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
156	5	Raebareli	Raebareli	Lambardar Brick Field, Tera Baraula, Bachhrawan, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
157	5	Raebareli	Raebareli	Laxmi Brick Field, Vill. & Post Terukha Tehsil Dalmau, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
158	5	Raebareli	Raebareli	Laxmi Brick Field, Vill. & Post Thulwasan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
159	5	Raebareli	Raebareli	Laxmi Brick Field, Vill. Sabjibbura, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
160	5	Raebareli	Raebareli	Laxmi Ent Udyog, Vill. Mon, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
161	5	Raebareli	Raebareli	M.S.G. Brick Field, Vill Sirsa, Pargana & Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
162	5	Raebareli	Raebareli	Ma Bhawani Brick Field, Vill. Garhi Dularai, Post Gurubakshganj, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
164	5	Raebareli	Raebareli	Ma Chamunda Brick Field, Vill Belahara Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
165	5	Raebareli	Raebareli	Ma Durge Brick Field, Vill Kesouli, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
166	5	Raebareli	Raebareli	Ma Gauri Brick Field, Maneharu, Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
167	5	Raebareli	Raebareli	Ma Laxmi Brick Field, Vill & Post Sidhourtara, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
168	5	Raebareli	Raebareli	Ma Sanktha Brick Field, Vill Anapur, Post Semarpaha, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
169	5	Raebareli	Raebareli	Ma Sharda Brick Field (Old Name Swastik Brick Field), Vill. Padri, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
172	5	Raebareli	Raebareli	Ma Vaishno Brick Field, Vill. Shobhawapur, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

173	5	Raebareli	Raebareli	Ma Vimala Brick Field, Vill Pure Baisan Halor, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
174	5	Raebareli	Raebareli	Ma Vindhya Vasini Brick Field (Old Name Parmatma Brick Field), Vill. Khaira, Thulwasan, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
175	5	Raebareli	Raebareli	Ma Vindhya Vasini Brick Field, Vill & Post Roopamau, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
176	5	Raebareli	Raebareli	Maa Rama Brick Field (Old name Ma Vaishno Brick Field) Ubarni, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
177	5	Raebareli	Raebareli	Mahadev Brick Field, Vill. Pasapur, Post Munshiganj, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
178	5	Raebareli	Raebareli	Mahakaleswar Brick Field, Vill. Korihar, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
179	5	Raebareli	Raebareli	Mahima Brick Field, Vill. Barwaliya, Pargana Kheero, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
180	5	Raebareli	Raebareli	Mamta Brick Field. Vill. Parshurampur, Thekhai Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
184	5	Raebareli	Raebareli	Jai Ma Durga Brick field (Old name MM Brick Field), Vill. & Post Alawalpur, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
185	5	Raebareli	Raebareli	Mohan Brick Field, Vill. Bhawanipur, Ralpur, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
186	5	Raebareli	Raebareli	Mourya Brick Field. Vill. Harbandhanpur, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
190	5	Raebareli	Raebareli	Nambardah Brick Field, Vill. Kolwa, Post Naseerabad, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
191	5	Raebareli	Raebareli	Nandini Brick Field, Vill. Madan Toosi, Post Rajamau, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
192	5	Raebareli	Raebareli	Nanha Brick Field, Vill Rampur Sudouli, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
195	5	Raebareli	Raebareli	Narayan Brick Field, Jugrajpur, Shivgarh, Mahraganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
196	5	Raebareli	Raebareli	Narsingh Mal Ent Bhatha, Vill. Chhtaiya Harchandpur, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
199	5	Raebareli	Raebareli	New Ajanta Brick Field, Vill. Bela Tekai, Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
200	5	Raebareli	Raebareli	New Akhya Brick Field, Vill Huler Jamuranwa Tah- mahrajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
201	5	Raebareli	Raebareli	New Indrani Brick Field, Vill. Dohri, Roopamau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
202	5	Raebareli	Raebareli	New King Brick Field, Vill. Premrajpur Rahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
203	5	Raebareli	Raebareli	New Krishna Brick Field, Vill. Madhukarpur, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
204	5	Raebareli	Raebareli	New Laxmi (Sona) Brick Field, Vill Paschim Gavn, Pasi Tusi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
205	5	Raebareli	Raebareli	New Mouriya Brick Field, Vill. Harbandhanpur Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
206	5	Raebareli	Raebareli	New Pragya Brick Field, Vill. Thulrai, Goura, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
207	5	Raebareli	Raebareli	New Rathour Brick Field, Vill. & Post Melthua, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
208	5	Raebareli	Raebareli	New Royal Brick Field, Vill. Paraiya Namaksar, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
210	5	Raebareli	Raebareli	New Sardar Brick Field, Vill. Ahora, Rampur, Parshadepur, Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

212	5	Raebareli	Raebareli	New Yadav Brick Field, Vill. Makhdoompur, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
213	5	Raebareli	Raebareli	Om Brick Field (Old Name Ma Brick Field), Vill. Dihavapur, Chanda Teekar, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
214	5	Raebareli	Raebareli	Om Brick Field, Pure Dube Lohra Sadar Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
218	5	Raebareli	Raebareli	Om Brick Field, Vill. Kanjikhara, Samodha, Sareni, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
219	5	Raebareli	Raebareli	Om Jai Ma Gange Brick Field, Vill Banpurwa Majare Barara Bujurg, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
220	5	Raebareli	Raebareli	Om Narayan Brick Field, Vill. Barwaliya, Post Tikawamau, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
221	5	Raebareli	Raebareli	Omkareshwar Brick Field, Vill. & Post Sultanpur Khera, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
225	5	Raebareli	Raebareli	Pawan Brick Field, Vill, Jyotiyamau, Muraibagh, Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
226	5	Raebareli	Raebareli	Piyush Brick Field, Vill. Rustamkhera, Majarebala, Harchandpur, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
228	5	Raebareli	Raebareli	Pooja Brick Field, Vill Bakwara, Rustampur Rahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
229	5	Raebareli	Raebareli	Pooja Brick Field, Vill Gojhari, Gurubakshganj, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
230	5	Raebareli	Raebareli	Pragya Brick Field, Vill. Kateha, Post Rajapur, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
231	5	Raebareli	Raebareli	Pragya Brick Field, Vill. Melkha Sahab, Post Sultanpur Janouli, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
233	5	Raebareli	Raebareli	Prem Chand Brick Field, Vill. Malin ka Purva Rahi, Tehsi I Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
234	5	Raebareli	Raebareli	Prince Brick Field, Vill Heengamau, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
235	5	Raebareli	Raebareli	R.G. Brick Field, Vill. Durga khera Majare Dumathar, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
237	5	Raebareli	Raebareli	Raghav Brick Field, Vill. Kesouli (Laxipur), Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
238	5	Raebareli	Raebareli	Rahat Brick Field, Vill. Sanda Saidan, Post & Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
239	5	Raebareli	Raebareli	Rahul Brick Field, Vill Katghar, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
240	5	Raebareli	Raebareli	Rahul Brick Field, Vill Ghorwara, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
242	5	Raebareli	Raebareli	Raj pal Ent Udyog, Vill. Korihar Dhakiya Chouraha, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
244	5	Raebareli	Raebareli	Raja Brick Field, Vill, Pure Budhai, Deeh, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
246	5	Raebareli	Raebareli	Raja Brick Field, Vill. Etara Bujurg, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
247	5	Raebareli	Raebareli	Raja Brick Field, Vill. Padari Ganeshpur Tikara, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
248	5	Raebareli	Raebareli	Rajput Brick Field, Vill. Badain Ka Purva, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
249	5	Raebareli	Raebareli	Rakesh Brick Field, Vill Ataganj, Usari, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
251	5	Raebareli	Raebareli	Ram Brick Field, Vill. Lodhwari, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
253	5	Raebareli	Raebareli	Rama Brick Field, Vill. & Post Belhani, Tehsil Lalganj, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
254	5	Raebareli	Raebareli	Ramesh Brick Field, Vill. Onai, Post Gurubakshganj, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

255	5	Raebareli	Raebareli	Rameshwari Brick Field, Vill. Kajiyana, Tehsil Unchahar. Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
256	5	Raebareli	Raebareli	Rastogi Brick Field, Vill. Kateha, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
257	5	Raebareli	Raebareli	Ratan Brick Field, Vill & Post Johwasharki, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
258	5	Raebareli	Raebareli	Rathour Brick Field, Vill. Sai Tikariya Durgaganj, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
259	5	Raebareli	Raebareli	Rathour Infradevelopers Pvt. Ltd., Vill Japharapur Belakhara, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
260	5	Raebareli	Raebareli	Ravi Brick Field, Vill. Ramma Ka Purva, Gangouli, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
261	5	Raebareli	Raebareli	Ravi Brick Field, Vill. Rustampur, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
263	5	Raebareli	Raebareli	Ritesh Brick Field, Vill. Parshurampur Thekahi, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
264	5	Raebareli	Raebareli	Rudra Brick Field, Vill. Sarai Shri Baksh, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
265	5	Raebareli	Raebareli	S.M. Brick Field, Naseerabad, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
267	5	Raebareli	Raebareli	S.S. Brick Field, Vill. Sansari, Parsadepur, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
268	5	Raebareli	Raebareli	Sahil Brick Field, Vill. Makvapur, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
269	5	Raebareli	Raebareli	Saleem Brick Field, Vill. Deeh, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
270	5	Raebareli	Raebareli	Sangam Brick Field, Vill Saidanpur, Khagipur Sadva, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
272	5	Raebareli	Raebareli	Santhosh Brick Field, Vill Ganesh Ka Purva, Kotara Bahadurganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
274	5	Raebareli	Raebareli	Sardar Brick Field, Vill. Suraj Kunda, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
275		Raebareli	Raebareli	Shiv Brick Field (Old name Sarvottam Brick field) Daudnagar, Rahi, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
276	5	Raebareli	Raebareli	Sarvshri Krishna Brick Field, Vill. Pure Malanga, Post Vishunkhera, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
277	5	Raebareli	Raebareli	Sashiraj brick field (old name Pradeep Brick Field) Vill. Shora, Post Gangaganj, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
278	5	Raebareli	Raebareli	Satya Prakash Agrawal Brick Field, Vill. Gochara Rahi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
279	5	Raebareli	Raebareli	Satyam Brick Field, Vill Bheeta Gavn, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
281	5	Raebareli	Raebareli	Saurabh Brick Field, Vill. Rampur Sudouli, Bacharawan, Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
282	5	Raebareli	Raebareli	Savlani Ent Udyog, Vill. Pure Payam Tanda, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
284	5	Raebareli	Raebareli	Shakti Brick Field, Vill. Kandrava, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
285	5	Raebareli	Raebareli	Kanha brick field (Old Name Shakuntala Tyagi Brick Field & Koushal Ent Udyog), Vill. & Post Thulwasan, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
286	5	Raebareli	Raebareli	Shambhavi Brick Field, Vill. Parshurampur, Thekahi, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
287	5	Raebareli	Raebareli	Shankar Brick Field, Vill. Lodhwari, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
288	5	Raebareli	Raebareli	Shankar Brick Field, Vill. Majhigavan Karan, Post Chouhaniya, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
289	5	Raebareli	Raebareli	Shankar Brick Field, Vill. Rampurkhas, Shivgarh, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
290	5	Raebareli	Raebareli	Shanti Brick Field, Vill Kumhrawan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

291	5	Raebareli	Raebareli	Sharma Ent Udyog, Vill Haripur Mirdha, Kheero, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
292	5	Raebareli	Raebareli	Shri Gange Brick Field, Neeva, Ichouli, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
294		Raebareli	Raebareli	Shiv brick fird (Old name Sarv shri Shiv Brick Field) Shyampur, Kheeron, Lalganj, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
299	5	Raebareli	Raebareli	Shiv Brick Field, Vill. Sarae Torhimau, Rokha, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
300	5	Raebareli	Raebareli	Shiv Ent Uddyog, Vill.Dighora, Somau, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
301	5	Raebareli	Raebareli	Shiv Interprises, Vill. Onai, Gurubakshganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
302	5	Raebareli	Raebareli	Shiv Shakti Brick Field, Vill Navabganj, Jagatpur, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
307	5	Raebareli	Raebareli	Shivam Brick Field, Vil. Ajeetpur, Kheero, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
308	5	Raebareli	Raebareli	Shivam Brick Field, Vill. Bhagipur, Post Babuganj, Tehsil Unchaha, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
313	5	Raebareli	Raebareli	Shri Balaji Brick Field, Vill. Pure Shekhan, Balbhardrapur, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
314	5	Raebareli	Raebareli	Shri Balaji Brick Field, Vill. Pure Sheshan Makdoompur Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
317	5	Raebareli	Raebareli	Shri Dhameshwar Brick Field, vill. Bhakhari, Tikawamau Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
322	5	Raebareli	Raebareli	Shri Ram Brick Field, Vill. Gopapur Laxmiganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
323	5	Raebareli	Raebareli	Shri Ram Brick Field, Vill. Onai Gurubakshganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
325	5	Raebareli	Raebareli	Shri Seetaram Brick Field, Vill Sirsa, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
327	5	Raebareli	Raebareli	Shubham Brick Field, Vill. Post Pachim Gavn, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
328	5	Raebareli	Raebareli	Shukla Brick Field, Vill. Echouli, Bacharawan, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
329	5	Raebareli	Raebareli	Shukla Brothers Brick Field, Majhilaha, Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
330	5	Raebareli	Raebareli	Shyam Brick Field. Vill. Bhiknapur, Thasil Unchapur, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
331	5	Raebareli	Raebareli	Shyam Brick Field. Vill.Godwara, Thasil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
333	5	Raebareli	Raebareli	Sidhidatri Brick Field, Vill Jhakrasi, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
334	5	Raebareli	Raebareli	Singh Brick Field, Vill Chandramanikhera, Post Chahottar, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
335	5	Raebareli	Raebareli	Singhaniya Brick Field, Vill. Meerjahanpur, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
336	5	Raebareli	Raebareli	Sonal Brick Field, Vill. Sevanpur, Kheero, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
337	5	Raebareli	Raebareli	Soni Brick Field, Vill. Rasoolpur, Post Thulendi, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
338	5	Raebareli	Raebareli	Sri Balaji Brick Field Bhawani Baksh ka Puwa, Sultanpur Khera, Tehsil Sadar, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
340	5	Raebareli	Raebareli	Subham brick field (old name Sanjeev Brick Field), Vill. Ramsanda, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
341	5	Raebareli	Raebareli	Sudama Brick Field, Vill. Bhagvantpur, Chandaniya, Post Jalalpur Dhai, Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
342	5	Raebareli	Raebareli	Suman Brick Field, Katiyara, Mataka, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
343	5	Raebareli	Raebareli	Suraj Brick Field, Vill.Bhelia, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
344	5	Raebareli	Raebareli	Suresh Narayan Brick Field, Vill. Shobhwapur, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
347	5	Raebareli	Raebareli	Taj Brick Field, Vill. Balla Baroula, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-

348	5	Raebareli	Raebareli	Thakur sahab brick field basukhera sareni	Grant	-	-	-	NO	-
349	5	Raebareli	Raebareli	Tirupati Bala Ji Brick Field Vill. Kushal Khera Sareni The. Lalganj Rae Bareli	Grant	-	-	-	NO	-
350	5	Raebareli	Raebareli	Tiwari Brick Field, Vill. Purasi, Halor, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
355	5	Raebareli	Raebareli	Tulsi Brick Field, Vill. Puremanshi, Deeh, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
356	5	Raebareli	Raebareli	Vaibhav Brick Field, Vill. Malke Gavn, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
357	5	Raebareli	Raebareli	Vaishno brick field rajapur	Grant	-	-	-	NO	-
359	5	Raebareli	Raebareli	Vandana Ent Udyog, Vill. Banaimau, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
363	5	Raebareli	Raebareli	Verma Brick Field, Vill. Pure Asharam Korihar, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
364	5	Raebareli	Raebareli	Verma Ent Udyog, Vill. Thagaicha, Sareni, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
365	5	Raebareli	Raebareli	Vijay Brick Field, Vill Korihar, Tehsil sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
366	5	Raebareli	Raebareli	Vijay Brick Field, Vill. Khiro, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
367	5	Raebareli	Raebareli	Vijay Brick Field, Vill. Pachkhara, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
368	5	Raebareli	Raebareli	Vijay Brick Field, Vill., Post & Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
369	5	Raebareli	Raebareli	Vijay Brick Field, Vill.Paraiya Namalcsar, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
370	5	Raebareli	Raebareli	Vikaram Brick Field, Vill. Ajijganj, Balla, Tehsil Maharajganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
371	5	Raebareli	Raebareli	Vikaram Brick Field, Vill. Bhagukhera, Semari, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
372	5	Raebareli	Raebareli	Vikaram Brick Field, Vill. Bhitari. Asarfi, Maharaniganj, Tehsil Lalganj, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
373	5	Raebareli	Raebareli	Vimal Brick Field, Vill. Doulatpur, Tehsil Unchahar, Raebareli	Grant	-	-	-	NO	-
374	5	Raebareli	Raebareli	Vimala Brick Field, Vill. Dusouti, Tehsil Sadar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
375	5	Raebareli	Raebareli	Vishal Brick Field, Vill Suchi, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
378	5	Raebareli	Raebareli	Yadav Brick Field, Vill Kotara, Bahadurganj Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
379	5	Raebareli	Raebareli	Yadav Brick Field, Vill. Manipur Matehari, Laxmiganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
380	5	Raebareli	Raebareli	Yadav Brick Field, Vill. Ratanpur, Tehsil Salon, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
381	5	Raebareli	Raebareli	Yadav Brick Field. Vill. Saray Tularam, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
384	5	Raebareli	Raebareli	Yash Brick Field, Kishundaspur Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
385	5	Raebareli	Raebareli	Yash Brick Field, Vill Patti Rahas Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
386	5	Raebareli	Raebareli	Zilot Brick Field, Vill. Kesharua, Barua, Tehsil Dalmau, Raebareli.	Grant	-	-	-	NO	-
387	5	Raebareli	Raebareli	Yashi Brick field, vill. And post Bela Musisi, Sadar raebareli	Grant	-	-	-	No	-
388	5	Raebareli	Raebareli	Rajendra Brick field, Lakhanapur Lalganj Raebareli	Grant	-	-	-	No	-
389	5	Raebareli	Raebareli	Prabha Brick field, Ramnagar, Aihar, The. Dalmau, Raebareli	Grant	-	-	-	No	-
390	5	Raebareli	Raebareli	Choudhari Bric field, Vill and post Kuvarmau, Teh. Salon, Raebareli	Grant	-	-	-	No	-

## List of Zigzag Brick Kilns In Raebareli

- 1- Ma Gauri Brick Field, Maneharu, Sadar, Raebareli.
- 2-Ma Vindhyaivasini Brick Field (Old Name Parmatma Brick Field), Vill. Khaira, Thulwasan, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 3-Nandini Brick Field, Vill. Madan Toosl, Post Rajamau, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 4-Vimal Brick Field, Vill- Doulatpur, Tehsil Unchahar, Raebareli
- 5-Vimala Brick Field, Vill. Dusouti, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 6-Maa Vindhyaivasini Brick Field, Vill & Post Roopamau, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 7-Kisan Brick Field, Vill. Ambara West, Pargana Lalganj, Raebareli.
- 8-Julfikar Brick Field, Vill. & Post Kudha, Tehsil Salon, Raebareli.
- 9-Rajput Brick Field, Vill. Badain Ka Purva, Tehsil Lalganj, Raebareli.
- 10- Maa Vimala Brick Field, Vill Pure Baisan Halor, Tehsil- Maharajganj, Raebareli.
- 11- Maurya Brick Field. Vill. Harbandhanpur, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 12- New Mouriya Brick Field, Vill. Harbandhanpur Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 13-Pragya Brick Field, Vill. Kateha, Post Rajapur, Tehsil Salon, Raebareli.
- 14- Yadav Brick Field, Vill Kotara, Bahadurganj Raebareli.
- 15-Sangam Brick Field, Vill Saidanpur, Khagipur Sadva, Raebareli.
- 16-Yash Brick Field, Vill Patti Rahas Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 17-Vijay Brick Field, Vill. Pachkhara, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 18-Sahil Brick Field, Vill. Makvapur, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 19-Jhamma Brick Field, Vill. & Post Patti Rahas Kaithwal, Tehsil Unchahar, Raebareli.
- 20- Kanhaiya Brick Field, Majhilaha, Rokha, Tehsil Salon, Raebareli.
- 21-Verma Brick Field, Vill. Pure Asharam Korihar, Tehsil Sadar, Raebareli.
- 22-Soni Brick Field, Vill. Rasoolpur, Post Thulendi, Tehsil- Maharaj ganj, Raebareli.
- 23-A.K. Brick Field, Vill.Mahuari Majare Bela Khara, Tehsil & Distt. Raebareli.
- 24-Shukla Brothers Brick Field, Majhilaha, Salon, Raebareli.
- 25-Shiv Brick Field (Old name Sarvottam Brick field) Daudnagar, Rahi, Raebareli
- 26-Tulsi Brick Field, Vill. Puremanshi, Deeh, Tehsil Salon, Raebareli.
- 27-Chanda Brick field, Vill. Pure Tiwari, Deeh, Salon, Raebareli.
- 28-Rahul Brick Field, Vill Katghar, Tehsil Dalmau, Raebareli.
- 29-Verma Ent Udyog, Vill. Thagaicha, Sareni, Tehsil Lalganj, Raebareli.
- 30-Yadav Brick Field, Vill. Manipur Matehari, Laxmiganj, Tehsil Unchahar, Raebareli.

**Brick Kiln Closure List**  
**District- Rae Bareli**

Sr. No.	Distt.	Name & Address	Closure Date
1	Rae Bareli	अमन ब्रिक फील्ड ग्राम फरीदपुर परवर, सरायमहेशा तिलोई	21.09.15
2	RaeBareli	आजाद ब्रिक फील्ड ग्रा0 बगहा मटका तह0 सलोन	23.04.18
3	RaeBareli	जानकी ब्रिक फील्ड ग्रा0 मुतवल्लीपुर तह0 ऊँचाहार	26.04.18
4	RaeBareli	चन्द्र ब्रिक फील्ड ग्रा0 मनीपुर भटेहरी लक्ष्मीगंज तह0 ऊँचाहार	26.04.18
5	RaeBareli	साहू ईट उद्योग ग्रा0 प्रेमचक सरेनी तह0 लालगंज	27.03.18
6	RaeBareli	रिद्धि-सिद्धि ब्रिक फील्ड ग्रा0 पाल्हीपुर धरई तह0 सलोन	24.04.18
7	RaeBareli	चौधरी ब्रिक फील्ड पूर्व नाम महाकालेश्वर ब्रिक फील्ड ग्रा0 गौरा उबरनी तह0 डलमऊ	30.05.19



क्षेत्रीय कार्यालय,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,  
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 461/प्र०रिफार्म/संख्या/1R/2020-21  
सेवा में,

दिनांक- 27/10/2020

मैसर्स रिफार्म यलब,  
जिला अस्पताल चौराहा,  
रायबरेली।

**विषय- मैसर्स रिफार्म यलब, जिला अस्पताल चौराहा, रायबरेली द्वारा परिसर में कूड़ा/गारबेज जलाए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2020 को सांयकाल नगर मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आपके परिसर में कूड़ा/गारबेज जलाए जाने संबंधी विडियो साक्ष्य प्रेषित किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्समय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपके परिसर का निरीक्षण दिनांक 24.10.2020 को (सांयकाल) किया गया जहाँ पर कूड़ा/गारबेज जलाए जाने के साक्ष्य पार गए। आपको सूचित करना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम-4 में प्राविधानित है कि संस्थान के परिसर से जो कूड़ा/गारबेज जनित हो रहा है, उसका नियमानुसार सुरक्षित निस्तारण की जिम्मेदारी संस्थान प्रबन्धन की स्वयं की है। चूंकि रायबरेली शहर प्रदेश के 16 नॉन अटैनमेन्ट (अति प्रदूषणकारी) में आच्छादित है।

538  
FRK

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन न किए जाने की दशा में क्यों न संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को संस्तुति कर दी जाए। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में जनित ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण तथा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालन आख्या संबंधी कार्यवाही इस कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्नक-यथापरि।

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

जिलाधिकारी  
रायबरेली

28/10/2020

भवदीय,

(अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,  
**उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,  
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 462/M-4/R/2020-21

दिनांक- 27-10-2020

सेवा में,

अधिशायी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
रायबरेली।

**विषय-कूड़ा/गारबेज जलाए जाने वाले व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध प्रवर्तन/जुर्माना अधिरोपित सम्बन्धी कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2020 को रायबरेली शहर में ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था की जाँच हेतु सर्वेक्षण कार्य किया गया। जिसमें रायबरेली शहर में निम्नांकित स्थलों में अत्याधिक मात्रा में कूड़ा/गारबेज जलते हुए पाए गए:-

1. रिनाल्ट शोरूम के बगल स्थित खाली जगह पर, निकट सारस होटल, गोल चौराहा, रायबरेली (फोटोग्राफ संलग्न)।
2. नेहरू नगर कोतवाली के पीछे, नेहरू नगर, रायबरेली (फोटोग्राफ संलग्न)।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम 2016 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों/संस्थानों के विरुद्ध जुर्माना/कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि रायबरेली शहर में प्रभावी कार्ययोजना की प्रगति की आख्या सक्षम अधिकारी को ससमय प्रेषित की जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

## Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)

Annex -WB2

### Awareness Generation (IEC Activities)

S.No.	Activity	No.	Period	Coverage
1	Advertisement in Print Media (Leading News Papers)	Weekly	July to August, 2021	75 Districts
2	Million Farmers Schools	15000	July, 2021	10 Lac Farmers
3	Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC	2	July & August, 2021	All Districts
4	State Level Kharif Gosthi	1	June 2021	Headquarter
5	District Level Kharif Gosthi	75	June –July 2021	75 Districts
6	Bolck Level Kharif Gosthi	821	July to August 2021	821 Blocks
7	Fixing of Hoardings	1328	Up to 31 August, 2021	At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump
8	Audio Visual Clips on TV	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Doordarshan & other popular Channels.
9	Broadcast of Radio Jingles	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Akashwani & other FM Channels.
10	Display of Audio Video Film	15	July to August 2021	To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes
11	Distribution of Leaflets	10 lac	May to July, 2021	75 Districts
12	Demonstration of implements	500 Ha.	October, 2021	75 Districts
13	Training of progressive farmers	24,333	July to Nov., 2021	1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK)

## Compost Pit

Sr no	Park in Raebareli	Compost pits
1	महुआ पार्क रायबरेली	0
2	नीम पार्क	0
3	अलंकृता सिंह पार्क	0
4	पार्क & गार्डन ऑफ़ RGBH	2
5	तिकोना पार्क	0
6	पार्क - सेक्टर 2	0
7	इंद्रा गार्डन	0
8	इंदिरा गाँधी स्मारक वनस्पति उद्यान	2
9	अखिल पार्क	0
10	राजीव गाँधी पार्क, गणेश नगर	0
11	पंचशील पार्क	0
12	सेंट्रल पार्क	0
13	अब्दुल्ला पार्क	0
14	साई नदी पार्क	0
15	सरदार पटेल पार्क	0
<b>Total</b>		<b>4</b>

**Comprehensive Action Plan 2021-22 for Crop Residue Management (Uttar Pradesh)**

Annex -WB4

**1-Awareness Generation (IEC Activities)**

S.No.	Activity	No.	Period	Coverage
1	Advertisement in Print Media (Leading News Papers)	Weekly	July to August, 2021	75 Districts
2	Million Farmers Schools	15000	July, 2021	10 Lac Farmers
3	Kissano ki baat Vagyaniko ke sath online through NIC	2	July & August, 2021	All Districts
4	State Level Kharif Gosthi	1	June 2021	Headquarter
5	District Level Kharif Gosthi	75	June –July 2021	75 Districts
6	Bolck Level Kharif Gosthi	821	July to August 2021	821 Blocks
7	Fixing of Hoardings	1328	Up to 31 August, 2021	At Block Headquarters : Mandies, Roadside, Market, Schools, Petrol Pump
8	Audio Visual Clips on TV	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Doordarshan & other popular Channels.
9	Broadcast of Radio Jingles	14 Days (Two Times)	September to October, 2021	On Akashwani & other FM Channels.
10	Display of Audio Video Film	15	July to August 2021	To be prepared by Headquarter & displayed at different Gosthies and training programmes
11	Distribution of Leaflets	10 lac	May to July, 2021	75 Districts
12	Demonstration of implements	500 Ha.	October, 2021	75 Districts
13	Training of progressive farmers	24,333	July to Nov., 2021	1-At government training Institute of the department 2-At 84 KVKs (05 training each of 50 farmers at every KVK)

## **2-Availability of implements to individuals farmers and Farm Machinery Banks to FPO's & Societies**

- Crop Residue Management implements will be made available to the individual farmers and Farm Machinery Banks to FPO's, Societies and Panchayats under Centrally Sponsored Promotion of Agricultural Mechanization for In Situ management of crop residue Scheme.

### **Individual Farmers :**

- CRM implements will be made available at 50% subsidy from CRM scheme and other implements at 40% -- 50% subsidy from Submission on Agricultural Mechanization Scheme (SMAM).

### **Farm Machinery Banks :**

- Farm Machinery Banks will be provided at 80% subsidy in the following manner.
  - (a) FMB of Rs. 5 – 15 Lakh to FPO's farmer Societies, Cooperative Societies and Cane Societies.
- Rs. 5.00 Lakh - from CRM Scheme - CRM Implements
  - 80% subsidy is Rs 4.00 Lakh
- Rs. 10.00 Lakh – From SMAM Scheme – CRM and Other implements
  - 80% subsidy is Rs. 8.00 Lakh
- (b) FMB of Rs. 5.00 Lakh – To Cooperative, Cane Societies & Panchayats
  - 80% subsidy i.e. Rs. 4.00 Lakh from CRM Scheme

### **Progress of Implement Distribution (Till 2020-21) :**

- Individual Farmers	31501
- Farm Machinery Banks to Societies and FPO's	
(a) Rs. 5.00 – 15.00 Lakh	4750
(b) Rs. 5.00 Lakh	900

### **Action Plan for 2021-22**

#### **Individual Farmers at 50% subsidy**

**CRM Scheme** **7160**

#### **Farm Machinery Banks at 80% subsidy-**

(a) Rs. 5.00 to 15.00 lakh to FPO's, Farmer Societies	800
(Rs. 5.00 Lakh from CRM Scheme	
Rs. 10.00 Lakh from SMAM Scheme)	
(b) Rs. 5.00 Lakh from CRM Scheme	
(Cooperative Societies, Cane Societies & Panchayats)	900

#### **Time Line**

- Empanelment of Manufacturers	-	By 15 April, 2021
- Selection of Beneficiaries	-	By 30 June, 2021
- Distribution of Implements	-	By 30 September, 2021

### **3- Innovative Activities**

1-Flodding of field after harvesting and chopping of stubble in the field as adopted successfully in Pilibhit district in the year 2020-21

2-Digging of compost pit and putting the stubble in these pits and leaving for decomposition through spray of waste decomposer as adopted in many districts

3-Farmers would be encouraged to bring Parali to cow shelters and take cow dung from their as successfully done in Unnao district.

4-Use of waste decomposer :- In the year 2020-21 farmers were distributed waste decomposers free of cost. Culture was prepared from 100 ML waste decomposer solution by mixing Besan/Jaggery in it. This culture was spread on the stubble and stubble decomposed in 25 to 28 days. One bottle of 100 ml is sufficient for one acre field.

In the year 2020-21 - 2.62 Lakh bottles brought from National Centre of Organic Farming approved firm and 4000 capsules from IARI, Pusa, New Delhi and were distributed to the farmers free of cost.

In the year 2021-22 - Ten Lakh bottles are planned to be made available to the farmers by the end of August 2021.

#### **4- Supplying Stubble to Cow Shelters :**

Uttar Pradesh has 5226 Cow shelters in the state in which 5,63,856 Cows are housed. These require regular supply of fodder for feeding.

25% of stubble can be mixed with their fodder for feeding. These shelters need stubble to be spread on the floors also to save cow from severe winters. This is an innovative activity started by UP Government in which stubble from field to cow shelters was supplied. Labour cost for collection was met by MNREGA and transportation was done by Animal Husbandary Department.

#### **Progress :**

Year	Stubble Supplied
2020-21	43,901 MT
2021-22 (Proposed)	50,000 MT